



67वीं वार्षिक रिपोर्ट 67th Annual Report

2022-23



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)
CIN : U74899DL1961GOI003439

67वीं वार्षिक रिपोर्ट 2022-23
67th Annual Report 2022-23

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	
सूचना/Notice	6
प्रबंध निदेशक का भाषण/Chairman's Speech	8
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	12
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	47
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी/Comments of the Comptroller and Auditor General of India	93
तुलन-पत्र/Balance Sheet	100
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	103
अनुसूची 1 से 24/Note 1 to 24	105
लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरण का भाग हैं Accounting Policies & Notes to Accounts Forming Part of Financial Statement	141
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	183

निदेशक मंडल

श्रीमती नीरजा अदिदम

अतिरिक्त सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(20.01.2022 से)

श्री निरंजन लाल

निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(04.10.2017 से 26.09.2022 तक)

श्री पदमसिंग प्रदीपसिंग पाटील

निदेशक
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(26.09.2022 से)

श्रीमती गीता मिश्रा

निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(29.09.2021 से)

श्री जोहन टोपनो

निदेशक,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(20.04.2020 से)

BOARD OF DIRECTORS

Smt. Neeraja Adidam

Additional Secretary,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman & Managing
Director
(w.e.f. 20.01.2022)

Shri Niranjana Lal

Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 04.10.2017 to 26.09.2022)

Shri Padamsing Pradipsing Patil

Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 26.09.2022)

Smt. Geeta Mishra,

Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(w.e.f. 29.09.2021)

Shri Johan Topno

Director,
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 20.04.2020)

प्रमुख कार्यपालक

श्रीमती रेखा शर्मा

उप सचिव (पी.एस.यू.) एवं सतर्कता
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(06.07.2017 से 30.08.2022 तक)

श्री अनुराग रोहतागी

निदेशक
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(24.11.2022 से 23.02.2023 तक)

श्रीमती सिओन कोंगारी
सलाहकार

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी (30.06.2022 तक)

श्री एस.एस. शेखावत
विशेष कार्य अधिकारी (11.05.2022 से)

श्रीमती ऋतु भाटिया
कंपनी सचिव (19.09.2022 से)

मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री यू.सी. गौड़
प्रभारी, सिन्दरी एकक

श्री ए.एन. तिवारी
सलाहकार एवं प्रभारी, गोरखपुर एकक
(30.06.22 तक)

PRINCIPAL EXECUTIVES

Smt. Rekha Sharma

Dy. Secretary (PSU) & Vig.
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 06.07.2017 to 30.08.2022)

Shri Anurag Rohtagi,

Director
Department of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 24.11.2022 to 23.02.2023)

Smt. Sion Kongari

Advisor

Shri K.L. Rao

Officer on Special Duty (up to 30.06.2022)

Shri S.S. Shekhawat

Officer on Special Duty (w.e.f. 11.05.2022)

Smt. Ritu Bhatia

Company Secretary (w.e.f. 19.09.2022)

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri U.C. Gaur

Incharge, Sindri Unit

Shri A.N. Tiwari

Advisor Cum-Incharge, Gorakhpur Unit
(Upto 30.06.2022)

श्री धनश्याम लाल श्रीवास्तव
प्रभारी, गोरखपुर एकक
(01.07.22 से)

श्रीमती एम. एन. मलेश्वरी
प्रभारी, रामागुण्डम एकक

श्री इरफान अहमद
प्रभारी, तलचर एकक (1.1.22 से)

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा प्रभाग

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	-	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	-	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	-	तेलंगाना
तलचर एकक	-	ओडिशा
कोरबा प्रभाग	-	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	-	नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201301

Shri Ghanshyam Lal Srivastava
Incharge, Gorakhpur Unit
(w.e.f. 01.07.2022)

Smt. M.N. Maleshwari
Incharge, Ramagundam Unit

Shri Irfan Ahmad
Incharge, Talchar Unit (w.e.f. 1.1.22)

Shri R.L. Deshbhratar
Incharge, Korba Division

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	-	Jharkhand
Gorakhpur Unit	-	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	-	Telangana
Talcher Unit	-	Odisha
Korba Division	-	Chhatisgarh
Central Office	-	Noida (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Institutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
केनारा बैंक

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फॉक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स हम्मुराबी एण्ड सोलोमोन, एडवोकेट्स, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants, New Delhi

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India
Canara Bank

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi
M/s Hammurabi & Solomon, Advocates, New Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 67वीं वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023, सांय 3:30 बजे, कांफ्रेंस रूम, दूसरी मंजिल, 'ए' विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जायेगी :-

67वीं वार्षिक आम बैठक का व्यवसाय

1. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और निदेशक मंडल और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को स्वीकार करना। विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को पारित करना:-

“31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ इसे अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

2. कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित संकल्प को पारित करना:-

यह संकल्प लिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ धारा 139 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और

NOTICE

Notice is hereby given that the **67th Annual General Meeting** of the Shareholders of the Fertilizer Corporation of India Limited **will be held on Friday, the 29th September, 2023 at 3.30 P.M. in the Conference Room, 2nd Floor, 'A' Wing, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi – 110 001** to transact the following business :-

Ordinary Business of 67TH AGM

1. Adoption of the Audited Financial Statement and Report of Board of Directors and Auditors' Report and C&AG's Report thereon for the financial year 2022-23. To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution :-

“RESOLVED THAT the Audited Annual Accounts of the Company for the Financial Year ending 31st March, 2023, together with Directors Report and Auditors' Report and C&AG 's Report thereon be and are hereby approved and adopted.”

2. Approval for fixation of Remuneration of Statutory Auditors' of the Company .

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as an Ordinary Resolution :-

“RESOLVED THAT pursuant to Section 139 read with Section 142 of the Companies Act, 2013, remuneration to the Statutory

महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों
के पारिश्रमिक का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाए।

Auditors' appointed by the Comptroller and
Auditor General of India(CAG) for the financial
year 2023-24, be decided by the Board ,be
and is hereby approved."

बोर्ड के आदेश से
फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
ह0/-
(सीएस ऋतु भाटिया)
(कंपनी सचिव)

By Order of the Board
For Fertilizer Corporation of India Limited
sd/-
(CS Ritu Bhatia)
Company Secretary

दिनांक : 27.09.2023
टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत
दे सकता है तथा किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में
उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर
सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी
होना आवश्यक नहीं है।

Dated : 27.09.2023
Note : A Shareholder entitled to attend and vote at
the meeting, is entitled to appoint proxy to
attend and vote instead of himself. A proxy need
not be a Shareholder of the Company.

सेवार्थ,
एफ.सी.आई.एल. के सभी शेयरधारी
एफ.सी.आई.एल. के सभी निदेशक
प्रतिलिपि :—
1. मैसर्स दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार, (डीई 2725)
3, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

To:
All Directors of FCIL
All Shareholders of FCIL
Copy to:-
1. M/s. Deepak Gulati & Associates,
Chartered Accountants,(DE2725)
3, Hanuman Road, Connaught Place, New Delhi-
110001,
2. Chairman, Audit Committee.

एफ.सी.आई.एल. की 67वीं वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का भाषण।

प्रिय शेयर धारकों, महिलाओं और सज्जनों,

निदेशक मंडल की ओर से, मैं आज आयोजित होने वाले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक में सभी शेयरधारकों का स्वागत करती हूँ।

प्रारंभ में, यह सूचित किया जाता है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा, सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

वित्तीय प्रदर्शन

हर्ष के साथ मैं आपको सूचित करती हूँ कि आपकी कंपनी ने 58.77 करोड़ रुपये का पीबीटी और 46.82 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया है। कंपनी की नेटवर्थ 712.74 करोड़ रुपये है। कंपनी को होने वाली आय मुख्य रूप से एफडीआर से ब्याज, एफसीआईएल रेल लाइन का उपयोग करने के लिए एसीसी से लाइसेंस शुल्क और पट्टे पर दिए गए आवासों पर किराये के कारण होती है।

लाभांश:

हालांकि कंपनी ने 47.82 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया है, लेकिन कंपनी का संचयी घाटा 51.74 करोड़ रुपये है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कि कोई भी कंपनी लाभांश की घोषणा तब तक नहीं करती है, जब तक कि पिछले

Chairman's speech at the 67th Annual General Meeting (AGM) of FCIL

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I welcome all the Shareholders to the **67th Annual General Meeting** of your Company for the Financial Year 2022-23 being held today.

At the outset, it is informed that the Directors' Report and Audited Annual Accounts for the year ended 31st March, 2023, together with Statutory Auditors' Report and comments of C&AG thereon have already been circulated. With your permission, I take them as read.

Financial Performance:

I am pleased to inform you that during the financial year 2022-23, your Company has earned **PBT of Rs 58.77 crore** and PAT of Rs 46.82 crore. The **net worth of the Company is Rs 712.74 crore**. The income to the Company is mainly on account of interest from FDRs, licence fee from ACC for using the FCIL Rail Line and rentals from leased accommodations.

Dividend:

Although the Company has earned PAT of Rs 46.82 crore, the cumulative loss of the Company stands at Rs 51.74 crore. In view of the provisions of Companies Act, that no company declares dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous years are set

वर्षों में प्रदान नहीं किए गए पिछले घाटे और मूल्यह्रास को चालू वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के खिलाफ निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी के बोर्ड ने 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

रामागुंडम इकाई को आरएफसीएल द्वारा पुनर्जीवित किया गया है और 22.03.2021 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो चुका है। वर्ष 2022-23 के दौरान, आरएफसीएल ने 840436 मीट्रिक टन यूरिया और 500196 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने पिछले वर्ष के (-) ₹.1037.93 करोड़ के मुकाबले (-) ₹.14.43 करोड़ का पी.बी.टी. अर्जित किया तथा (-) ₹.8.60 करोड़ के मुकाबले (-) ₹ 759.37 करोड़ का पी.ए.टी. अर्जित किया।

गोरखपुर परियोजना को चालू कर दिया गया है और 03.05.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। परियोजना 90% लोड पर चल रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान, एचयूआरएल ने 12,13,576 मीट्रिक टन यूरिया और 7,29,965 मीट्रिक टन अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने (-) ₹.92.86 करोड़ रुपये का पीबीटी और (-) ₹.61.04 करोड़ रुपये का पीएटी अर्जित किया।

सिंदरी परियोजना चालू हो गई है और एचयूआरएल द्वारा सिंदरी में वाणिज्यिक उत्पादन 7.11.2023 से शुरू हो चुका है।

तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मैसर्स टीएफएल) ने एलएसटी के और गैर-एलएसटी के दोनों संविदाओं सहित 90% पैकेज प्रदान किए हैं। सिविल गतिविधियों के साथ निर्माण गतिविधियां जोरों पर हैं। परियोजना को

off against profit of the company for the current year, the Board of the company has decided not to declare dividend during the year 2022-23.

Future Outlook:

Ramagundum Unit has been revived by RFCL and commercial production started w.e.f. 22.03.2021. During the year 2022-23, RFCL has produced 840436 MT of Urea and 500196 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (-) Rs.14.43 crore as against (-) Rs. 1037.93 Crore in previous year and PAT of (-) Rs. 8.60 Crore as against (-) Rs. 759.37 Crore in previous year.

Gorakhpur Project has been commissioned and commercial production started on 03.05.2022. The project is running at 90% load. During the year 2022-23, HURL has produced 12,13,576 MT of Urea and 7,29,965 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (-) 92.86 crore and PAT of (-) Rs. 61.04 Crore.

Sindri Project has been commissioned and Commercial Production at Sindri has started on 15.4.2023.

Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL) have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. The job of project

पूरा करने की तारीख सितम्बर, 2024 निर्धारित की गई है। परियोजना- पूर्व गतिविधियाँ पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न एलएसटीके और गैर-एलएसटीके ठेका फर्मों द्वारा परियोजना गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। लगभग 14 फर्मों को निर्माणाधीन निर्माण कार्य में लगाया गया है। इस बीच, मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के साथ कोयला लिंकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। एफसीआईएल और टीएफएल के बीच रियायत समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

एफसीआईएल एचयूआरएल और आरएफसीएल में 11% इक्विटी और टीएफएल में 4.45% इक्विटी के साथ इन संयुक्त उद्यमों का भागीदार है। प्रत्येक संयंत्र प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। एचयूआरएल और आरएफसीएल परियोजनाएं गैस आधारित हैं जबकि टीएफएल परियोजना कोयला आधारित परियोजना है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए एफसीआईएल ने वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सीएसआर के तहत 33.76 लाख रुपये और वर्ष 2021-2022 में स्वच्छ गंगा कोष में 47.64 लाख रुपये का योगदान दिया था।

आभार:

अंत में, मैं एफसीआईएल में निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए सभी बोर्ड सदस्यों, हमारे हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं इस अवसर पर उर्वरक विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पूरे दिल से निरंतर समर्थन दिया है।

is now going ahead. The date of completion of project has been scheduled as September,2024. Pre-Project activities have been completed. Project activities are in progress by various LSTK and Non-LSTK contract firms. About 14 nos of Firms have been engaged in the on going construction work. In the meantime the coal linkage have been finalised with M/s Mahanadi Coalfields Limited (MCL). Concession Agreement and Substitution Agreement has been signed between FCIL & TFL, approved by the Empowered Committee of Secretaries (ECoS).

FCIL is a partner to these JVs with having 11% equity in HURL and RFCL and 4.45% in TFL. Each plant will produce 12.7 lakh MT per annum of Urea. Whereas, HURL and RFCL projects are gas based the TFL project is a coal based project.

Corporate Social Responsibility(CSR)

Considering its obligation towards society, FCIL had made contribution of Rs 33.76 lakhs under CSR Fund in **Prime Ministers' National Relief Fund** in the year 2022-23 and Rs 47.64 lakhs in **Clean Ganga Fund** in the year 2021-2022.

Acknowledgement:

Finally, I would like to convey my sincere gratitude to all Board Members, our stakeholders for their constant support and trust in FCIL. I take this opportunity to express my sincere thanks to the Department of Fertilizers, who have given whole hearted and continuous support.

मैं भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी हूँ। इसके अलावा ईमानदारी से कंपनी के सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा कंपनी के लिए उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से किए गए कार्य के लिए सराहना करती हूँ।

I am also thankful for the whole-hearted support received from the Government of India, other Ministries and Departments of Government of India, Banks, Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and Statutory Auditors. Also sincerely place my appreciation for the good work done by all the employees at all levels of the Company for their commitment and hard work for the Company.

ह०/-
(नीरजा अदिदम)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09351163

Sd/-
(Neeraja Adidam)
Chairman & Managing Director
DIN :09351163

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2023

Place : New Delhi
Date : 29.09.2023

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 67वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2021-2022 के 35.74 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2022-2023 में 46.82 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 750.92 करोड़ रुपये ही रही है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 के अनुमोदन के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड़ रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

4.0 लाभांश

कंपनियों की घोषणा और लाभांश भुगतान नियम 2014 के अनुसार कोई भी कंपनी तब तक लाभांश की घोषणा नहीं करेगी जब तक कि पिछले वर्ष में प्रदान किए गए नुकसान और मूल्यांश को चालू वर्ष की कंपनी के

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors have pleasure in presenting the 67th Annual Report of the Company together with the Audited Accounts for the Financial Year ended on 31st March, 2023 and the Report of the Statutory Auditors', Management's reply, Directors' Report and the C&AG's comments thereon.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company earned a net Profit of Rs 46.82 crore in 2022-2023 as against a net profit of Rs.35.74 crore during 2021-2022.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs.750.92 crore during FY 2022-23.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA dated 9.5.2013, Government of India Loan amounting to Rs.2739.37 Crore and Interest on GOI Loan amounting to Rs.7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

4.0 DIVIDEND

As per Companies (Declaration & Payment of Dividend) Rules 2014, no Company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in

लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जाता है, हानि या मूल्यहास पिछले वर्षों में जो भी कम है, उस वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के विरुद्ध गुजरा करना जिसके लिए लाभांश घोषित या भुगतान किया गया है। अतः निदेशकों के बोर्ड ने कोई लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

5.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान जीएसटी, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 22.44 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

6.0 उत्पादन निष्पादन

संयंत्रों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ है।

7.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई.ए./ कैबिनेट द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाईयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, रामागुडम यूनिट को ई.आई.एल., एन. एफ.एल. एवं एफसीआईएल के संयुक्त उद्यम रामागुडम फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। गोरखपुर यूनिट को एनटीपीसी, सीआईएल, आईओसीएल,

previous year are set off against profit of the Company of the current year, the loss or depreciation, whichever is less, in previous years is set off against the profit of the Company for the year for which dividend is declared or paid. Hence, the Board of Directors have not recommended any Dividend.

5.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs.22.44 crore by way of GST, Service Tax, Sales tax, Excise duty, Income tax, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

6.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year due to the decision of the GoI for closure of operations of the plants in the year 2002.

7.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Government's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activities are restricted to security arrangements and settlement of dues of employees. However, consequent to the decision of CCEA/ Cabinet regarding revival of closed units of FCIL, Ramagundam Unit has been revived by M/s. Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL), a Joint Venture of EIL, NFL & FCIL and Gorakhpur has been revived by

एफसीआईएल एवं एचएफसीएल की संयुक्त उद्यम हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा पुर्नजीवित किया गया है। सिन्दरी युनिट जोकि हर्ल द्वारा पुर्नजीवित की जा रही है। तलचर युनिट, सीआईएल, आरसीएफ, गेल तथा एफ.सी.आई.एल के संयुक्त उद्यम तलचर फर्टिजाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा पुर्नजीवित किया जा रहा है तथा निर्माण के चरण में है।

8.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में 3 बोर्ड निदेशकों की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान बोर्ड स्तरीय सीएसआर कमिटी की 2 बैठक 26.08.2022 और 23.12.2022 को हुई।

चालू वर्ष के दौरान एफसीआईएल ने सीएसआर के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में ₹.33.76 लाख का योगदान दिया।

विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और इन कार्यालयों की परिसम्पत्तियों का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। इसलिए कंपनी में कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

M/s. Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL), a Joint Venture of NTPC, CIL, IOCL, FCIL & HFCL. Sindri Unit being revived by HURL. Talcher Unit being revived by M/s Talcher Fertilizers Limited (TFL), a Joint Venture of CIL, RCF, GAIL & FCIL, is at construction stage.

8.0 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance to Section 135(1) of the Companies Act, 2013, a CSR Committee has been constituted with three Board Directors. During the year, two Meeting of Board-level CSR Committee were held on 26.08.2022 and 23.12.2022 respectively.

During the year under review, FCIL had made a contribution of Rs 33.76 lakhs towards Prime Minister's National Relief Fund as CSR obligations.

MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. Hence, there is no marketing activity.

9. कम्पनी का पुनरुद्धार

1. तदुपरांत, देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए और एफसीआईएल की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2007 में इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।
2. अक्टूबर, 2008 में सीसीईए ने सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया ताकि इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जाँच की जा सके और सरकारी वित्तपोषण का सहारा लिए बिना तथा गैस की उपलब्धता के अध्ययीन पुनरुद्धार के लिए एक स्कीम की सिफारिश की जा सके।
3. सीसीईए ने ईसीओएस की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अथवा बोली प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए दिनांक 04.08.2011 को पुनर्वास योजना के मसौदे को अनुमोदित किया है। सीसीईए ने पूर्णजिवित करने वाले सरकार द्वारा नामित पी एस यू द्वारा एफसीआईएल को 11% इक्विटी तथा बोर्ड में एक सीट देने को भी अनुमोदित किया।
4. सीसीईए ने 9.5.2013 को भारत सरकार के 31.03.2012 को ₹.2739.27 करोड़ के लोन तथा ₹.7904.47 करोड़ ब्याज को भी माफ करने का निर्णय लिया ताकि एफसीआईएल का निवल मूल्य घनात्मक हो जाए और वह बी आई एफ आर से डि रजिस्टर हो जाए। कंपनी 27.06.2023 को बीआईएफआर से डि-रजिस्टर हो गई।
5. भारत सरकार के अनुमोदन से एफसीआईएल के एककों को निम्न तरीके से पुर्नजिवित किया जा रहा है।

9.0 REVIVAL OF THE COMPANY

1. Subsequently, considering the demand-supply gap of urea in the country and to leverage the assets & infrastructure available in the closed fertilizer Units of FCIL, GoI, in April 2007, took a decision to consider revival of these Units.
2. In October 2008, CCEA constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECoS) to examine the viability of revival of these Units and recommend a Scheme for revival, without recourse to Government funding and subject to the availability of gas.
3. CCEA approved a Draft Rehabilitation Scheme on 4.8.2011 on the recommendations of ECoS for revival of the individual Units either by GoI nominated PSUs or through bidding route. CCEA further approved that the reviving JVs of Government nominated PSUs would offer a minimum of 11% equity and a Board seat in the Project to FCIL.
4. Further, CCEA on 9.5.2013 approved waiver of GoI loan (Rs.2739.27 crore) & interest (Rs.7904.47 crore) of FCIL as on 31.3.2012 to make its net worth positive to enable FCIL to get de-registered from BIFR to speed up the revival process. The Company was de-registered from BIFR on 27.6.2013.
5. At present, with the approval of GoI, the revival of the Units of FCIL is being carried out as under:

10.0 पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

रामागुण्डम एकक

- एन.एफ.एल., ई.आई.एल. और एफ.सी.आई.एल की भागीदारी के साथ 17.2.2015 को रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर एफ सी एल) नामक एक संयुक्त उधम कंपनी का गठन किया गया है। एफ सी आई एल को इकाई की अवसंरचना उपलब्ध प्रदान करने के लिए 11% इक्विटी मिलेगी।
- आर एफ सी एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) एफ सी आई एल के नामित निदेशक हैं।
- परियोजना की शून्य तिथि 25.09.2015 थी।
- एफ सी आई एल और आर एफ सी एल के बीच रियायत समझौता और पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर हो गये हैं। आर एफ सी एल, आर एफ सी एल, के ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और एफ सी आई एल के मध्य प्रतिस्थापन समझौता हुआ है।
- आर एफ सी एल ने 22.03.2021 से व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान आरएफसीएल ने 840436 मी.ट. यूरिया और 500196 मी.ट. अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के (-)1037.93 करोड़ की तुलना में (+)रु.14.73 करोड़ का पीबीटी अर्जित किया है। और पिछले वर्ष के (-)759.37 करोड़ की तुलना में (+)8.60 करोड़ का पीएटी लाभ अर्जित किया।

10.0 Present Status of revival

Ramagundam Unit:

- A Joint Venture Company, namely 'Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited' (RFCL) has been incorporated on 17.2.2015 with the participation of NFL, EIL & FCIL. FCIL to get 11% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL, is the FCIL nominated Director on the Board of RFCL.
- Zero date of the project was 25.9.2015.
- Concession Agreement & Lease Agreement have been signed between FCIL & RFCL. Substitution Agreement has been signed amongst RFCL, Lenders' representative of RFCL and FCIL
- RFCL has started commercial production w.e.f. 22.3.2021.
- During the year 2022-23, RFCL has produced 840436 MT of Urea and 500196 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (+) Rs14.43 crore as against (-) Rs. 1037.93 Crore in previous year and PAT of (+) Rs. 8.60 Crore as against (-) Rs. 759.37 Crore in previous year.

तलचर एकक

- आर.सी.एफ., सी.आई.एल, गेल और एफ सी आई एल की भागीदारी से एक संयुक्त उद्यम कंपनी तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, (टी एफ एल) का गठन हुआ है।
- एकक की आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के बदले में एफ सी आई एल को 4.45% इक्विटी मिलेगी।
- टी एफ एल के बोर्ड में एफ सी आई एल के निदेशक (वित्त) नामित निदेशक हैं।
- एफसीआईएल और टीएफएल के बीच क्रमशः 29.01.2021 और 14.07.2022 को रियायत समझौते और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसे सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (मैसर्स टीएफएल) ने एल एस टी के और नान एल एस टी के दोनों सविदाओं सहित 90 प्रतिशत पैकेज प्रदान किये हैं। सिविल गतिविधियाँ जोरों पर हैं। परियोजना का कार्य अब आगे बढ़ रहा है। परियोजना को पूरा करने की तारीख सितम्बर 2024 निर्धारित की गई है।
- जल प्रणाली के निर्माण और थल सक्षम करने वाले कार्य जैसे परियोजना पूर्व कार्य कलाप पूरे कर लिए गये हैं।
- मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एफसीएल के साथ कोयला लिन्केज को अंतिम रूप दे दिया गया है।

Talcher Unit:

- A Joint Venture Company, namely, 'Talcher Fertilizers Limited' (TFL) has been incorporated with the participation of RCF, CIL, GAIL & FCIL.
- FCIL to get 4.45% equity for providing the infrastructure of the Unit.
- Director (Finance), FCIL is the nominated Director on the Board of TFL.
- Concession Agreement and Substitution Agreement has been signed between FCIL and TFL, on 29.01.2021 and 14.07.2022 respectively, approved by the Empowered Committee of Secretaries (ECoS).
- Talcher Fertilizers Limited (M/s.TFL) have awarded 90% packages, including both LSTK and NON-LSTK Contracts. Construction activities are in full swing with Civil Activities. The job of project is now going ahead. The date of completion of project has been scheduled as September 2024.
- Pre-Project activities like Construction of water system, construction of Power and site enabling work have been completed.
- The Coal linkage have been finalized with M/s Mahanadi Coalfields Limited(MCL).

सिन्दरी और गोरखपुर एकक

- केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने दिनांक 13.07.2016 को एच. एफ.सी.एल. की बरौनी इकाई के साथ एफसीआईएल के सिन्दरी एवं गोरखपुर इकाईकों को नामित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों एन.टी.पी.सी., सी.आई.एल. एवं आई.ओ.सी.एल. की एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। एफ.सी.आई.एल. एवं एच.एफ.सी.एल. भी इसमें संयुक्त उद्यम भागीदार रहेंगे और भूमि उपयोग, प्रयोग करने योग्य संपत्ति एवं अवसर लागत के बदले में उन्हें प्रत्येक परियोजना के बदले 11% इक्विटी प्राप्त होगी।
- कैबिनेट द्वारा पुनर्जीवन प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति (आई.एम.सी.) का भी गठन किया गया। एककों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से हिन्दुस्तान उर्वरक एण्ड रसायन लिमिटेड (एच यू आर एल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया।
- सिन्दरी एवं गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफ.सी.आई.एल. और एच.यू.आर.एल. के बीच रियायत समझौते और पट्टा लेखों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। गोरखपुर एवं सिन्दरी परियोजनाओं के लिए एफ सी आई एल, एच यू आर एल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच प्रतिस्थापना समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
- गोरखपुर परियोजना को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 7.12.2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। संयंत्र ने 3.5.2022 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, जब कि सिन्दरी में वाणिज्यिक उत्पादन 15.04.2023 को शुरू हो गया है।

Sindri & Gorakhpur Units:

- Union Cabinet decided on 13.7.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive 11% equity in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost.
- Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)' has been incorporated for the purpose of revival of the units.
- Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lenders' Representative.
- Gorakhpur Project was dedicated to the Nation by the Hon'ble Prime Minister of India on 7.12.2021. The Plant has started commercial production w.e.f. 3.5.2022, whereas Sindri commercial production has started on 15.4.2023

- वर्ष 2022-2023 के दौरान एच यू आर एल ने 1213576 मी.ट. यूरिया और 729965 मी.ट. अमोनिया का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने (-)92.86 करोड़ रुपये का पी.बी.टी. और (-) 61.04 का पीएटी अर्जित किया है।

11.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2022-2023 में इसकी गतिविधियाँ तथा उपलब्धियाँ

सतर्कता विभाग को प्रबंधन कार्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। उर्वरक विभाग की निदेशक सुश्री रेखा शर्मा 31 अगस्त, 2022 तक एफसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। इसके बाद प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 24.11.2022 के आदेश के तहत श्री अनुराग रोहतगी ने 23.02.2023 तक एफसीआईएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। अपने कार्यालय में उन्होंने कम स्टाफ में ही कार्यों को निदेशन सुपर विजन तथा गाइडेन्स द्वारा सुलभ कराया। विभाग सामान्य प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने और विभिन्न निवारक उपायों के माध्यम से एफसीआईएल में दक्षता बढ़ाने और सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन करके सहायता करता है।

11.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोध पर समय पर प्रतिक्रिया देने का आदेश देता है। आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत कम्पनी अधिनियम के तहत निर्देश का पालन करने के लिए सभी

- During the year 2022-23, HURL has produced 12,13,576 MT of Urea and 7,29,965 MT of Ammonia. During the year, the Company earned PBT of (-) 92.86 crore and PAT of (-) Rs. 61.04 Crore .

11.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2022-2023

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the Management function. Ms. Rekha Sharma, Director, Department of Fertilizers, was holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL upto August 31, 2022. Thereafter, vide order dated 24.11.2022 issued by administrative Ministry Shri Anurag Rohatgi, assumed the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL upto 23.02.2023. During his tenure, he provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meager staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

11.1 RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to Information Act, 2005 mandates timely response to citizen's request for information relating to Public Authorities. Under the RTI Act, 2005, the Company makes all efforts to follow the directive under the Act.

प्रयास करती है। एफसीआईएल ने अधिनियम के तहत नागरिकों के अनुरोध पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। इस प्रकार, आरटीआई अधिनियम, 2005 का समय पर अनुपालन होता है।

12.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निर्देशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। साथ ही, दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

13.0 कम्पनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन को दर्शाने वाला विवरण, जिसमें जोखिम के तत्व की पहचान शामिल है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कम्पनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, कम्पनी बंद हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए, जोखिम के तत्व, जो कम्पनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, की पहचान सहित जोखिम प्रबंधन नीति नहीं की गई है।

14.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि।

31.03.2023 को कर्मचारियों की संख्या 1 है। कुछ कर्मचारियों को कम्पनी के पुनरुज्जीवन गतिविधि

FCIL has duly appointed a Public Information Officer to respond effectively to the request of citizens under the Act. Thus, there is a timely compliance of RTI Act, 2005.

12.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programs and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. Also, efforts are being made to make use of Hindi in day to day official work.

13.0 STATEMENT INDICATING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY FOR THE COMPANY INCLUDING THE IDENTIFICATION THEREIN OF ELEMENT OF RISK, IF ANY WHICH IN THE OPINION OF THE BOARD MAY THREATEN THE EXISTENCE OF THE COMPANY.

As per the decision of GoI, the Company was under closure. Keeping this in view, risk management policy including identification of element of risk, which may threaten the existence of the Company, has not been formulated.

14.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT etc.

The staff strength as on 31.3.2023 is only 01 (one) regular employee. Some ex-employees

के साथ-साथ निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रोक कर रखा गया है। वर्तमान में कंपनी में 1987 के वेतनमान लागू है और 2017 के वर्तमान विचारधीन है। सभी इकाईयों के बंद हो जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

15.0 कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 के अनुसार कंपनियों के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसार कोई भी कर्मचारी वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में 8,50,000 प्रति माह (रु.1020000) प्रति वर्ष या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है। अतः यह कंपनी पर लागू नहीं होता है।

16.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

17.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

have been engaged as retainers to look after the safety & security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations, apart from revival activities. Presently, the 1987 Pay Scales are applicable in the Company and the proposal for 2017 pay scales is under consideration. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

15.0 DETAILS OF EMPLOYEES

In accordance with Section 197 of the Companies Act 2013 read with Rule 5(2) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, no employee was in receipt of remuneration of Rs.8,50,000/- p.m. (Rs.1,02,00,000/- p.a.) or more throughout the financial year or part of the financial year. Therefore, it is not applicable to the Company.

16.0 EMPLOYMENT OF SCs/STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs /STs /ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

17.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION & FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO.

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company, there was no scope to take up any measures for energy conservation, Technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was 'nil' during the year.

18.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 22-23 के लिये मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स को सी.ए.जी. द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

18.0 STATUTORY AUDITORS.

The Statutory Auditors of the company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. Deepak Gulati & Associates were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2022-23.

19.0 लागत अभिलेख का रखरखाव

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) और कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने सामग्री, श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग से संबंधित खाते जो हमारी कंपनी पर लागू होते हैं का रिकार्ड रखा है।

19.0 MAINTENANCE OF COST RECORDS

According to the provisions of Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and Rule-3 of the Companies (Cost Records and Audit) Rules-2014, the Company kept books of Accounts relating to utilization of material, labour and other items of cost as applicable to our Company.

20.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये कंपनी के लेखों पर एक रिपोर्ट दे दी है। प्रबंधन की टिप्पणियां संलग्नक 1 में संलग्न है।

20.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT.

The Statutory Auditors of the company have submitted the Audit Report on the accounts of the company for the financial year 2022-23, on which Management's comment are enclosed at **Annexure-I**.

21.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। वर्ष 2022-23 के लिये सी.ए.जी. की टिप्पणी अनुलग्नक II में संलग्न है।

22.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण

22.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि:-

- (ए) 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।
- (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का और विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखों का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।
- (सी) कंपनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं को पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को

21.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

After Statutory Audit, the Accounts would be submitted to Comptroller and Auditor General of India for review under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013. Comments of C&AG for the year 2022-23 are enclosed at Annexure-II.

22.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

22.1 Pursuant to the requirement under Section 134(5) of the Companies Act 2013 with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

- a. That in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2023, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- b. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments & estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for the year under review.
- c. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act

रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है।

(डी) वित्त वर्ष 2022-23 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

(एफ) निदेशकों ने प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है।

22.2 वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम 12(1) के अनुसार आवश्यक एमजीटी 7 में वार्षिक रिटर्न एफसीआईएल के वेबसाइट fertcorpindia.nic.in पर उपलब्ध है।

23.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्रीमती नीरजा अदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डी.आई.एन.-09351163)	20.11.2022	अब तक
4. श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269)	4.10.2017	26.09.2022

2013, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. The accounts for the financial year 2022-2023 have been prepared on “Going Concern” basis.

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

22.2 ANNUAL RETURN FOR THE YEAR 2022-23

As required, pursuant to Sec.92(3) of the Companies Act 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management & Administration) Rule 2014, Annual Return in MGT 7 is available on the FCIL website : fertcorpindia.nic.in

23.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1 Smt Neeraja Adidam, Chairman & Managing Director (DIN-09351163)	20-01-2022	Till date
2. Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-07965269)	04.10.2017	26-9-2022

3. श्रीमती गीता मिश्रा 29.09.2021 अब तक
निदेशक
(डी.आई.एन.-09354822)

3. Smt Geeta Mishra, 29-09-2021 Till date
Director (DIN -09354822)

4. श्री जोहन टोपनो, 20.04.2020 अब तक
निदेशक
(डी.आई.एन.-08758583)

4. Shri Johan Topno, 20-04-2020 Till date
Director (DIN- 08758583)

5. श्री पदमसिंग पी पाटिल, 26.09.2022 अब तक
निदेशक (वित्त)
(डी.आई.एन.-09747446)

5. Shri Padamsing P. Patil, 26-09-2022 Till date
Director (Finance)
(DIN-09747446)

23.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में निदेशक मंडल की 5 बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

23.1 **Five** meetings of Board of Directors were held during the financial year 2022-2023. The details of meetings attended by the Directors are given below:

क्र. सं.	नाम	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती नीरजा अदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डी.आई.एन.-09351163)	4
2.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-07965269) (26-09-2022 तक)	1
3.	श्रीमती गीता मिश्रा, (डी.आई.एन.-09354822)	4
4.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-8758583)	5
5.	श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-09747446) (26.09.2022 से)	3

S. No.	Name	Board Meetings Attended
1	Smt Neeraja Adidam, Chairman and Managing Director (DIN-09351163)	4
2.	Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-07965269) (upto 26-9-2022)	1
3.	Smt Geeta Mishra, Director (DIN-09354822)	4
4.	Shri Johan Topno, Director (DIN- 08758583)	5
5.	Shri Padamsing P Patil, Director(Finance) (DIN -09747446)(since 26-9-2022)	3

24.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 177 “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 23.12.2022 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य हैं :

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री जोहन टोपनो, निदेशक | - अध्यक्ष |
| 2. श्री पदमसिंग पी पाटिल,
निदेशक (वित्त) | - सदस्य |
| 3. श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक | - सदस्य |

24.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षा समिति की तीन बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री निरंजन लाल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-09765269)	शून्य
2.	श्रीमती गीता मिश्रा (डी.आई.एन.-09354822)	3
3.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-08758583)	3
4.	श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-09747446)	2

24.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act, 2013, a new section 177, i.e., “Audit Committee” has been inserted, as a measure for better Corporate Governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL, being Private Limited Company, for better Corporate Governance, Audit Committee has been re-constituted by the Board on 23.12.2022 comprising of the following Directors:

- | | |
|--|------------|
| 1. Shri Johan Topno, Director | - Chairman |
| 2. Shri Padamsing P Patil,
Director (Finance) | - Member |
| 3. Smt Geeta Mishra, Director | - Member |

24.1 **Three** meetings of the Audit Committee were held during the financial year 2022-23. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Audit Committee Meetings Attended
1.	Shri Niranjana Lal, Director (Finance) (DIN-09765269)	Nil
2.	Smt Geeta Mishra (DIN- 09354822)	3
3.	Shri Johan Topno (DIN- 08758583)	3
4.	Shri Padamsing P Patil, Director(Finance) (DIN-09747446)	2

25.0 कार्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व

बोर्ड ने 23.12.2022 को निम्न निदेशकों की कार्पोरेट समाजिक उत्तरदायित्व कमेटी बनाई है:

1. श्री जोहन टोपनो, निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) - सदस्य
3. श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक - सदस्य

25.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें हुई हैं। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	लेखा परीक्षा सीमित की बैठकों में उपस्थिति
1.	श्रीमती गीता मिश्रा (डी.आई.एन.-09354822)	3
2.	श्री जोहन टोपनो (डी.आई.एन.-08758583)	3
3.	श्री पदमसिंग पी पाटिल, निदेशक (वित्त) (डी.आई.एन.-09747446)	2

आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं के लिये, सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

25.0 Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

CSR Committee has been re-constituted by the Board on 23.12.2022 comprising of the following Directors:

1. Shri Johan Topno, Director - Chairman
2. Shri Padamsing P Patil, Director (Finance) - Member
3. Smt Geeta Mishra, Director - Member

25.1 **Two** meetings of the Audit Committee were held during the financial year 2022-23. The details of meetings that the Directors attended are given below:

S. No.	Name	Audit Committee Meetings Attended
1.	Smt Geeta Mishra (DIN- 09354822)	2
2.	Shri Johan Topno (DIN- 08758583)	2
3.	Shri Padamsing P Patil, Director(Finance) (DIN-09747446)	1

ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries & Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary,

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं
सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह 0/-
(नीरजा अदिदम)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन-09351163)

पंजीकृत कार्यालय:
7, इन्स्टीट्यूसनल एरिया, स्कोप कम्प्लेक्स,
कोर-III, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक : जून 30, 2023

Department of Fertilizers and other officers
of the Department for their guidance,
cooperation and support.

The Directors also place on record their
sincere thanks to the Comptroller & Auditor
General of India, Statutory Auditors and to the
employees of the Company for their valued
cooperation and support.

**For & on behalf
of the Board of Directors**
Sd/-
(Neeraja Adidam)
Chairman & Managing Director
(DIN-09351163)

Registered Office:
7, Institutional Area, Scope
Complex, Core-III, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Dated : June 30, 2023

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT

ANNEXURE

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 27.06.2023 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 27.06.2023) and Explanations of the Company.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियाँ
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

मामले पर जोर

1. संपत्ति संयंत्रों और उपकरणों में वे इमारतें शामिल हैं जिन्हें पूर्व कर्मचारियों, बैंक और डाक घर आदि को किराये पर दिया गया था। कम्पनी को इससे किराया प्राप्त हुआ था। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि III के अनुसार इससे बैलेन्स शीट में निवेश संपत्ति में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और बैलेन्स शीट में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

इन संपत्तियों को मूल रूप से किराया कमाने के लिए नहीं रखा गया है। इस लिए निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

Emphasis of Matter

1. Property, Plant and Equipment includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it. As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.

These Properties are not basically held to earn rentals, therefor not classified as investment property.

2. कम्पनी ने अपने बही खातों में कर्मचारियों के लिए इण्ड एस-19 के अनुसार बीमा मूल्यांकन के आधार पर दीर्घकालिक सेवा निवृत्त लाभों का प्रावधान नहीं किया है।

कम्पनी के पे रोल पर केवल एक कर्मचारी है। इसलिए बीमांकिक आधार पर प्रदान नहीं किया गया है।

2. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee 'Benefits.

There is only one employee on the pay rolls of the company. Therefore has not been provided on actuarial basis

**ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ने बैलेंस शीट में 3708.03 लाख रुपये के सकल मूल्य का खुलासा किया है। प्रबंधन ने सत्यापन के लिए कोई निश्चित संपत्ति रजिस्टर प्रदान नहीं किया है।

अधिकांश अचल संपत्तियों को या तो अनुपयोगी वस्तुओं के रूप में बेचा जा चुका है या पुर्नजीवित करने वाले संयुक्त उद्यम को उपयोग करने योग्य वस्तुओं के रूप में सौंप दिया गया है। शेष मदों का परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ मिलान किया जा रहा है।

3. Property, Plant and Equipment have disclosed in the Balance Sheet with gross value of Rs 3708.03 lakhs. The management has not provided any fixed asset register for verification.

Most of the fixed assets are either sold as unusable items or handed over to reviving JVs as usable items. Balance items are being reconciled with asset register.

4. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें एफसीआईएल के ई प्रकार के 215 क्वार्टर स्थित थे। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था और उक्त 215 क्वार्टर्स के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान ही खातों से 18,16,957 रुपये के मूल्यह्रास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। हालांकि जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि भूमि अभी भी एफसीआईएल के स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है।

सैनिक स्कूल के लिए 49 एकड़ भूमि का आवंटन एसडीएम गोरखपुर के दिनांक 21.10.2021 के पत्र के अनुसार किया गया था।

हालांकि यह उत्तर प्रदेश सरकार और एफसीआईएल के तहत हस्ताक्षरित वाहन विलेख की शर्तों के अनुसार नहीं है। इस मामले को उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के संज्ञान से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है।

4. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs.18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs.18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22. However as explained by management the land is still in

The allotment of 49 acres of land for Sainik School was as per orders of SDM Gorakhpur vide letter dated 21.10.2021.

Though this is not as per terms of conveyance deed signed under U.P. Govt. & FCIL. The matter has been taken up with Govt. of U.P., through Department of Fertilizers(DoF), Ministry of Chemical and Fertilizers, GoI

**ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt. However, no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.

5. जैसा कि वित्तीय विवरण के लेखों में नोट एफ-10 में कंपनी का संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश में संबंध में कहा गया है। हम वित्तीय विवरण में गैर चालू निवेश के नोट-2 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जहाँ कि IND AS-31 “संयुक्त उद्यमों में रुचि” का प्रावधान है जो कि कंपनी द्वारा लिए गए कानूनी राय के आधार पर है इन कंपनियों के साथ समझौते के खण्डों के अनुसार यह कंपनी यहाँ कही गई संयुक्त उद्यम कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों में संयुक्त नियंत्रण नहीं रखती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए हैं।

कंपनी नवगठित संयुक्त उद्यमों में कंपनी की केवल 11 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इसलिए संयुक्त उद्यम कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

5. Attention is drawn on Note to accounts - F-10 of the financial statements regarding the Company's investments in joint venture companies, as stated in Note-2 Non Current Investment in the financial statements, does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Ind AS-31 ‘Interests in Joint Ventures’; which is based upon the legal opinion obtained by the Company that as per the clauses of the agreements with these companies, it does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid joint venture companies. The company has therefore not prepared consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2022.

The Company has only 11% shareholding in newly formed Joint Ventures and hence does not exercise any control over the economic activities of the Joint Venture Companies.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां

A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण

Reply of the Management

6. (i) तालचेर में कंपनी के 202 क्वार्टरों का आदान-प्रदान एचडब्ल्यूपी क्वार्टरों के क्लस्टरिंग के लिए भारी जल संयंत्र (एचडब्ल्यूपी) के 344 क्वार्टरों के साथ किया गया तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-45 के प्रावधान के अनुसार पूंजीगत लाभ या हानि को दर्ज करने के लिए बही-खातों में ऐसे लेन-देन का कोई प्रभाव प्रदान नहीं किया गया है।

जैसे ही तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर होते हैं, इस मुद्दे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और निपटा दिया जाएगा।

6. i) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.

As soon as the lease deed with Talcher Fertilizers Limited is signed the issue would be finalised and settled.

जीएसटी/टीसीएस संबंधित गैर अनुपालन

1. ई चालान कंपनी पर लागू होता है क्योंकि कुल कारोबार 20 करोड़ रुपये से अधिक है और 1.10.2022 से सीमा का घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, लेकिन कंपनी ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

GST/TCS Related Non Compliance

1. E-invoicing is applicable to the company as aggregate turnover exceeds Rs.20 Cr and from 01.10.2022 the limit is reduced to Rs.10 Cr. But the company has not complied the same in the said period. Penalty for non-generation of e-invoice is 100% of the tax due or Rs.10,000/- whichever is higher for every invoice.

It is being implemented during 2023-2024.

2. कंपनी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा क्योंकि कारोबार 2 करोड़ से अधिक है और जीएसटीआर 9 सी भरना होगा क्योंकि कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है,

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

केंद्रीय कार्यालय नोएडा को छोड़कर सभी इकाईयों ने वार्षिक रिटर्न भरा है।

2. Annual Returns has to be filed by the company since the turnover exceeds Rs. 2 Cr and GSTR 9C to be filed as the turnover exceeds Rs. 5 Cr. All the units have filed the annual return except for the central office Noida

It is under submission.

3. कंपनी ने नोएडा में 913502.00 रुपये के मोटर वाहन किराए की सेवाएं ली हैं, जिस पर सेवा प्रदाता द्वारा जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी आरसीएम के तहत कंपनी पर है जिसका भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है।

3. Company has taken services of renting of motor vehicle in Noida of Rs.9,13,502/- on which GST is not levied by the service provider and the onus of depositing GST is on the company under RCM which is not paid by the company.

No GST was being paid under RCM, as some of the parties are claiming GST in their invoices. However, Payment of GST under RCM has been implemented in 2023-24.

4. कंपनी ने 80000 रुपये की दो कारों को स्कैप और 43640 रुपये का अन्य स्कैप बेचा है, जिस पर कंपनी द्वारा कोई टीसीएस @1% नहीं लगाया गया है, कंपनी ने 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति में उपर्युक्त सभी के लिए आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी है।

2023-24 के दौरान जमा किया गया।

4. Company has sold two old cars scrap of Rs.80,000/- and other scraps Rs.43,640/- on which no TCS (@1%) has been levied by the company. The company has not recognized contingent liability for all the above mentioned in financial statements for the year ending 31.03.2023.

Deposited during 2023-2024.

**ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

5. कंपनी को विभिन्न पक्षों से वसूली योग्य है जो 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.28 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत प्रावधान बनाया गया है। कंपनी को इसे बही खातों में बदे खाते में डालना था क्योंकि यह परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रतिबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों को ओवरस्टेटमेंट होता है।

इसी तरह कंपनी के पास देय है जो 3 साल से अधिक समय से बकाया है, कंपनी को इस खातों की पुस्तकों में बट्टे खाते में लिखना होगा क्योंकि यह परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत देनदारियों के विवरण के परिणामस्वरूप निषिद्ध है।

5. The Company is having recoverable from various parties which are outstanding for more than 3 years for which 100% provision is created by the company of Rs.21.28 Crores. The company required to write it off in books of accounts as it is time barred under Limitation Act, 1963 resulting overstatement of assets.

Similarly, the company is having payables which are outstanding for more than 3 years, the company is required to write it off in books of accounts as it is time barred under Limitation Act, 1963 resulting overstatement of liabilities.

6. 2015-16 से 2021-22 की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न में विचलन के कारण सिंदरी में ईपीएफओ द्वारा 1.31 करोड़ रुपये के अधिभार की मांग की गई है, जिस पर कंपनी ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में ईपीएफओ ने कंपनी को

वर्ष 2023-24 के दौरान विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

Detailed review will be made during 2023-2024.

मामला माननीय रांची उच्च न्यायालय में राहत हेतु लिया जा रहा है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

कोई पूर्व सूचना दिए बिना सिंदरी के बैंक खाते से 84 लाख रुपये निकाल लिए हैं, जिसे आरपीएफसी (विरोध) के तहत दावा) से वसूली योग्य राशि के तहत दिखाया गया है और शेष 47 लाख रुपये आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाए गए हैं, हालांकि ऐसी आपत्ति/अपील से संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. The demand of surcharge of Rs.1.31 Crore is levied by the EPFO in Sindri due to deviation in investment pattern as notified by the EPFO from time to time for the period from 2015-16 to 2021-2022, which has been objected by the company. In regard to this the EPFO has already recovered Rs.84 Lacs from the bank account of Sindri without giving any prior intimation to the company which is shown under Amount recoverable from RPFC (claim under protest) and for balance Rs.47 Lacs is shown under contingent liabilities. However no documentary evidence has been furnished with respect to such objection/appeal.

The matter is being taken up in Hon'ble High Court, Ranchi for relief.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां

A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण

Reply of the Management

(हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सदस्यों को संदर्भित)

(Referred to in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report to the Members of THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED of even date)

- 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का पालन नहीं किया है।

(लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का लेखा-जोखा न करने के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।)

- During the year ended 31st March, 2023, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

- 31 मार्च, 2023 तक 174.79 लाख रुपये की इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन लागत पर किया गया था। भौतिक सत्यापन 23 मई, 2023 को किया गया है और तिजोरी में पाई गई इन्वेन्ट्री जो खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है, जिसके

वर्तमान में, कंपनी के पास मुख्य रूप से भवनों, जल प्रणालियों, सड़क और पुलिया की अचल संपत्ति है। संयंत्र और मशीनरी मूल्यों का मूल्य बहुत कम है अर्थात केवल 8.71 लाख रुपये इस प्रकार मूल्यहास के घटक खाते हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं हैं।

Presently, company is having fixed assets mainly of Buildings, Water Systems, Road & Culverts. The value of Plant & Machinery values is very less i.e. Rs.8.71 lakhs only Thus the component accounts of depreciation is not of much relevance for our company.

यह सिंदरी में प्लैटिनम की लागत है जिसे लॉक और चाबी और सुरक्षा के तहत रखा जाता है। गौरखपुर, रामागुण्डम और तालचेर इकाई में भी प्लैटिनम की कुछ मात्रा उपलब्ध है जिसका बही खातों में कोई हिसाब नहीं है और ऐसा एक बेहिसाब पैकेट सिंदरी

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का कम मूल्यांकन किया गया है:	इकाई में भी उपलब्ध है। अब आरसीएफ के तकनीकी मार्गदर्शन से सामग्री के निपटान की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।
2. Inventories of Rs 174.79 Lakhs as on 31st March, 2023 was valued at cost. The Physical verification has been carried out on 23th May, 2023 and following inventory found in the safe which is not recorded in the books of accounts resulting undervaluation of inventory:	It is the cost of platinum in Sindri Unit which is kept under lock and key and security. Some quantity of platinum is available in Gorakhpur, Ramagundam and Talcher unit also, which have not been accounted for in the Books. One such unaccounted packet is available in Sindri Unit also. Now, with the technical guidance of M/s RCF, the action for dispose off the material has already been taken up.
अ. प्लैटिनम थर्मोकपल वायर 10 ग्राम प्रत्येक वजन के 30 नम्बर (एक सीलबंद पैकेट) इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।	
a) Platinum Thermocouple Wire 30 nos. of 10 gm each weight (One sealed packet). No explanation has been provided by management in this aspect.	
ब. वजन मशीन पर धूल और दुर्दम्य वास्तविक वजन 282 ग्राम (सीलबंद पैकेट के शरीर में 91.79 ग्राम लिखा गया) पाया गया।	
इसके अलावा, वित्त वर्ष 21-22 में 10 जून, 2022 को भौतिक सत्यापन किया गया था और निम्नलिखित विसंगतियां देखी गई थीं, जिसके खातों की पुस्तकों में इन्वेंट्री के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया था:	
b) Dust & Refractory actual weight on weighing machine was found to be 282 gms (written 91.79 gms in the body of sealed packet).	
Further, in FY 21-22 physical verification was carried out on 10th June 2022 and following discrepancies was observed for which no	

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
<p>changes made in the value of inventory in the books of accounts:</p>	
<p>अ. इसने मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम और सैंपल में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।</p>	<p>इन्वेंट्री आइटम सील के तहत रखे जाते हैं और 2002 के बाद कभी नहीं खोले गये हैं। कम और अतिरिक्त वजन केवल नमी सामग्री के कारण होता है।</p>
<p>a) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.</p>	<p>The inventory items are kept under seal and never opened after 2002. The less and excess weight is due to moisture content only.</p>
<p>ब. इसने देखा है कि मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान धूल और कीचड़ में 132.10 कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा (जिसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था) यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लंबी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फूट) के कारण ऐसा होता है।</p>	
<p>हमने मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में प्रबंधन से मूल्यांकन मांगा है, हम चालू वर्ष के लाभ और 31.03.2023 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों पर उपरोक्त के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अनिश्चित हैं।</p>	
<p>b) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it(which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.</p>	

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

We have asked the valuation from management in the absence of valuation report we are uncertain to estimate the effect of above on profit for the current year and assets & liabilities as at 31/03/2023.

3. नोट (एफ) (3) में उल्लिखित पीडीआईएल से प्राप्त शेष राशि सहित व्यापार प्राप्तियों, पूर्व-कर्मचारियों, व्यापार देय और अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में बकाया राशि और प्राप्य राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

पालन हेतु नोट कर लिया है।

गैर-पुष्टि के परिणामी प्रभाव, लाभ और अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

3. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL as referred in Note (F)(3), therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

Noted for Compliance

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 2 में हमारी टिप्पणियों के संचयी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए लाभ पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
--	--

- | | |
|---|--|
| <p>4. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2023.</p> | |
|---|--|

अनुलग्नक 'ख'/ANNEXURE 'B'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. कंपनी की अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में:

1. In respect of the Company's Fixed Assets:

ए. कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रख रही है।

उत्तर मामले पर जोर के क्र.स. 3 पर दिया गया है।

a. The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

The reply is given at Si. No 3 above of Emphasis of matter.

बी. प्रबंधन के पास उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए कोई नीति नहीं है।

b. The management has no policy for physical verification of Property, Plant and Equipment at reasonable intervals.

**ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

सी. हमें एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन भूमियों के मालिकाना हक के विलेख एफसीआईएल के नाम पर हैं और प्रबंधन समय-समय पर इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर रहा है। हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और हमने सिंदरी इकाई के भूमि रिकार्ड का सत्यापन किया है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियां कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई हैं।

c. We have been provided with a certificate of details of land available with FCIL specifying title deeds of these lands are in the name of FCIL and the management is physically verifying the same from time to time. We are relying on the certificate provided by the management and we have verified the land record of Sindri unit. However as per management the following properties not held in the name of the company:

(i) तालचेर में, 0.205 एकड़ भूमि, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं से अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए करार अभी भी निष्पादित किया जाना है।

(i) At Talcher, 0.205 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in formalities with regard to registration in revenue record are yet competed and the agreement for same is still to be executed.

ये मामले उड़ीसा सरकार के राजस्व अधिकारियों के पास लंबित है

The cases are pending with Revenue Authorities, Government of Orissa.

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management

2. In respect of Inventory & Working Capital:

a. As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company units are closed and inventories are held in lock-and-key in Sindri Unit. However, we have carried out physical verification and re-measured through Electronic Weighing Machine on 23rd May 2023 and following unrecorded inventory found:

The reply is given in para 2 above.

- (i) Platinum Thermocouple Wire 30 nos. of 10 gm each weight (One sealed packet). No explanation has been provided by management in this aspect.
- (ii) Dust & Refractory actual weight on weighing machine was found to be 282 gms (written 91.79 gms in the body of sealed packet).

Further, in FY 21-22 physical verification was carried out on 10th June 2022 and following discrepancies was observed for which no changes made in the value of inventory in the books of accounts:

- (i) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.
- (ii) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it(which were measured and re-

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां

A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण

Reply of the Management

corded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

We have asked the valuation from management in the absence of valuation report we are uncertain to estimate the effect of above on profit for the current year and assets & liabilities as at 31/03/2023.

3. सांविधिक देयताएं

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

3. Statutory Dues-

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

क. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात सेवा कर और कुछ मामलो में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा कर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी

पालन हेतु नोट कर लिया है।

ए. क्यू. सं. टिप्पणियां

A.Q.No. Comments on

प्रबंधन के स्पष्टीकरण

Reply of the Management

के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

- a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that(a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported.

Noted for Compliance

सीएसआर दायित्व

- क. चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी के पास 33.76 लाख रुपये की अव्ययित राशि है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतु क के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

**ए. क्यू. सं. टिप्पणियां
A.Q.No. Comments on**

**प्रबंधन के स्पष्टीकरण
Reply of the Management**

CSR Obligations

- a. In respect of other than ongoing projects, the company has Rs.33.76 Lacs unspent amount which needs to be transferred to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act;"

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

आगे लेखा परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पट्टा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

पूर्व कर्मचारियों के साथ पट्टे पर उचित प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर किये जा रहे हैं।

Annexure-C

Limitations of Internal Financial Controls

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between "company" and "ex-employees" by proper authority, which lead to lack of internal financial control in this respect.

Lease with the ex-employees are being signed with proper authority.

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद 3 की धारा (i) के अंतर्गत अंतरिम वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट सहित 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अहंक (क्वालीफाईड) मत

हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2023 तक के तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण (व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव के विवरण और उसी वर्ष को समाप्त कैश "फ्लो विवरणिका और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाएं भी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर उर्पयुक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके के देते हैं। और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 और भारत में आम तौर पर स्वीकार किये जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टीकरण देते हैं। इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह के बारे में संशोधित कम्पनी (भारतीय लेखा

Auditor's Report on the Financial Statements for the year ended 31st March, 2023 including Report on the Internal Financial Controls under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies act, 2013 ("the act")

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS OF THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED

Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31st March 2023, and the statement of Profit and Loss (including comprehensive Income), Statement of changes in equity and the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the effects/possible effects of the matter described in the *Basis for Qualified Opinion section*, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023, and its profit

मानक) नियम, 2015, (“इंड एएस”) और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ें।

अहंक मत के लिये आधार

हम इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ‘ए’ में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं गलत बयानी के प्रभाव और पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण वित्तीय विवरणों पर आधारित गलत बयानों के संभावित प्रभाव जो भौतिक हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर व्यापक नहीं है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एस ए) के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हमसे कंपनी स्वतंत्र है। भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा पाटी आचार संहिता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ जारी किया गया है। और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त आडिट साक्ष्य विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उर्पयुक्त है।

मामले पर जोर

- हम आकस्मिक देनदारियों और वित्तीय विवरण के प्रति प्रतिबद्धता पर लेखों पर टिप्पणी-एम पर ध्यान आकर्षित

(including other comprehensive income), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

We draw attention to the matters described in “**Annexure-A**” to this report, the effects of misstatements and possible effects of undetected misstatements on the financial statements due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence which are material but, not pervasive either individually or in aggregate.

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (“SAs”) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors’s Responsibilities for’ the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

- We draw attention to Note to Accounts-M on contingent liabilities and commitments to the

करते हैं जो ग्राहकों को ऋण की हानि के कंपनी के अनुमानों के संबंध में कोरोना महामारी के कारण अनिश्चितता का वर्णन करता है। और इस तरह के अनुमान महामारी की गंभीरता और अवधि से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

financial statement, which describes the uncertainty caused by Novel Corona virus Pandemic with respect to the company's estimates of impairment of loans to customer and that such estimate may be affected by the severity and duration of the pandemic. Our opinion is not modified in respect of this matter.

2. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरणों में वह भवन शामिल हैं जिन्हें पूर्व कर्मचारियों बैंक एवं डाकघर, आदि को किराए पर दिया गया था। कंपनी ने उनसे किराया प्राप्त किया था। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि-III के अनुसार इसे तुलन पत्र के पहले अलग से दिखाया जाना चाहिए।
2. Property, Plant and Equipment includes the Building which were lease out at Rent to ex-employees, Bank and Post office etc., the company received the rent from it .As per Schedule –III of Companies Act, 2013 it must be classified in Investment property in Balance Sheet and Shown separately on the face of Balance Sheet.
3. कंपनी ने बीमांकित मूल्यांकन के आधार और IND AS-19 कर्मचारी लाभ के अनुसार कंपनी के पे रोल पर अपने दीर्घकालिक सेवानिवृत्त लाभ के लिए अपने बही खातों में कोई प्रावधान नहीं किया है।
3. The Company has not provided for in its books of accounts for Long Term Retirement Benefit for its employees that are on payroll of the company based on actuarial valuation and as per in IND AS -19 Employee 'Benefits.
4. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 215 ई टाइप क्वार्टरों की संख्या शामिल हैं। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था। और वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त 215 लिए क्वार्टरों 18,16,957 रुपये के मूल्यहास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। हालांकि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है, भूमि अभी भी एफसीआईएल के स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-45 के प्रावधान के
4. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs.18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs.18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22 .However as explained by management the land is still in ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt. However, no effect of such transaction has been provided in the

अनुसार पूंजीगत लाभ अथवा हानि को दर्ज करने के लिए बही-खातों में ऐसे लेन-देन के किसी प्रभाव का प्रावधान नहीं किया गया है।

books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.

- | | |
|---|---|
| <p>5. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मे बैलेंस शीट में 3715.11 लाख रुपये के सकल मूल्य का खुलासा किया है। प्रबंधन ने सत्यापन के लिए कोई निश्चित संपत्ति रजिस्टर प्रदान नहीं किया है। तथापि, फर्नीचर एवं फिक्स्चर और कार्यालय उपकरणों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए तैयार किया गया है और हम उसी पर भरोसा कर रहे हैं।</p> | <p>5. Property, Plant and Equipment have disclosed in the Balance Sheet with gross value of Rs 3715.11 lakhs. The management has not provided any fixed asset register for verification. However the Physical Verification Report/Certificate of Furniture & Fixture and Office Appliances has produced for verification and we are relying on the same.</p> |
| <p>6. गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 49 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 215 ई प्रकार के क्वार्टर की संख्या शामिल है। सैनिक स्कूल के प्रबंधन ने 31.03.2022 से पहले की अवधि के दौरान उपरोक्त क्वार्टरों को ध्वस्त कर दिया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल मूल्य 18,25,988 रुपये कम हो गया था और वर्ष 21-22 के दौरान उक्त 215 के लिए 18,16,957 रुपये के मूल्यह्रास के प्रावधान को कम कर दिया गया था। हालांकि जैसा कि प्रबंधन द्वारा समझाया गया है कि भूमि अभी भी एफसीआईएल के स्वामित्व में है, जबकि कब्जा और उपयोग यूपी सरकार को सौंप दिया गया है।</p> | <p>6. In Gorakhpur unit, 49 acres of land have been allotted for construction of Sainik School by UP Govt. in which 215 nos. of E Type quarters of FCIL were situated. The Management of Sainik School have demolished the above quarters during the period before 31.03.2022. The gross value of Property, Plant and Equipment had reduced of Rs.18,25,988/- and reduced provision for depreciation of Rs.18,16,957/- for said 215 nos. of quarters from the books of accounts during the FY 2021-22. However as explained by management the land is still in ownership of FCIL, whereas the possession and usage are handover to UP Govt.</p> |
| <p>7. तलचर एकक में हैवी वाटर प्लांट के क्वार्टर एकमुश्त करने हेतु उनके 344 क्वार्टर से कंपनी के 202 क्वार्टर को तबादला किए हालांकि इसका रिकार्ड में कोई कैपिटल गेन्स या नुकसान का इन्कम टैक्स एक्ट 1961 के सैक्सन 45 के अन्तर्गत कोई प्रभाव नहीं किया गया।</p> | <p>7. At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of such transaction has been provided in the books to record the capital gain or loss as per the provision of Section -45 of the Income tax Act, 1961.</p> |

8. जीएसटी/टीसीएस से संबंधित गैर-अनुपालन

- i. ई-चालान कम्पनी के लिए लागू है क्योंकि कुल कारोबार 20 करोड़ रुपये से अधिक है और 01.10.2022 से सीमा को घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन कम्पनी ने उक्त अवधि में इसका अनुपालन नहीं किया है। ई-चालान न बनाने पर जुर्माना देय कर का 100% या प्रत्येक चालान के लिए 10,000/- रुपये, जो भी अधिक हो, है।
- ii. कम्पनी को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा क्योंकि कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है और जीएसटीआर 9 सी दाखिल करना होगा क्योंकि कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक है। केन्द्रीय कार्यालय नौएडा को छोड़कर सभी इकाइयों ने वार्षिक रिटर्न दाखिल किया है।
- iii. कम्पनी ने नौएडा में 9,13,502 रुपये के मोटर वाहन के किराये की सेवाएं ली हैं, जिस पर सेवा प्रदाता द्वारा जीएसटी नहीं लगाया जाता है और जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी आरसीएम के तहत कम्पनी पर है जिसका भुगतान कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।
- iv. कम्पनी ने 80,000 रुपये की दो पुरानी कारों को स्कैप और 43,640 रुपये अन्य स्कैप को बेचा है, जिस पर कम्पनी द्वारा कोई टीसीएस (@ 1%) नहीं लगाया गया है।

कम्पनी ने 31.03.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त सभी के लिए आकस्मिक देयता को मान्यता नहीं दी है।
- v. कम्पनी को विभिन्न पक्षों से वसूली योग्य है जो 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, जिसके लिए कम्पनी द्वारा 21.28 करोड़ रुपये का 100% प्रावधान बनाया गया है। कम्पनी को इसे बही-खातों में बदे खाते में डालना होता है क्योंकि परिसीमा अधिनियम, 1963 के

8. GST/TCS Related Non Compliance

- i. E-invoicing is applicable to the company as aggregate turnover exceeds Rs.20 Cr and from 01.10.2022 the limit is reduced to Rs.10 Cr. But the company has not complied the same in the said period. Penalty for non-generation of e-invoice is 100% of the tax due or Rs.10,000/- whichever is higher for every invoice.
- ii. Annual Returns has to be filed by the company since the turnover exceeds Rs. 2 Cr and GSTR 9C to be filed as the turnover exceeds Rs. 5 Cr. All the units have filed the annual return except for the central office Noida.
- iii. Company has taken services of renting of motor vehicle in Noida of Rs.9,13,502/- on which GST is not levied by the service provider and the onus of depositing GST is on the company under RCM which is not paid by the company.
- iv. Company has sold two old cars scrap of Rs.80,000/- and other scraps Rs.43,640/- on which no TCS (@1%) has been levied by the company.

The company has not recognized contingent liability for all the above mentioned in financial statements for the year ending 31.03.2023.
- v. The Company is having recoverable from various parties which are outstanding for more than 3 years for which 100% provision is created by the company of Rs.21.28 Crores. The company required to write it off in books of accounts as it is time barred under

तहत यह प्रतिबंधित है। इसी तरह, कम्पनी के पास 3 साल से अधिक समय से बकाया भुगतान है, कम्पनी को इसे खातों की पुस्तकों में लिखना आवश्यक है क्योंकि यह परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत समय पर रोक है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारियों का ओवरस्टेटमेंट होता है।

- vi. 2015-16 से 2021-2022 की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न में विचलन के कारण सिंदरी में ईपीएफओ द्वारा 1.31 करोड़ रुपये के अधिभार की मांग की गई है, जिस पर कम्पनी द्वारा आपत्ति जताई गई है। इस संबंध में ईपीएफओ ने कम्पनी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना सिंदरी के बैंक खाते से 84 लाख रुपये पहले ही वसूल कर लिए हैं, जो आरपीएफसी से वसूली योग्य राशि (विरोध के तहत दावा) के तहत दिखाया गया है और शेष 47 लाख रुपये आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है तथापि, ऐसी आपत्ति/अपील के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- vii. प्रबंधन के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कोई राशि बकाया नहीं थी जैसा कि वित्तीय विवरण में बताया गया है, और हम प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं।

इस मामले पर हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य मामले

जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, आवश्यक रिकार्ड, रिपोर्ट, दस्तावेज और प्रमाण पत्र हमें डिजिटल माध्यम और ईमेल के माध्यम से इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस हद तक, ऑडिट प्रक्रिया हमें उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और

Limitation Act, 1963 resulting overstatement of assets. Similarly, the company is having payables which are outstanding for more than 3 years, the company is required to write it off in books of accounts as it is time barred under Limitation Act, 1963 resulting overstatement of liabilities.

- vi. The demand of surcharge of Rs.1.31 Crore is levied by the EPFO in Sindri due to deviation in investment pattern as notified by the EPFO from time to time for the period from 2015-16 to 2021-2022, which has been objected by the company. In regard to this the EPFO has already recovered Rs.84 Lacs from the bank account of Sindri without giving any prior intimation to the company which is shown under Amount recoverable from RPFC (claim under protest) and for balance Rs.47 Lacs is shown under contingent liabilities. However no documentary evidence has been furnished with respect to such objection/appeal.
- vii. As per the management no amount was outstanding to Micro Enterprises & Small Enterprises as disclosed in the financial statement, and we are relying on the information provided by management

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Other Matters

Wherever physical access was not possible, necessary records, reports, documents and certificates were made available to us by the unit through digital medium and emails. To this extent, the audit process was carried out on the basis of such documents, reports and records made

रिकार्ड के आधार पर की गई थी, जिन्हें वर्तमान अवधि के लिए अडिट करने और रिपोर्टिंग करने के लिए अडिट साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था। ऑडिट प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में इस तरह के प्रतिबंध हैं

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय

प्रमुख लेखा परीक्षा विषय वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हमारी राय बनाने में, हम इन विषयों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

एस ए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों की रिपोर्टिंग कंपनी पर प्रमुख लेखा परीक्षा विषय लागू नहीं होते क्योंकि यह एक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त किया था। इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल है जिसे हमें उस तारीख के पश्चात उपलब्ध किए जाने की आशा है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार में अन्य जानकारीयाँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार के निष्कर्ष पर आश्वासन को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Such restrictions in performing audit procedures have enhanced the risk in effectively carrying out the audit and the quality of audit evidence gathered by us.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the draft Directors' Report including annexure to Directors' Report, which we obtained prior to the date of this auditors' report and other reports included in the Annual report, which are expected to be made available to us after that date, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते हुये हम विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी लेश मात्र असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा लेश मात्र भी गलत बयानी प्रतीत होती है।

यदि इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य सूचनाओं के आधार पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि यह इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें लेश मात्र भी गलत बयानी हैं तो इस मामले को जिनके नियंत्रण में कार्यपालन था, से आरोपितों को सूचित करना आवश्यक है।

प्रबंधन और वित्तीय विवरणों के तैयार करने वालों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जो कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित तथा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के तहत लेखा मानकों और भारत में सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हो जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह पर सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित हैं, पर्याप्त लेखा रिकार्ड का रख-रखाव, कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकना तथा पता लगाना, उचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करना, निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो कि उचित और

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, and in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the full Annual report which is expected to be made available to us after the date of this auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of the Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act, 2013. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other

विवेकपूर्ण हों, डिजाइन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और अनुरक्षण प्रभावी ढंग से प्रचालन, सही और पूरी तरह से लेखा रिकार्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना और प्रस्तुत करना जो कि सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों और जो छोटी सी भी गलत बयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन आकलन के लिये जिम्मेदार है कि कंपनी चालू कंपनी है के रूप में कार्य करने में समर्थ है, चालू कंपनी से संबंधित मामले, जहाँ आवश्यक हों खुलासा करना और लेखांकन के लिये चालू कंपनी के आधार का उपयोग करना और जब तक प्रबंधन कंपनी को बन्द करने को तैयार होती है या प्रलाचन बंद करती है या उसके पास ऐसा करने के लिये वास्तविक विकल्प नहीं हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य पूरे वित्तीय विवरण जो लेखमात्र की गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या गलती से हो, से संबंधित उचित आश्वासन को प्राप्त करना है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन गारंटी नहीं है कि जो लेखा परीक्षा एस ए के अनुसार किया गया है जब वह सामने आयेगा वह हमेशा लेखमात्र की गलत बयानी का पता लगायेगा। गलत बयानी धोखा या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और लेख मात्र मानी जाती है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं

irregularities; selection and application of appropriate of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to

के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं।

हम:

- वित्तीय विवरणों के लेश मात्र की गलत बयानी के जोखिम का पता लगाते हैं और आकलन करते हैं। चाहे वह धोखा या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन और निष्पादन करते हैं। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली लेश मात्र की गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के जोखिम से बहुत बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, अंतराष्ट्रीय चूक, गलत प्रतिनिधित्व या आंतरिक नियंत्रण की बहुतायत शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रासंगिक की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात पर अपना मत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावी रूप से होता है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली चालू कंपनी के आधार पर लेखांकन की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर चाहे लेशमात्र की अनिश्चित घटनाएं या स्थितियां विद्यमान हों, चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की कंपनी की

influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override on internal control.
- Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Act, We are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast

योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि लेशमात्र की अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है और यदि ये खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करने के लिये ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को चालू कंपनी के रूप में जारी रखने से रोक सकती हैं।

- वित्तीय विवरणों के खुलासे सहित समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और वित्तीय विवरण अन्तर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि वह उचित प्रस्तुति करते हों।

भौतिकता वित्तीय विवरण में गलत विवरण का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है वित्तीय विवरण के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम अपनी ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने और वित्तीय में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मानात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों सहित आडिट की योजनाओं गुंजाइश और आडिट समय और महत्वपूर्ण आडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को, जिसे हम आडिट के दौरान पहचानते हैं, को बताते हैं।

हम उन्हें, जो गवर्नेन्स में आरोपित हैं को तैयार किये गये, स्वतंत्रता के विषय में नैतिक जरूरतों से संबंधित बयान को भी

significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosure are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have compiled with

उपलब्ध कराते हैं और सभी संबंधों को तथा अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से समझते हैं, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को उन्हें बताते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसे कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 में अपेक्षित है, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार हम अनुलग्नक 'क' में आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट है जहाँ तक लागू होने योग्य हो, के अंतर्गत एक विवरणिका दे रहे हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की मांग के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अर्हक मत एवं मामले पर जोर के भाग में जो दिया गया है उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।
 - ख. केवल 'अर्हक मत के लिये आधार' और 'मामले का जोर' के पैराग्राफ में वर्णित संभावित प्रभाव के विषय को छोड़कर, हमारे विचार में जैसा कि हमें उन बहियों को जाँचने पर जान पड़ता है, कम्पनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।
 - ग. अर्हक मत का आधार और मामले पर जोर के पैरा में वर्णित मामलों के संभावित प्रभाव को छोड़कर इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, समग्र आय, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters, that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act 2013, we give in the "**Annexure B**" a statement on the matters specified in Paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by Section 143(3) of the Act, based on audit we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit except the matters described in the basis for qualified opinion and matters of emphasis section of our audit.
 - b. Except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, including other comprehensive income, Statement of Changes in Equity and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account Except for the possible effects of the matters

described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs.

- घ. हमारे मत में उपर्युक्त वर्णित वित्तीय विवरण, इण्ड ए एस में वर्णित अधिनियम की धारा 133, कम्पनी (लेखा) 2015 के नियम 7 के साथ पढ़ें, का अनुपालन करते हैं केवल संभावित प्रभाव क्वालीफाईड मत का आधार और मत का जोर में वर्णित होने वाले संभावित प्रभाव को छोड़कर और कंपनी द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए वास्तविक आधार पर किये गये प्रावधान को छोड़कर जो कि लागू इण्ड ए एस-19 “कर्मचारी लाभ” में से बाहर होना निर्धारित है।
- ड. हमारे विचार में, उपर्युक्त क्वालीफाईड मत के लिये आधार के पैराग्राफ में वर्णित विषय, कम्पनी के चलने में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- च. योग्य राय अनुभाग के आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभावों के अधीन, हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करता है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।
- छ. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में कंपनी निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 164 (2) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- ज. कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में और इस प्रकार के नियंत्रण का प्रचालन प्रभाव, अनुलग्नक ‘ख’ में हमारे अलग रिपोर्ट में संदर्भित है।
- d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Ind AS specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2015 except for the possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion and Emphasis of Matter paragraphs and except that the Company has made provision for retirement on actual basis which constitutes a departure from applicable Ind AS-19 “Employee Benefits”.
- e. The matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the Company.
- f. Subject to the effects of the matters mentioned in the *Basis for Qualified Opinion* section, in our opinions the aforesaid Financial Statement comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014
- g. In pursuance to the Notification No. G.S.R 463 (E) dated 05-06-2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Section 164 (2) of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors, is not applicable to the Company, being a Government Company.
- h. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “**Annexure C**”.

3. अन्य मामलों के संबंध में, जो कि लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार सम्मिलित होगा।

निदेशको को परिश्रमिक के संबंध में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.-जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है। मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुच्छेद 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी करने की आवश्यकता है।

4. कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 11 के अनुसार अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हैं, हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरण में लंबित मुकदमों का वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा 31 मार्च 2022 तक का कर दिया है; और

ख. कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न (डिरीवेटिव) अनुबंध सहित दीर्घ अवधि के अनुबंध नहीं थे जिसके लिये थोड़ी सी भी निकट हानि हो और

ग. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

घ. (क) समूह प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट 19 देखें), कि, उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) को तो उधार नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से)। इसमें विदेशी

3. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under Section 197(16) of the Act:

As per notification number G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 197 of the Act regarding remuneration to directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company. The Ministry of Corporate Affairs has not prescribed other details under Section 197(16) of the Act which are required to be commented upon by us.

4. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

a. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements as on 31st March, 2022; and

b. The company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and

c. There have been no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

d. (a) The Management of the Group has represented (Refer Note 19), that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium

संस्थाएं (“मध्यस्थ”) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समूह (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

or any other sources or kind of funds) by the Group, to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Intermediaries”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group, (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(ख) समूह के प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है (नोट 19 देखें) कि, उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (“फंडिंग पार्टियों”) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था (ओं) से कोई भी धन (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (“अंतिम लाभार्थी”) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(b) The Management of the Group, has represented (Refer Note 19) that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Group from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (“Funding Parties”), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Group, shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (“Ultimate Beneficiaries”) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे, संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई सामग्री गलत विवरण है।

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances performed by us, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material mis-statement.

5. जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(5) के तहत आवश्यक है, हम अनुबंध डी में भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की सुनाई गई कार्य प्रणाली उस पर कार्यवाही और कंपनी

5. As required under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013, we give in the “**Annexure - D**”, a statement on the Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India

के खातों और वित्तीय विवरण पर इनके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देश पर एक विवरण देते हैं।

after complying with their suggested methodology of audit, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the Company.

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यूडीआईएन : 235065B40AJ53832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2023

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN. 235065B40AJ53832

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023

अनुलग्नक 'क'

Annexure 'A'

(हमारी रिपोर्ट के 'योग्य राय के आधार' खंड में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सदस्यों को संदर्भित)

(Referred to in 'Basis for Qualified Opinion' section of our report to the Members of THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED of even date)

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए घटक अनिवार्य हो गया था। कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का पालन नहीं किया है।

- During the year ended 31st March, 2022, the component accounting for depreciation of fixed assets had become mandatory as per companies act, 2013. The company has not followed the mandatory component accounting for depreciation of its fixed assets.

लाभ और अन्य संबंधित खातों पर अचल परिसंपत्तियों के मूल्यहास के लिए अनिवार्य घटक का लेखा-जोखा न करने के परिणामी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

The consequential impact of non-accounting of mandatorily component accounting for depreciation of fixed assets on profit and other related accounts could not be ascertained.

- 31 मार्च, 2023 तक 174.79 लाख रुपये की इन्वेंट्री का मूल्य लागत पर लगाया गया है। भौतिक सत्यापन 23 मई, 2023 को किया गया है और तिजोरी में पाई गई इन्वेंट्री जो खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का कम मूल्यांकन किया गया है:

- Inventories of Rs 174.79 Lakhs as on 31st March, 2023 was valued at cost. The Physical verification has been carried out on 23th May, 2023 and following inventory found in the safe which is not recorded in the books of accounts resulting undervaluation of inventory:

क) प्लैटिनम थर्मोकपल वायर 30 प्रत्येक वजन 10 ग्राम (एक सीलबंद पैकेट) इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

a) Platinum Thermocouple Wire 30 nos. of 10 gm each weight (One sealed packet). No explanation has been provided by management in this aspect.

ख) वजन मशीन पर धूल और दूरदम्य वास्तविक वजन 282 ग्राम (सीलबंद पैकेट के शरीर में 91.79 ग्राम लिखा गया) पाया गया।

b) Dust & Refractory actual weight on weighing machine was found to be 282 gms (written 91.79 gms in the body of sealed packet).

इसके अलावा, वित्त वर्ष 21-22 में 10 जून 2022 को भौतिक सत्यापन किया गया था और निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई थीं, जिसके लिए खातों की पुस्तकों में इन्वेंट्री के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया था:

Further, in FY 21-22 physical verification was carried out on 10th June 2022 and following discrepancies was observed for which no changes made in the value of inventory in the books of accounts:

क) इसमें मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम का नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ख) इनसे पाया है कि मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान धूल और कीचड़ में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा () हजसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था) यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लम्बी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फूट) के कारण ऐसा होता है।

हमने मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में प्रबंधन से मूल्यांकन मांगा है, हम चालू वर्ष के लाभ और 31.03.2023 को परिसंपत्तियों पर उपरोक्त के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अनिश्चित हैं।

3. नोट (एफ) (3) में उल्लिखित पीडीआईएल से प्राप्त शेष राशि सहित व्यापार प्राप्तियों, पूर्व-कर्मचारियों, व्यापार देय और अन्य के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में बकाया राशि और प्राप्य राशि की वास्तविकता पर अपनी राय देने की स्थिति में नहीं हैं।

गैर-पुष्टि के परिणामी प्रभाव, लाभ और अन्य संबंधित खातों पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका

a) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.

b) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it(which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

We have asked the valuation from management in the absence of valuation report we are uncertain to estimate the effect of above on profit for the current year and assets & liabilities as at 31/03/2023.

3. No confirmation received in respect of balances of trade receivables, ex-employees, trade payables and others including balances receivable from PDIL as referred in Note (F)(3) , therefore we are not in condition to give our opinion on genuineness of amount outstanding and receivables in balance sheet at the year end.

The consequential impact of non-confirmation, impact on profit and other related accounts could not be ascertained.

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 2 में हमारी टिप्पणियों के संचयी प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि प्रबंधन ने 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के वर्ष, परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए लाभ पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया है।

4. Cumulative impact of our observations in paragraph 1 to 2 above is not ascertainable as the management has not made estimate of their effect on profit for the year, assets and liabilities of the Company as at 31st March, 2023.

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यूडीआईएन : 235065B40AJ53832

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN. 235065B40AJ53832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.06.2023

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023

अनुलग्नक 'ख'

Annexure 'B'

अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट

Report on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act.

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के शीर्षक "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

Referred to in paragraph 1 under the heading "Report on other legal and regulatory requirements" of our report of even date.

1. कंपनी की अचल संपत्तियों के संबंध में:

ए. कंपनी मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकार्ड नहीं रख रही है।

बी. उचित अंतराल पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के पास कोई नीति नहीं है।

सी. हमें एफसीआईएल के पास उपलब्ध भूमि के ब्यौरे का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि इन भूमियों के मालिकाना हक के विलेख एफसीआईएल के नाम पर हैं और प्रबंधन समय-समय पर इसका भौतिक रूप से सत्यापन कर रहा है। हम प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर भरोसा कर रहे हैं और हमने सिंदरी इकाई के भूमि रिकार्ड का सत्यापन किया है। तथापि, प्रबंधन के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियां कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई हैं।

(i) तालचेर में, 0.205 एकड़ भूमि, जो वास्तविक रूप से कंपनी के कब्जे में है, राजस्व रिकार्ड में पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया

1. In respect of the Company's fixed assets:

a. The company is not maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment;

b. The management has no policy for physical verification of Property, Plant and Equipment at reasonable intervals.

c. We have been provided with a certificate of details of land available with FCIL specifying title deeds of these lands are in the name of FCIL and the management is physically verifying the same from time to time. We are relying on the certificate provided by the management and we have verified the land record of Sindri unit. However as per management the following properties not held in the name of the company:

(i) At Talcher, 0.205 Acres of land which is physically in the possession of Company, the formalities with regard to registration in

जा सका है। और इसके लिए करार अभी भी निष्पादित किया जाना है।

- (ii) तालचर में कंपनी के 202 क्वार्टरों को एचडब्ल्यूपी के 344 क्वार्टरों को क्लस्टरिंग के लिए के आदान-प्रदान किया गया था हालांकि इस विनिमय का कोई प्रभाव नहीं दिया गया है और पुस्तकों और अभिलेखों में प्रदान किया गया है।

डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

इ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

2. इन्वेंट्री और कार्यशील पूंजी के संबंध में:

ए. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। कंपनी यूनिट्स बंद हैं और इन्वेंट्री लाक-एंड-की में रखी गई है। हालांकि, हमने 10 जून 2022 को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन के माध्यम से भौतिक सत्यापन और पुनः मापा है और निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:

- प्लैटिनम थर्मोकपल वायर 30 नंबर। प्रत्येक का वजन 10 ग्राम (एक सीलबंद पैकेट)। इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- वजन मशीन पर धूल और दुर्दम्य वास्तविक वजन 282 ग्राम (सीलबंद पैकेट के शरीर में 91.79 ग्राम लिखा गया) पाया गया।

revenue record are yet to be completed and the agreement for same is still to be executed.

- (ii) At Talcher 202 Quarters of company were exchanged with 344 quarters of Heavy Water Plant (HWP) for clustering of HWP quarters; however no effect of this exchange has been given and provided in the books and records.

d. The company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year.

e. No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made there under.

2. In respect of Inventory & Working Capital:

a. As informed to us, the physical verification of inventory was not conducted at reasonable intervals during the year by the management. The company Units is closed and inventories are held in lock-and-key. However, we have carried out physical verification and re-measured through Electronic Weighing Machine on 10th June 2022 and following discrepancies found:

- Platinum Thermocouple Wire 30 nos. of 10 gm each weight (One sealed packet). No explanation has been provided by management in this aspect.
- Dust & Refractory actual weight on weighing machine was found to be 282 gms (written 91.79 gms in the body of sealed packet).

इसके अलावा, वित्त वर्ष 21-22 में 10 जून 2022 को भौतिक सत्यापन किया गया था और निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गई थीं, जिसके लिए खातों की पुस्तकों में इन्वेंट्री के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया था

- (i) इसमें मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान एचपी न्यू में 48.90 ग्राम का नमूना में 0.10 ग्राम का अतिरिक्त वजन देखा है। इस पहलू में प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- (ii) इनसे पाया है कि मौजूदा इन्वेंट्री रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान धूल और कीचड़ में 132.10 ग्राम कम वजन पाया गया था। प्रबंधन के अनुसार यह इसमें नमी की मात्रा () हजसे 2002 से पहले मापा और दर्ज किया गया था) यानी 20 साल पहले है, जिसके परिणामस्वरूप 20 से अधिक वर्षों की इस लम्बी अवधि के दौरान सूखे (प्राकृतिक टूट-फूट) के कारण ऐसा होता है।

हमने मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में प्रबंधन से मूल्यांकन मांगा है, हम चालू वर्ष के लाभ और 31.03.2023 को परिसंपत्तियों पर उपरोक्त के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अनिश्चित हैं।

- बी. कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

3. कंपनी द्वारा दिये गये ऋण

हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित की प्रकृति में कोई

Further, in FY 21-22 physical verification was carried out on 10th June 2022 and following discrepancies was observed for which no changes made in the value of inventory in the books of accounts:

- (i) It has observed Excess weight of 48.90 gms in HP New and 0.10 gms in Sample in piece during physical verification with existing inventory records. No explanation has been provided by management in this aspect.
- (ii) It has observed Short weight 132.10 gm in Dust & Mud was found during the physical verification with existing inventory records. As per management the same is due to moisture content in it(which were measured and recorded before 2002) i.e., 20 years before, which resulted due to dried (natural wear & tear) during this long period of more than 20 years.

We have asked the valuation from management in the absence of valuation report we are uncertain to estimate the effect of above on profit for the current year and assets & liabilities as at 31/03/2023.

- b. The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crore, in aggregate, at any points of time during the year, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii)(b) of the Order is not applicable.

3. Loans given by Company-

According to the information and explanations given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in

गारंटी या सुरक्षा प्रदान की गई या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है, या किसी अन्य इकाई को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से 3 (iii) एफ के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

4. कंपनी के द्वारा ऋण एवं निवेश

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, निम्नलिखित निवेश को छोड़कर जिसे कंपनी की विभिन्न इकाइयों के पुनरुद्धार में किया गया था। कम्पनी ने कोई ऋण, नहीं दिया है, निवेश नहीं किया है या गारंटी नहीं दी है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान के अंतर्गत संरक्षित है:

रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अवसर लागत के लिए प्राप्त इक्विटी शेयर का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2014-15 में कंपनी ने मैसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. (आरएफसीएल) के रु.10/- की दर से 10,000 इक्विटी शेयर के लिए रु. 1 लाख का भुगतान किया और कंपनी को 10,000 इक्विटी शेयर का आवंटन हो गया है और शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं, हालांकि, वर्ष 2017-18 में आरएफसीएल ने एफसीआईएल को 92.52 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर जारी किया है, जबकि कंपनी के एसोसिएशन के लेख (आरएफसीएल) की शर्तों के अनुसार 10 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर इसके योगदान के मूल्य के खिलाफ वर्ष 2018-19 के

the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. The Company has not provided any loans or advances in the nature of loans or stood guarantee, or provided security to any other entity during the year, and hence reporting under clause 3(iii)(a) to 3(iii)f of the Order is not applicable.

4. Loan and Investment by the Company-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given loans, made investments or given guarantees which are covered by the provisions of Section 185 and 186 of the Act except the following investments had been made for reviving the company units at various location :

Ramagundam Unit

Equity Shares are received for Land use, usable assets and opportunity cost are under:

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs. 1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18 RFCL has issued equity share of Rs 92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of article of association of the company (RFCL). During the year 2018-19 the Company has

दौरान कंपनी को 23.27 करोड़ रुपये, 1919-20 इक्विटी शेयर 28.70 करोड़ रुपये, 2021-22 में 44.90 करोड़ रुपये और चालू वर्ष के दौरान 18.54 करोड़ रुपये का इक्विटी शेयर प्राप्त हुआ है।

तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने तलचर फर्टिलाइजर लि. (टीएफएल) (पूर्व में राष्ट्रीय कोल एवं गैस फ. लि.) में रु. 50 लाख का निवेश किया और रु.10/- प्रति शेयर की दर से 5,000 इक्विटी शेयर प्राप्त किए।

सिंदरी गोरखपुर/इकाई:

वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. (एचयूआरएल) में रु.10/- प्रति शेयर की दर से 16,667 इक्विटी शेयरों के लिए रु.1,66,670 का निवेश किया कंपनी द्वारा शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए गये हैं। एचयूआरएल के साथ संयुक्त उद्यम करार के अनुसार गोरखपुर और सिंदरी संयंत्रों की कुल इक्विटी शेयरधारिता के 10.99% इक्विटी शेयर जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. जमा

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

6. लागत रिकार्ड

कम्पनी के सभी एकक बंद पड़े हैं और पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उत्पादन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी अधिनियम 2013 की

received equity share of Rs 23.27 Crore, 2019-20 equity share Rs 28.70 crore, 2020-21 Rs.44.90 Crore & Rs.18.54 Crore during the 2021-22 amounting to Rs.207.94 Crore.

Talcher unit:

During the year 2015-16 the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

Sindri Unit/ Gorakhpur unit:

During the year 2016-17 the company has made an investment of Rs1,66,670/- in Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs10/- each. The share certificates have been received by the company. The action for issuing equity shares @ 10.99% of total equity share holding of Gorakhpur & Sindri Plants is under process in terms of Joint Venture Agreement with HURL.

5. Deposits-

In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

6. Cost Records-

All the units of the Company are closed and there was no production during the financial year, thus as per provisions of the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014

धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कम्पनी, लागत रिकार्ड को रखने के लिये बाध्य नहीं है।

7. सांविधिक देयताएं

हमें सांविधिक देयताओं के संबंध में दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार:-

क. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के जांच के आधार पर, कम्पनी अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, सैस तथा अन्य सांविधिक देयताओं को उचित प्राधिकरण के पास नियमित रूप से जमा किया है केवल कुछ देरी को छोड़ कर केवल इस बात को छोड़ कर कि (क) कम्पनी पार्टियों से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात सेवा कर और कुछ मामलों में जीएसटी जमा करती है जबकि सेवाकर के लिये क्रमशः सेवाकर अधिनियम और जीएसटी अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार प्रोद्भवन आधार पर सेवा पर जमा करने के लिये कम्पनी बाध्य है। कई लेन-देन को देखते हुये और पूरी जानकारी के अभाव में जो कि कंपनी द्वारा सेवा कर/जीएसटी के बारे में संकलित की जानी है, कुछ मामलों में राशि और दिनों में देरी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

ख. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2021 तक कोई अविवादास्पद देय राशि, भविष्य निधि, राज्यकर्मचारी बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयताओं से संबंधित बकाया जो कि जिस दिनांक से भुगतान करने योग्य हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

prescribed by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, the Company is not liable to maintain cost records.

7. Statutory Dues-

According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:

a. According to the information and explanations given to us on the basis of our examination of the books of account, the company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues, subject to few delays, including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess and any other material statutory dues with the appropriate authorities except that (a) the Company is depositing service tax and in certain cases GST with central government on receipt of payments from parties whereas the company is liable to deposit the service tax on actual basis as per provisions of service tax act and GST Act respectively. Considering the number of transactions and in the absence of complete details to be compiled by the Company of Service tax/ GST the amount and period of delay in certain cases would not be reported.

b. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax and cess and other material statutory dues were outstanding, as on 31st March, 2022 for a period of more than six months from the date they become payable except the following:

सांविधिक का नाम Name of statutes	देयता का प्रकार Nature of due	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। Period to which the Amount	नियत दिनांक Due date	जमा करने का दिनांक Date of deposit	टिप्पणी Remarks
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	5.09 5.09	1975-76 1975-76	उपलब्ध नहीं N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
कस्टम अधिनियम 1962 Custom Act 1962	सीमा शुल्क (कोरबा) Custom duty (Korba)	580.00 580.00	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
म.प्र.प. सरकार वन विभाग मुआवजा M.P. govt. forest growth compensation	मुआवजा (कोरबा) Compensation (Korba)	8.66 8.66	1975-76 1975-76	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
स्थानीय प्राधिकरण (कोरबा) Local Authority (Korba)	भूमि राजस्व Land Revenue	3.52 3.52	2002-03 2002-03	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 Chattisgarh Nagar Palika Act, 1956	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	65.55 65.55	2017-18 2017-18	उपलब्ध N.A.	अभी तक जमा नहीं Not yet deposited	

एन.ए. का अर्थ : उपलब्ध नहीं।

N.A. means : Not available

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा बहियों के हमारे जांच के आधार पर, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और वैट का कोई बकाया नहीं है जो कि विवादस्पद होने के कारण जमा न किया गया हो, केवल निम्नलिखित को छोड़ कर:-

(c) According to the information and explanations given to us, and on the basis of our examination of the books of account, there are no dues of income tax, sales tax, duty of custom, duty of excise and value added tax which have not been deposited on account of any dispute expect the followings:

सांविधिक का नाम Name of the Statute	देयता का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs. in Lakhs)	जिस अवधि के लिये राशि संबंधित है। Period to which amount relates	फोरम जहाँ विवाद लांबित है Forum where dispute is pending
आय कर अधिनियम 1994 Service Tax Rule 1994	होमगार्ड के वेतन पर सेवाकर और गश्त के लिए वाहन के खर्च पर सेवाकर की मांग (सिंदरी) Demand of Service Tax on Salary of Home Guard and Expenses of Vehicle for Patrolling beat of Security(Sindri)	8.01 8.01	2016-17 2017-18 2016-17 2017-18	अधिक्षण सीजीएसटी, लेखा परीक्षा सर्किल, धनबाद Superintendent, CGST, Audit Circle, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.41 0.41	1979-80 1979-80	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (गोरखपुर) Sales Tax (Gorakhpur)	0.32 0.32	1981-82 1981-82	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.89 24.89	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (विपणन) आयुक्त, पटना Sales Tax (Marketing) Tax, Patna	24.00 24.00	उपलब्ध नहीं N.A	बिक्री कर के सहायक Asstt. Comm. Of Sales
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.42 5.42	1983-84 1983-84	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	1.73 1.73	1985-86 1985-86	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	5.08 5.08	1985-86 1987-88	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST(Sindri)	0.14 0.14	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.38 0.38	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	54.93 54.93	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	6.47 6.47	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.99 0.99	1991-92 1991-92	जेसीसीटी, रांची ACCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.09 0.09	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.91 0.91	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	74.38 74.38	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.37 5.37	1992-93 1992-93	जेसीसीटी, रांची CCCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.13 0.13	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	2.85 2.85	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	75.87 75.87	1993-94 1993-94	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.37 29.37	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	61.02 61.02	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	104.03 104.03	1994-95 1994-95	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.93 0.93	1994-95 1994-95	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	15.05 15.05	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	6.08 6.08	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	26.71 26.71	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.50 1.50	1995-96 1995-96	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	2.56 2.56	1995-96 1995-96	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	8.83 8.83	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	12.89 12.89	1996-97 1996-97	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	1.72 1.72	1996-97 1996-97	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	13.42 13.42	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.48 0.48	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.63 0.63	1997-98 1997-98	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	25.91 25.91	1998-99 1998-99	जेसीसीटी, धनबाद JCCT, Dhanbad
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	0.90 0.90	1998-99 1998-99	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	29.30 29.30	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	45.50 45.50	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	0.27 0.27	1999-00 1999-00	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	667.23 667.23	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	462.25 462.25	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	102.65 102.65	2000-01 2000-01	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	94.95 94.95	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi

बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	304.36 304.36	2001-02 2001-02	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	4.67 4.67	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	5.08 5.08	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST (Sindri)	55.89 55.89	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST (Sindri)	38.98 38.98	2002-03 2002-03	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बीएसटी (सिन्दरी) BST(Sindri)	15.56 15.56	2003-04 2003-04	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	सीएसटी (सिन्दरी) CST(Sindri)	57.76 57.76	1993-94 1993-94	सीसीटी, रांची CCT, Ranchi
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	एफपीएस मदों पर बिक्री कर का भुगतान न करने के लिए उप आयुक्त (बिक्री कर का दावा)	5.00	1993-94	सीसीटी, पटना
	Claims of Dy. Commissioner (Sales Tax) for non-payment of Sales Tax on FPS Items	5.00	1993-94	CCT, Patna
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.12	1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिसा Asth. Com. Of Sales Tax, Cuttack, Odisha
		1.12	1991-92	
बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर (तलचर) Sales tax (Talchar)	1.15	1991-92	बिक्री कर के सहायक कटक ओडिसा Asth. Com. Of Sales Tax Cuttack, Odisha
		1.15	1991-92	
नगर निगम Nagar Nigam	संपत्ति कर (कोरबा) Property Tax (Korba)	16.64 16.64	2017-18 2017-18	स्थानीय प्राधिकरण Local Authority
ईपीएफओ EPFO	ईपीएफओ EPFO Surcharge Demand	47.00 47.00	2022-23 2022-23	ईपीएफओ EPFO

एन ए का अर्थ : उपलब्ध नहीं।
N.A. means : Not available

8. अलिखित आय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) खंड 3 (viii) के तहत कर आकलन में वर्ष के दौरान आय के रूप में पहले से दर्ज नहीं की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं थे या आय के रूप में प्रकट किए गए थे।

9. ऋणों का पुनर्भुगतान-

ए. कंपनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों के पुनर्भुगतान अथवा किसी ऋणदाता से उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया है।

सी. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डी. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम द्रष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया।

इ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (इ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

एफ. कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

8. Unrecorded Income

In our opinion and according to the information and explanations given to us, there were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) Clause 3(viii).

9. Repayment of Loans-

(a) The Company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest thereon from any lender. Hence reporting under clause 3(ix)(a) of the Order is not applicable.

(b) The Company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The Company has not taken any term loan during the year and there are no outstanding term loans at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3(ix)(c) of the Order is not applicable.

(d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short-term basis have, prima facie, not been used during the year for long-term purposes by the Company.

(e) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(e) of the Order is not applicable.

(f) The Company has no Subsidiaries and hence, reporting under clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

10. निधियों का जुटाना/उपयोग:

- क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

11. धोखा धड़ी की रिपोर्टिंग-

- क. हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा धड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखा धड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- ख. कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में इस रिपोर्ट के वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केन्द्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- ग. हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तारीख तक) कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसलर ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

10. Raising/Utilization of funds-

- a) The Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable

11. Reporting of Fraud-

- a) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and upto the date of this report.
- c) We have taken into consideration the whistle blower complaints received by the Company during the year (and up to the date of this report), while determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

12. निधि कंपनी

हमारे मत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) लागू नहीं होता है।

13. संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

हमारे मत में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन देन नहीं किया गया।

14. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर धारा 138 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और इसलिए, आदेश के खंड 3 (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

15. गैर-नकद लेन देन-

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेन देन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16. आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण-

क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की

12. Nidhi Company-

According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

13. Related Party Transactions-

In our opinion and according to the information and explanation given to us, there are no transactions with related parties were made during the year as stated in sections 177 and 188 of the Act.

14. Internal Audit System-

According to the information and explanations given to us and based on our examination, the company is a private limited company to which provisions of section 138 are not applicable and hence, reporting under clause 3(xiv) of the Order are not applicable.

15. Non-Cash Transactions-

According to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its Directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.

16. Registration under RBI Act

a) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

Hence, reporting under clause 3(xvi)(a), (b) and (c) of the Order is not applicable.

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

b) In our opinion and according to the information and explanation given to us, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

17. नकद हानि

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष क्लाज 3 (xvii) के दौरान नकद नुकसान नहीं हुआ है।

17. Cash Losses

In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Company has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year Clause 3 (xvii).

18. लेखा परीक्षकों का इस्तीफा

वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

18. Resignation of Auditors

There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.

19. आर्थिक व्यवहार्यता

वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की उम्र बढ़ने और अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

19. Economic Viability

On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

तथापि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

20. सीएसआर दायित्व

क. चालू परियोजनाओं से अतिरिक्त, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 सैक्शन 135(5) द्वितीय प्रोविजो के अनुसार अनुसूचि VII में सूचित फंड में ₹.33.76 लाख व्यय कर दिये हैं।

ख. किसी चालू परियोजना के अनुसरण में कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अधीन कोई राशि बाकी नहीं बची है।

21. सहायक/ एसोसिएट्स की स्टैंडअलोनकारो रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी:

कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं०: 007545एन

ह०/-

(मनप्रीत सिंह कपूर)

भागीदार

सदस्यता सं : 506545

यू.डी.आई.एन.235065B40AJ53832

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 27 जून, 2023

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

20. CSR Obligations

a. In respect of other than ongoing projects, the company has already spent Rs.33.76 Lacs to a Fund specified in Schedule VII to the Companies Act in compliance with second proviso to sub-section (5) of Section 135 of the said Act;"

b. No amount remaining unspent under sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, pursuant to any ongoing project.

21. UNFAVOURABLE REMARK IN SUBSIDIARY/ASSOCIATES' STANDALONE CARO REPORT:

The Company is not required to prepare consolidated Financial Statement. Hence Reporting under Clause 3(xxi) of the order is not applicable for the year.

For Deepak Gulati & Associates

Chartered Accountants

Firm Registration No. 007545N

Sd/-

(Manpreet Singh Kappor)

Partner

Membership No. 506545

UDIN : 235065B40AJ53832

Place : New Delhi

Dated : 27th June, 2023

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) ("अधिनियम") के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reportings under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

मैं 0 दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को पैराग्राफ 3 (जी) के भाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट।

Referred to in paragraph 3(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited of even date.

हमने, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (कम्पनी) के 31 मार्च 2022 तक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षा के लिये उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा किया है।

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s. The Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) ("the Company") as of March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णन के अनुसार कम्पनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण के लिये आवश्यक घटक मानते हुये वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाये रखने के लिये कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जो कि अपनी परिसंपत्तियों को व्यवस्थित और कुशलता से संचालित करने के लिये प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और इसके साथ ही कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार गलतियों और छल-कपट को पकड़ना और रोकथाम करना, लेखा रिकार्ड में परिशुद्धता और

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the

पूर्णता बनाये रखना और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारीयों को तैयार करना सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर भारतीय लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किये गये लेखा परीक्षा पर दिशा निर्देश टिप्पणी (गाइडेन्स नोट) और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर, जिस सीमा तक लागू हो, अपना मत प्रकट करना है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हमने नैतिक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे या नहीं और क्या इस प्रकार के नियंत्रण पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

हमारे लेखा परीक्षा में प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लेखा परीक्षा प्रमाण को प्राप्त करना वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनका प्रचालन प्रभावशीलता अंतर्निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे आडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विश्वसनीयता, थोड़ी सी भी मौजूद कमजोरी के जोखिम का आकलन तथा परीक्षण और डिजाइन का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन किये गये जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का परिचालन प्रभावशीलता शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के थोड़े से भी गलत बयानी के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिये एक आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे बाहरी प्रयोजनों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिये साधारणतः मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार डिजाइन किया गया है। कम्पनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रवृत्तियाँ सम्मिलित हैं जो कि (1) परिसम्पत्ति के रिकार्ड को रख रखाव से संबंधित है और उचित ब्यौरा सहित लेन-देन और प्रवृत्ति को परिशुद्ध और उचित रूप में दर्शाता है। (2) और जो उचित विश्वसनीयता को बनाता है कि लेन-देन का रिकार्ड तैयार किया गया है जैसा कि साधारणतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिये अनुमति की आवश्यकता है और कम्पनी की प्राप्तिyaँ एवं खर्चे केवल कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किये जा रहे हैं और (3) अनधिकृत अर्जन, उपयोग, रोकथाम या समय रहते पता लगाने के संबंध में या कम्पनी की परिसम्पत्ति की प्रवृत्ति का पता लगाना जिसका वित्तीय विवरण में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में, उचित विश्वसनीयता को बनाना है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन भार (ओवरराईड) की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखा धाड़ी के कारण छोटी सी भी गलत बयानी हो सकती है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा भविष्य की अवधि के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन को दर्शाना इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री विगड़ सकती है।

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Limitations of Internal Financial Controls

Over Financial Reporting because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

आगे लेखा परीक्षक ने विश्लेषण किया कि कंपनी और पूर्व कर्मचारियों के बीच पट्टा समझौतों को उचित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर को लेकर आंतरिक नियंत्रण की कमी है, जिसके कारण इस बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की कमी हो जाती है।

मत

हमारे मत में, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास सभी प्रकार से वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित है जो कि इन्सटीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इण्डिया द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित है।

हालांकि इनमें और सुधार की आवश्यकता है:- i) कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दस्तावेजीकरण इसकी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के जोखिम विश्लेषण और बीमा कवरेज के संबंध में जोखिम घटाने सहित विभागीय स्तरों पर प्रक्रिया प्रवाह को शामिल करना। ii) व्यय और अचल संपत्तियों के संबंध में नियंत्रण की निगरानी को मजबूत करना, अन्य वित्तीय संपत्तियों, अन्य चालू और गैर-चालू संपत्ति व्यापार देय, अन्य वित्तीय देयता और अन्य वर्तमान देयता की पुष्टि/समाधान/समायोजन करना: और iii) सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और अपलीकेशन नियंत्रण का अपर्याप्त डिजाइन जो सूचना प्रणाली को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के अनुरूप पूर्ण एवं एकीकृत सूचना प्रदान करने से रोकता है। उपर्युक्त मामलों के बारे में हमारे मत में कोई बदलाव नहीं है।

Further, the auditor analysis that there is a lack of internal control w.r.t the signing of lease agreements between “company” and “ex-employees “ by proper authority ,which lead to lack of internal financial control in this respect.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2021 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in **the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting** issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

However, further improvement is required in i) the documentation of Internal Financial Controls of the Company in respect of its risk assessment process, risk analysis of different functional areas and incorporating the process flows at departmental levels including risk mitigation in respect of insurance coverage, ii) strengthening of the monitoring of controls in respect of expenses and fixed assets, confirmation/ reconciliation/ adjustment of balances of other financial assets, other current and non-current assets, trade payables, other financial liabilities and other current liabilities and iii) inadequate design of information technology system and application controls that prevent the information system from providing complete and integrated information consistent with financial reporting objectives.



दि फर्टिलाइजर
कार्पोरेशन ऑफ
इण्डिया लिमिटेड

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यू.डी.आई.एन.235065B40AJ53832

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kappor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 235065B40AJ53832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जून, 2023

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023

अनुलग्नक 'घ'
Annexure "D"
Part-1

जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक है हम रिपोर्ट करते हैं कि

As required under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the directions issued by The Comptroller & Auditor General of India, we report that:

क्र. सं. S. No.	कंपनी अधिनियम 2013 के सैक्शन 143(5) के अन्तर्गत निर्देश Direction u/s 143(5) of the Companies Act, 2013	निर्देशों पर लिया क्रियाओं कलापों पर ऑडिटर का जवाब Auditor's reply on action taken on the directions	वित्तीय विवरण पर प्रभाव Impact on financial statement
1	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन देन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	<p>केन्द्रीय कार्यालय गोरखपुर इकाई में खातों की किताबें टैली (ईआरपी 9) में रखी जाती है।</p> <p>किताबें डी-बेस में सिन्दरी यूनिट में रखी जाती हैं।</p> <p>शेष इकाईयाँ एक्सेल स्प्रेडशीट (कार्यालय) में अपने खाते की पुस्तकों का रखरखाव कर रही हैं।</p> <p>समेकित से पहले नमूना आधार पर इसकी जांच की गई थी और खातों की अखंडता के संबंध में क्रम में पाया गया था। हालांकि, लेखा सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल के लिए कोई सिस्टम नहीं रखा गया है।</p>	
Q.1	Whether the company has system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The books of accounts at Head Office Gorakhpur unit are maintained in Tally (Prime). The books are maintained at Sindri Unit in D-Base. The remaining units are maintaining its books of account in Excel Spreadsheets (Office).	Nil

क्र. स. S. No.	कंपनी अधिनियम 2013 के सैक्शन 143(5) के अन्तर्गत निदेश Direction u/s 143(5) of the Companies Act, 2013	निदेशों पर लिया क्रियाओं कलापों पर ऑडिटर का जवाब Auditor's reply on action taken on the directions	वित्तीय विवरण पर प्रभाव Impact on financial statement
-------------------------	--	---	--

The same were checked on sample basis before consolidation and were found to be in order vis a vis integrity of accounts is concerned. However, no system has been placed for Audit trail in the Accounting software.

- 2 क्या कंपनी के ऋण का जवाब देने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने /बदेखाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा है? यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।
- हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर ऋण ब्याज आदि को माफ करने के कोई मामले नहीं है। इसलिए यह लागू नहीं होता है।

- 2 Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).
- Based on the information and explanation given to us There are no such cases of waiver / write off debts / loans / interest etc. Hence this clause is not applicable.
- Nil

क्र. स. S. No.	कंपनी अधिनियम 2013 के सैक्शन 143(5) के अन्तर्गत निदेश Direction u/s 143(5) of the Companies Act, 2013	निदेशों पर लिया क्रियाओं कलापों पर ऑडिटर का जवाब Auditor's reply on action taken on the directions	वित्तीय विवरण पर प्रभाव Impact on financial statement
----------------	---	--	---

- 3 क्या केन्द्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी, आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कोई धान (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त नहीं है। और सरकार या अन्य अधिकारियों से प्राप्त कोई संपत्ति नहीं है। अतः लागू नहीं है।

- 3 Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Governments or its agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.
- Based on the information and explanation given to us, There are no funds (grant/subsidy etc.) received/ receivable in the company and no assets received from government or other authorities, Hence not applicable.
- Nil

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यू.डी.आई.एन.:23506545B6QAJS3832

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 23506545B6QAJS3832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जून, 2023

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सह निर्देशों का उत्तर

Replies to Sub- Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

प्रश्नमाला/Questionnaire	उत्तर/Replies
प्र.1 यदि कोई हो तो बताये, कि भूमि का कितना क्षेत्र अतिक्रमण में है और सारांश में बतायें कि कंपनी ने इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?	<p>सिन्दरी एकक को छोड़ कर अन्य किसी एकक में भूमि का अतिक्रमण नहीं है। सिन्दरी एकक में कम्पनी के पास 6653 एकड़ भूमि हैं। कुछ अलग-अलग स्थानों पर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है लेकिन कम्पनी द्वारा भूमि को नहीं मापा गया है। हमें बताया गया है कि बहुत बड़ा भू-भाग होने के कारण और उचित जन-शक्ति के अभाव में कम्पनी अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।</p> <p>आगे सिंदरी इकाई में पूर्व कर्मचारियों द्वारा 3095 क्वार्टरों पर कब्जा किया गया है जिसमे से 3030 क्वार्टरों के लिए माननीय न्यायालय द्वारा खाली कराने का आदेश दिया गया है।</p> <p>कंपनी ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे रखी है और पीपी एक्ट के अंतर्गत अतिक्रमण को हटाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।</p>
Q.1 State the area of land under encroachment, if any, and briefly explain the steps taken by the company to remove the same.	<p>There is no encroachment of land in any of the Units except in Sindri Unit. In Sindri Unit the Company has 6,653 acres of land. In some scattered places land has been encroached. However, the area of land is not measured by the Company. We have been informed that due to the vast area of land and in the absence of adequate manpower, the company is not in a position to take any action for getting the encroachment removed.</p> <p>Further, at Sindri unit, ex-employee have encroached 3095 Quarters, against which Eviction Orders Have been Passed by Learned Court for 3030 Quarters.</p>

प्रश्नमाला/Questionnaire

उत्तर/Replies

The Company has kept it informed to the District Authorities and action for removing the encroachment is being initiated under the Public Premises Act.

कृते मै० दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
नर्म पंजीकरण सं०: 007545एन
ह०/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यू.डी.आई.एन.:23506545B6QAJS3832

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 23506545B6QAJS3832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जून, 2023

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023



दि फर्टिलाइजर
कार्पोरेशन ऑफ
इण्डिया लिमिटेड

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत सीएण्डएजी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए मै दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने उनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते मै दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 007545एन
हं/-
(मनप्रीत सिंह कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं : 506545
यू.डी.आई.एन.:23506545B6QAJS3832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जून, 2023

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted audit of accounts of M/s. THE FERTILIZERS CORPORATION OF INDIA LIMITED (FCIL) ("the company"), for the year ended as at March 31, 2023, in accordance with the direction/sub-direction issued by the C&AG of INDIA U/s 143(5) of the Act, 2013 and certify that we have complied with all direction/sub-direction issued by us.

For Deepak Gulati & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 007545N
Sd/-
(Manpreet Singh Kapoor)
Partner
Membership No. 506545
UDIN : 23506545B6QAJS3832

Place : New Delhi
Dated : 27th June, 2023

अनुलग्नक-II

एस अहलादिनी महानिदेशक लेखा परीक्षा तथा (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन) द्वारा वित्त निदेशक एफ.सी.आई.एल. को भेजे गए पत्र संख्या रिपोर्ट/2-165/डी.जी.ए./ (ए.एफ.एण्ड डब्लू.आर.) एकाऊट्स/ एफसीआईएल/2023-24/3593 दिनांक 29.09.2023 के पत्र की प्रति:-

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (बी) के अन्तर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(बी) के दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां भेजी जा रही है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।।

भवदीय

ह.

(एस अहलादिनी पाण्डा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

संलग्न : यथोपरी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2023

APPENDIX-II

Copy of letter No. report/2-165/DGA/ (AF&WR)/A/cs/FCIL/2023-24/3593 dated 29/9/2023 received from S. Ahlladini Panda Principal Director of Audit (Agriculture, Food & Water Resources) New Delhi addressed to Director (Fin), FCIL.

Sub : Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31st March 2023.

We are sending herewith comments Certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of The Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ended 31st March 2023.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Sd/-

(S. Ahlladini Panda)
Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

Encl : As stated.

Place : New Delhi
Dated : 29.09.2023

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की , कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अधिनियम धारा 143 (10) के अन्तर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 27 जून 2023 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है।

इसके अलावा मैं अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगी जो मेरे ध्यान में आए हैं। और मेरे विचार में वित्ति बयानों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को समकक्ष करने के लिए आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह0/-

(एस अहलादिनी पाण्डा)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29.09.2023

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2023.

The preparation of financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 June 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2022 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India
Sd/-
(S Ahladini Panda)
Principial Director of Audit Agriculture,
Food & Water Resources**

Place: New Delhi
Date: 29.09.2023

सी एण्ड एजी टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

Reply of the Management on the comments of C&AG remarks

विवरण/Particulars	उत्तर/Replies
<p>ए. अन्य टिप्पणियाँ</p> <p>तलपटसंपत्ति</p> <p>गैर चालू परिसंपत्तियाँ</p>	
<p>ए.1 पूंजीगत कार्य प्रगति पर - 11-78 करोड़ (नोट क्रमांक 1)</p>	
<p>बैलेंशीट (डिवीजन) की तैयारी के लिए सामान्य निर्देशों (बिंदु संख्या X) के अनुसार, पूंजीगत अग्रिम को 'अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों' के तहत दिखाया जाना है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III पर मार्गदर्शन नोट के पैरा संख्या 8.7.1.3 में स्थिति स्पष्ट की गई है और कहा गया कि अनुसूची III के अनुसार, पूंजीगत अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिमों के तहत शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए, इसे पूंजी के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।''</p>	<p>आईएनडी-एस के अनुसार परियोजनाओं को चलाने के साथ-साथ बंद/परित्यक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। चूँकि, भवन का निर्माण एक परियोजना की तरह है और विशिष्ट परियोजना पर सभी व्यय एक ही स्थान पर दिखाए जाने चाहिए, इसलिए, कार्यालय भवन के निर्माण पर अब तक किए गए कुल व्यय को परियोजना की बेहतर निगरानी और खातों की उचित समझ के लिए सीडब्ल्यूआईपी में सही ढंग से बुक किया गया है।</p>
<p>नोएडा में एफसीआईएल कार्यालय भवन के निर्माण की योजना, डिजाइन और निष्पादन से संबंधित कार्यों के लिए एनबीसीसी के साथ हस्ताक्षरित (मई 2021) समझौता ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी ने मार्च 2023 तक एनबीसीसी को दो अग्रिम (9.93 करोड़ रुपये) जारी किए। इसे "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में दर्ज करने के</p>	<p>नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 26.04.2018 को जारी "अचल संपत्तियों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट" के खण्ड 6.5 के अनुसार, सीडब्ल्यूआईपी के लिए उपचार निम्नानुसार उल्लिखित किया गया है:</p> <p>“पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी): - अचल परिसंपत्तियों/परियोजनाओं पर व्यय जो निर्माण या पूरा होने की प्रक्रिया में हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, और रिपोर्टिंग तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उदाहरण के लिए, किसी भवन या जल विद्युत परियोजना का निर्माण, सीडब्ल्यूआईपी के तहत</p>

विवरण/Particulars	उत्तर/Replies
<p>बजाय इसे “प्रगति पर पूंजीगत कार्य” के रूप में माना गया”</p> <p>एफसीआईएल ऑफिस भवन के निर्माण की योजना, डिजाइन और मूल्यांकन से संबंधित कार्य के लिए एनबीसीसी के साथ हस्ताक्षरित (मई 2021) समझौते के अनुसार, कम्पनी ने मार्च 2023 तक एनबीसीसी को दो अग्रिम (9.93 करोड़ रुपये) जारी किए। इसे “पूंजीगत प्रस्तावना” के रूप में दर्ज करने के बजाय इसे कार्य प्रगति के रूप में माना जाता है।</p> <p>कार्यालय भवन के निर्माण के लिए व्यय की राशि (एनबीसीसी द्वारा अप्रैल 2023 में उठाए गए 01.01.2023 तक की अवधि को कवर करने वाला चौथे रनिंग बिल) के रूप में प्रगति पर पूंजीगत कार्य का 1.36 करोड़ रुपये कम करके आंका गया है, हालांकि यह आईएनडी एस 10 द्वारा प्रदान की गई एक समायोजन घटना है।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य को कम दिखाया गया और पूंजीगत अग्रिम को 1.36 करोड़. से अधिक बताया गया</p>	<p>अचल परिसंपत्तियों के संबंधित वर्ग के दिए गए कॉलम में अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रों में दर्ज किया जाना चाहिए। निर्धारित परिसंपत्ति/परियोजना के पूरा होने अथवा चालू होने पर परिसंपत्ति/परियोजना के कुल व्यय को सीडब्ल्यूआईपी कॉलम में दर्शाया जाना बंद कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों, में जहाँ सीडब्ल्यूआईपी परियोजना के कुछ हिस्से स्वतंत्र रूप से इच्छित उपयोग के लिए तैयार हैं, ऐसी परियोजना की संबंधित/अनुपातिक लागत को सीडब्ल्यूआईपी से हटा दिया जाना चाहिए। इकाई में कार्यकारी प्राधिकरण को सीडब्ल्यूआईपी के तहत सभी परियोजना की वार्षिक समीक्षा (भौतिक सत्यापन सहित) करनी चाहिए ताकि इच्छित उपयोग के लिए उनकी तैयारी का आकलन किया जा सके और उन्हें सीडब्ल्यूआईपी से हटाया जा सके।</p> <p>इस प्रकार, सीडब्ल्यूआईपी में राशि सही ढंग से बुक की गई है। एनबीसीसी का 1.36 रुपये का चौथा रनिंग बिल 31.03.2023 को अनजाने में छूट गया था, लेकिन इसका भुगतान 03.05.2023 को किया गया और 03.05.2023 (2023-24) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत सही तरीके से बुक किया गया।</p> <p>इसके अलावा, 1.36 करोड़ रुपये के चौथे आर.ए. बिल की पूरी राशि पूंजीगत अग्रिम के खिलाफ पूरी तरह से समायोज्य नहीं थी, अग्रिम से सकल समायोज्य का केवल 10%, इसलिए ऑडिट द्वारा गए अनुसार 1.36 करोड़ रुपये द्वारा “पूंजीगत अग्रिम” का कोई ओवरस्टेटमेंट नहीं है। ठेकेदार से अग्रिम वसूली के संबंध में एनबीसीसी से पूरी प्राप्त होने पर 2023-24 के दौरान आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।</p>

सीएजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

Reply of the Management on the comments of C&AG remarks

विवरण/Particulars	उत्तर/Replies
A. Other Comments Balance Sheet Assets Non Current Assets	
A.1 Capital Work in Progress- Rs. 11.78 crore (Note no.1)	
<p>As per General Instructions(point no X) for Preparation of Balance Sheet (Division II),Capital Advances are to be shown under 'other non Current Assets'. Para no 8.7.1.3 of Guidance Note on the Schedule III to the Companies Act,2013,clarified the position and states that “ As per Schedule III, capital advances should be included under Long Term loans and advances and hence, cannot be included under capital work in progress.”</p> <p>As per Memorandum of Understanding signed (May 2021) with NBCC for the works relating to planning, designing and execution of Construction of FCIL Office Building at Noida, the Company released two advances (Rs 9.93 crore) to NBCC till March 2023. But the Company,instead of accounting it as “capital Advance” treated it as “ Capital Work in Progress”.</p>	<p>As per Ind-AS the expenditure on running projects as well as on closed /abandoned projects should be shown distinctly. Since, construction of Building is just like a project and all expenditure on the specific project should be shown at one place, therefore, the total expenditure incurred so far on construction of Office Building has been correctly booked in CWIP for better monitoring of the project and proper understanding of the accounts.</p> <p>As per clause 6.5 of the “ Guidance Note on Accounting of Fixed Assets” issued by C&AG office on 26.04.2018, the treatment for CWIP has been mentioned as under:</p> <p>“Capital Works- in-Progress (CWIP) :- The expenditure on fixed assets/projects that are in the process of construction or completion and are not ready for intended use on the reporting date, for example, construction of a building or hydro electric power project, should be recorded under CWIP in the Fixed Asset Registers in the given column of the relevant class of fixed assets. On completion or commissioning of the fixed asset/project, the total expenditure of that asset/project should cease to be depicted in CWIP column. In cases, where parts of a CWIP project are independently ready for</p>

विवरण/Particulars

उत्तर/Replies

Thus, capital work in progress is overstated by Rs 9.93 crore with consequent understatement of Other non-current assets (capital Advance) by same amount. Capital work in Progress is understated by Rs 1.36 crore being the amount of expenditure (4th Running bill covering period from 01.01.2023 to 31.03.2023 raised by NBCC in April 2023) against construction of office building which have not been accounted for during the year although it is an adjusting event as provided by IND AS 10.

This has resulted in understatement of capital work in Progress and overstatement of "Capital Advance" both by Rs 1.36 crore.

intended use, the related/ proportionate cost of such project should be removed from CWIP. The Executive Authority in the entity should conduct an annual review (including physical verification) of all projects under CWIP to assess their readiness for intended use and their removal from CWIP."

Thus, the amount has been correctly booked in CWIP.

The 4th Running Bill of NBCC for Rs 1.36 crore was inadvertently missed as on 31.03.2023 but it was paid on 03.05.2023 and correctly booked under CWIP on 3.5.2023(2023-24)

Further, the whole amount of 4th R.A. Bill of Rs 1.36 crore was not adjustable fully against capital advance, only 10% of the gross adjustable from the advance, so there is no overstatement of "capital Advance" by Rs 1.36 crore as pointed out by Audit.. On receipt of complete information from NBCC regarding recovery of Advance from contractor, necessary adjustments will be made during 2023-24.

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2023 को)

BALANCE SHEET

(As at 31.03.2023)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
क) सम्पत्ति, प्लान्ट एवं उपकरण	a) Property, Plant and equipment	1	1,417.03	1,483.11
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति	b) Capital Works in Progress		1,177.73	650.00
ग) चालू निवेश नहीं हैं	c) Non-Current investments	2	20,795.86	20,795.86
घ) दीर्घ अवधि ऋण	d) Long-term loans	3	-	-
ड) अन्य जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	e) Other non-current assets	4	1,379.47	785.76
कुल जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं (क)	Total non-current assets (A)		24,770.09	23,714.73
चालू परिसम्पत्तियाँ	Current Assets			
क) वस्तु सूचियाँ	a) Inventories	5	174.79	174.79
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	b) Financial Assets			
i) ट्रेड एवं अन्य प्राप्त होने योग्य	i) Trade and other receivables	6	219.10	110.53
ii) नगद एवं नगद के बराबर	ii) Cash and cash equivalents	7	49,286.17	46,241.35
iii) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	iii) Short term loans and advances	8	158.43	489.32
ग) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	c) Other current assets	9	1,657.43	1,199.95
			51,495.92	48,215.94
बिक्री के लिये वर्गीकृत किये गये जो चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current assets classified as held for sale	10	91.22	92.31
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)	Total Current Assets (B)		51,587.14	48,308.25
कुल परिसम्पत्तियाँ (क+ख)	Total Assets (A+B)		76,357.23	72,022.98

(जारी/Continued)

तुलन पत्र (31 मार्च, 2023 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2023) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
इक्विटी एवं देयताएं	EQUITY AND LIABILITIES			
इक्विटी	Equity			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	a) Equity Share capital	11	75,092.39	75,092.39
ख) अन्य इक्विटी	b) Other Equity	12	(3,817.54)	(8,442.57)
कुल इक्विटी (क)	Total Equity (a)		71,274.88	66,649.82
देयताएं	LIABILITIES			
देयताएं जो चालू नहीं हैं	Non-current Liabilities			
क) वित्तीय देयताएं	a) Financial Liabilities		-	-
i) ट्रेड देय	i) Trade payables	13		
क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	a) Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.			
ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया	b) Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises		557.25	557.25
ख) दीर्घ अवधि प्रावधान	b) Long term Provisions	14	13.13	16.00
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	c) Deferred tax Liabilities (Net)	-	-	-
घ) अन्य देयताएं जो चालू नहीं हैं	d) Other non-current Liabilities	15	3,686.85	4,336.31
कुल देयताएं जो चालू नहीं हैं	Total non-current Liabilities		4,257.23	4,909.56
चालू देयताएं	Current Liabilities			
वित्तीय देयताएं	Financial Liabilities	16	8.77	10.11
अन्य चालू देयताएं	Other current Liabilities	17	470.50	154.92
लघु अवधि प्रावधान	Short-term Provisions	18	345.89	298.57
कुल चालू देयताएं	Total Current Liabilities		825.16	463.60
कुल देयताएं	Total Liabilities (B)		5,082.39	5,373.16
कुल इक्विटी एवं देयताएं	Total Equity and Liabilities (A+B)		76,357.24	72,022.98

(जारी/Continued)



तुलन पत्र (31 मार्च, 2023 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31.03.2023) (Continued)

निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ।

Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes

हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)	(पदमसिंग पी पाटिल)/(Padamsing P. Patil)	(निरजा अदिदम)/(Neeraja Adidam)			
विशेष कार्य अधिकारी/ Officer on Special Duty	निदेशक/Director डिन/DIN 09747446	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director डिन/DIN 09351163			
हो/-	Sd/-				
(सीएस ऋतु भाटिया)/(CS Ritu Bhatia)		हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स For M/s. Deepak Gulati & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-007545एन Firm Registration No.007545N			
कम्पनी सचिव/ Company Secretary ए.एन./A.No. 18344		हो/ (मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor) भागीदार/Partner एम. संख्या/M.No. 506545 यूडीआईएन/UDIN 23506545B6QAJ3832			

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 27th June, 2023

लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए)
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2023)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		अनुसूची Note No.	31 मार्च 2023 को For the year ended 31 March 2023	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022
अन्य आय	Other Income	19	7,208.65	3,743.53
कुल राजस्व	Total Revenue		7,208.65	3,743.53
व्यय	Expenses			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	20	28.87	29.53
वित्तीय लागत	Finance cost	21	1.09	0.42
मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortisation expenses	22	10.24	12.51
अन्य व्यय	Other Expenses	23	1,290.80	1,258.36
कुल व्यय	Total Expenses		1,331.00	3,558.24
कर एवं विशिष्ट मदों से पहले लाभ/हानि	Profit/ (loss) before exceptional items and tax		5,877.65	2,442.71
			-	1,854.37
विशिष्ट मद	Profit/ (loss) before tax		5,877.65	4,297.08
कर से पहले लाभ/(हानि)	Extra Ordinary Items		-	-
असाधारण मद	Profit before tax		5,877.65	4,297.08
कर से पहले लाभ	<u>Tax Expenses</u>			
कर पर व्यय	Current Tax		1,600.00	723.21
वर्तमान कर	Deferred Tax		-	-
आस्थगित कर	Earlier Year Tax		(404.51)	-
पिछले वर्ष कर	Profit/ (loss) for the period from continuing operations		4,682.16	3,573.87
प्रचालन जारी रखने के अवसर का लाभ/(हानि)	Other Comprehensive Income		-	-
अन्य वृद्धत आय	Items that will not be reclassified to profit & loss		-	-
मदें जो कि लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं होंगे	Re-measurement losses		-	-

(जारी/Continued)

लाभ एवं हानि विवरण (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए) (जारी)

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (For the year ended 31.03.2023) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

	अनुसूची Note No.	31 मार्च 2023 को For the year ended 31 March 2023	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022
निश्चित लाभप्रद योजनाओं पर पुनर्परिकल्पित हानि	on defined benefit plans Income Tax Effect	-	-
आय कर का प्रभाव	Total Comprehensive	-	-
अवधि के लिये कुल वृहत आय	income for the period		
	Earnings per equity share	24	
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रचालन जारी रखने के लिये)	(for continuing operations)		
क) मूल	a) Basic	62.35	47.59
ख) द्रवीय	b) Diluted	62.35	47.59
निगमित सूचनाएं, महात्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और संदर्भित अनुसूचियाँ	Corporate information, significant accounting policies and accompanying notes	25	

हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)	(पदमसिंग पी पाटिल)/(Padamsing P. Patil)	(निरजा अदिदम)/(Neeraja Adidam)			
विशेष कार्य अधिकारी/ Officer on Special Duty	निदेशक/Director डिन/DIN 09747446	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director डिन/DIN 09351163			

हो/- Sd/-
(सीएस ऋतु भाटिया)/(CS Ritu Bhatia)
कम्पनी सचिव/
Company Secretary
ए.एन./A.No. 18344

हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स
For M/s. Deepak Gulati & Associates
सनदी लेखाकार

Chartered Accountants
प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-007545एन
Firm Registration No.007545N

हो/- Sd/-
(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)
भागीदार/Partner

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Date : 27th June, 2023

एम. संख्या/M.No. 506545
यूडीआईएन/UDIN 23506545B6QAJ3832

अनुसूची-1
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

NOTE-1
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	पट्टे पर भूमि	स्वामित्व पर भूमि	सड़के एवं पूलिया	भवन	जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी	विविध उपकरण	फर्नीचर जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर)	विद्युत उपकरण	योग
		Lease hold Land	Free hold Land	Roads & Culverts	Buildings	Water System, Sewerage and Drainage	Misc. Equipment	Furniture Fixture and Office Appliances	Plant & Machinery (COM)	Elec. Instt. Township	Total
लागत या मानित लागत	Cost or deemed Cost										
31 मार्च 2021 को	At March 31, 2021	181.37	308.54	233.39	2815.83	141.57	1.01	9.41	24.06	13.17	3728.35
वृद्धि	Additions	-	-	-	-	-	-	2.72	2.80	2.80	4.92
निपटान/समायोजन	Disposal/ Adjustments	-	-	-	(18.26)	-	-	-	-	-	-18.26
31 मार्च 2022 को	At March 31, 2022	181.37	308.54	233.39	2797.57	141.57	1.01	11.53	26.86	13.17	3715.00
वृद्धि	Additions	-	-	-	-	-	-	-	2.24	2.25	2.44
निपटान/समायोजन	Disposal/ Adjustments	-	-	-	-2.65	-	-	0.02	-0.04	-6.84*	-9.51
बिक्री के लिये के रूप में वर्गीकृत	Classified as held for sale	-	-	-	-	-	-	-	-6.84	-	-
31 मार्च 2023 को	At March 31, 2023	181.37	308.54	233.39	2794.92	141.57	1.03	11.66	22.27	13.17	3707.93
संचित मूल्यह्रास/भाति	Accumulated Depreciation/ Impairment										
31 मार्च 2021 को	At 31 March, 2021	75.97	-	227.28	1647.41	141.49	1.00	5.73	15.36	13.17	2127.41
वर्ष के लिये मूल्यह्रास	Depreciation charge for the year	1.76	-	-	4.42	-	-	1.16	5.16	-	12.50
निपटान/समायोजन	Disposal/ Adjustments	-	-	-	110.33**	-	-	-	-	-	110.33**
साधारण आरक्षण को अंतरित	Transfer to General reserve	-	-	-	-18.16	-	-	-	-	-	(18.16)
31 मार्च 2022 को	At 31 March, 2022	77.73	-	227.28	1744.00	141.49	1.00	6.89	20.52	13.17	2232.08
वर्ष के लिये मूल्यह्रास	Depreciation charge for the year	1.76	-	-	4.41	-	-	1.01	3.05	-	10.24
पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यह्रास	Depreciation on revaluation	-	-	-	55.03	-	-	-	-	-	55.03
निपटान/समायोजन	Disposal/ Adjustments	-	-	-	-	-	-	-0.73	-5.92	-	-6.65
बिक्री के लिये रखी परिसम्पत्तियों का संचित मूल्यह्रास	Accumulated Dep. on assets held for sale	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.20
31 मार्च 2023 को	At 31 March, 2023	79.49	0.00	227.28	1803.44	141.49	1.00	7.37	17.65	13.17	2290.90
वाहित निवल मूल्य	Net Carrying Value	101.87	308.54	6.11	991.48	0.00	0.08	4.30	4.62	0.00	1417.03
31 मार्च 2022 को	At March 31, 2022	103.63	308.54	6.11	1053.57	0.09	0.01	4.64	6.33	-	1483.00

* Includes adjustment of Rs.0.09 lakhs on account of loss on assets transferred to HURL in previous year.

**Depreciation on revaluation of Assets for 2020-21 and 2021-22 of Talcher Unit.

**अनुसूची-1(ए)
मुख्य कार्य जो प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)**

**NOTE-1(A)
CAPITAL -WORK-IN-PROGRESS (CWIP)**

प्रगति में चल रहे मुख्य कार्यों के लिए निम्नलिखित एजिंग शेड्यूल दिया जाएगा:

**For Capital-work-in-progress, following ageing schedule shall be given:
CWIP ageing schedule**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)					
सीडब्ल्यूआईपी	एक वर्ष से कम	एक से दो वर्ष	दो से तीन वर्ष	तीन वर्षों से अधिक	कुल*
CWIP	Less than one year	Amount in CWIP for a period One to two years	Two to three years	More than three years	Total*
परियोजनायें प्रगति पर हैं Projects in progress	527.73	650.00	0	0	1177.73
परियोजनायें जो अस्थायी रूप से निलंबित हैं Projects temporarily suspended					

अनुसूची-2 जो चालू निवेश नहीं हैं

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट

Notes Forming Part of Financial Statement for the
Year Ended 31 March 2023

NOTE-2 NON CURRENT INVESTMENT

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
दीर्घ अवधि निवेश इक्विटी में निवेश	Long term Investment Investment in Equity Instruments		
नान-ट्रेड निवेश (जब तक कहा न गया हो अन्यथा अनिवेदित लागत पर)	Non-Trade Investments (At cost unless stated otherwise-unquoted)		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि० में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	0.10	0.10
घटाएं: दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	Less: Provision for diminution in value of long term investment	(0.05)	(0.05)
		0.05	0.05
संयुक्त उद्यम कम्पनियों में ट्रेड निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Trade Investments in Joint Venture Companies (At cost-unquoted)		
पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 5,000 रु.10/- के प्रत्येक तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लि.) में	Fully paid up equity shares 5,000 shares @ Rs.10 each At Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd)	0.50	0.50
हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड में प्रत्येक 10/- रुपये के पूर्णतः प्रदत्त 16,667 इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares 16,667 shares @ Rs.10 each at Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.	1.67	1.67
पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 20,79,36,400 @ रु.10/- के प्रत्येक (पिछले वर्ष 20,79,36,400 @ रु.10/-के प्रत्येक) रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड में	Fully paid up equity shares 20,79,36,400 @ Rs.10 each (Previous year 20,79,36,400 @ Rs.10 each) at Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited.	20,793.64	20,793.64
कुल	Total	20,795.86	20,795.86
अनिवेदित निवेश का कुल मूल्य	Aggregate value of unquoted Investment	20,795.86	20,795.86
दीर्घ अवधि निवेश के मूल्य में कमी का एकत्रीकरण	Aggregation of diminution in value of long term investment	0.05	0.05

अनुसूची-3
दीर्घ अवधि ऋण

NOTE-3
LONG TERM LOANS

		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
जब तक कहा न जाय असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured Considered Good unless otherwise stated		
क) ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & Advances		
कर्मचारी को गृह निर्माण ऋण*	House Building Loan to Employee*	0.31	0.31
संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	Less: Provision for doubtful loans	(0.31)	(0.31)
*(कर्मचारी नहीं है अर्थात् मर गया है)	*(Employee is no more i.e .He Died)		
ख) कुल	Total	<u>0.31</u>	<u>0.31</u>

अनुसूची-4

अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-4

OTHER NON CURRENT ASSETS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
क) अग्रिम	(a) Advances		
पूर्तिकर्ता (संदिग्ध समझे गये)	Suppliers (considered doubtful)	338.65	338.64
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(338.69)	(338.64)
पूर्तिकर्ता (खरे समझे गये)	Suppliers (considered good)	-	-
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.81	0.59
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered doubtful)	56.80	56.79
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful advances	(56.79)	(56.79)
अन्य (खरे समझे गये)	Others (considered good)	18.00	17.67
प्रतिभूति जमा एनपीडीसीएल	Security Deposit NPDCL	-	-
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered good)	67.83	67.73
सरकारी प्राधिकरण/अन्य के पास जमा (संदिग्ध समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others(Considered doubtful)	0.24	0.24
घटाएं: संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful deposits	(0.24)	(0.24)
कार्यालय भवन बनाने हेतु एनबीसीसी को भुगतान	Payment to NBCC for Construction of Office Building	-	-
किराया बकाया	Rental dues	1.04	
उपलब्ध मैट क्रेडिट	MAT Credit available	95.05	
आय कर एवं टीडीएस (प्रावधान का निवल)	Income Tax & TDS (Net of Provision)	-	517.81
कुल (क)	Income tax refundable	1,039.98	
	Total (a)	1,222.72	603.81

अनुसूची-4

अन्य परिसम्पत्तियाँ जो चालू नहीं हैं (जारी)

NOTE-4

OTHER NON CURRENT ASSETS (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
ख) अन्य — जमा	b) Others - Deposits		
मियादी जमा खाता (सुख सुविधा कोश)	Fixed deposit Accounts (Amenities Fund)	8.17	8.17
चालू खाता—II सुख सुविधा कोश	Current Account II (Amenities Fund)	5.39	5.39
घटाएं : संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful	-	-
जमा उत्पादशुल्क विभाग के पास गिरवी	Deposit with (Pledged with Excise Deptt)	1,041.97	951.27
बकाया किराया-दुकानदार/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (considered doubtful)	-	38.14
घटाएं : संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(1,041.97)	(951.27)
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others(considered doubtful)	81.02	81.02
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(81.02)	(81.02)
पट्टा किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	0.45	0.94
बकाया किराया-दुकानदार/पीएसयू, बैंक, स्कूल आदि (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc. (Considered Good)	114.60	101.31
किराया/पानी एवं विद्युत प्रभार—पी डी आई एल	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	26.90	27.21
जमा पर उपाजित ब्याज	Interest accrued on deposits	1.24	0.79
योग (ख)	Total (b)	156.75	181.95
कुल योग (क+ख)	Grand Total (a+b)	1,379.47	785.76

अनुसूची-5
वस्तु सूचियाँ

**NOTE-5
INVENTORIES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया गया है) (As verified and certified by Management)			
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएं: अप्रचलन के लिये प्रावधान	a. Raw Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	- - -	- - -
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएं: अप्रचलन के लिये प्रावधान	b. Packing Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	0.78 (0.78) -	0.78 (0.78) -
ग. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) मार्गस्थ सामग्री सामग्री निरीक्षण में प्लांट में अप्रयुक्त स्टोर्स (प्लेटिनम का स्टॉक) घटाएं: अप्रचलन के लिए प्रावधान	c. Stores & Spares (valued at Cost) Goods in transit Goods under inspection Stores unconsumed with Plant (stock of Platinum) Less- Provision for obsolescence	- - - 174.79 - 174.79	2.12 - - 174.79 (2.12) 174.79
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएं: अप्रचलन के लिए प्रावधान	Scrap (valued at estimated realisable value) Less- Provision for obsolescence	- -	- -
कुल	Total	174.79	174.79

अनुसूची-6

प्राप्त होने योग्य ट्रेड एवं अन्य

NOTE-6

TRADE AND OTHER RECEIVABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो प्राप्त होने योग्य हैं	Receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	1.33.04	100.46
असुरक्षित संदिग्ध समझे गये	Unsecured considered doubtful	1,781.91	1,864.83
खरीद आगम (जीएसटी) प्राप्त होने योग्य	Input (GST) Purchase Receivable	1.77	10.07
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	(1,781.91)	(1,864.83)
आरपीएफ से वसूली योग्य राशी	Amount recoverable from RPFC (claim under protest)	84.29	
अन्य प्राप्त होने योग्य	Other receivable	-	-
कुल	Total	219.10	110.53

अनुसूची-7
नकद एवं नकद के बराबर

NOTE-7
CASH AND CASH EQUIVALENTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
बैंक में शेष	Balance with banks in	241.45	704.07
चालू खाता में	Current accounts		
फ्लैक्सी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	-	1,263.89
अन्य बैंक शेष	Other Bank Balances		
मियादी जमा खाता 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम असली परिपक्वता सहित	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 3 months but less than 12 months	48,798.42	44,180.32
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित और 12 माह से कम के बकाया परिपक्वता के साथ	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months but remaining maturity less than 12 months	-	-
मियादी जमा खाता 12 माह से अधिक असली परिपक्वता सहित (सुख-सुविधा राशि)	Fixed deposit Accounts with original maturity for more than 12 months (Amenities Fund)	101.17	97.02
गैर वर्तमान संपत्ति के तहत घोषित राशि	Amount disclosed under non-current assets	-8.17	-8.17
पारगमन में नकदी	Cash in transit	150.00	
चैक/डाफ्ट्र हाथ में	Cheques / drafts in hand	-	-
नकद हाथ में	Cash in hand	3.30	4.22
कुल	Total	49,286.17	46,241.35

**अनुसूची-8
लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम**

**NOTE-8
SHORT TERM LOANS AND ADVANCES**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
जब तक कहा न जाये असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good unless otherwise stated		
क. अग्रिम	(a) Advances		
कर्मचारी (खरे समझे गये)	Employees (considered good)	0.78	0.78
अन्य (संदिग्ध समझे गये)	Others (considered good)	6.40	37.47
अन्य (खरे समझे गये) आयकर को दिया गया अग्रिम	Others (considered good) advance paid to Income tax	0.01	327.17
अन्य प्राप्त होने योग्य (संदिग्ध समझे गये)	Other Receivable (Considered doubtful)	-	-
घटाएं : प्राप्त होने योग्य संदिग्ध के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful receivables	-	-
कार्यलय भवन के निर्माण के लिए एनबीसीसी को भुगतान	Payment to NBCC for construction of office building	-	-
माल एवं सेवा कर प्राधिकरण के पास बकाया	Balance with Goods and service tax authorities	54.17	53.44
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	5.99	5.99
सरकारी प्राधिकरणों/अन्यों के पास जमा (खरे समझे गये)	Deposit with Govt. Authorities/ others (Considered good)	23.81	23.81
इन्कम टैक्स व टीडीएस	Income Tax & TDS	66.18	17.16
कृष्णको से प्राप्त होने योग्य	Receivable from KRIBHCO	0.06	23.50
पीडीआईएल से सीजीएसटी प्राप्त होने योग्य	CGST Receivable from PDIL	0.05	-
पीडीआईएल से एसजीएसटी प्राप्त होने योग्य	SGST Receivable from PDIL	0.05	-
अन्य से प्राप्त होने योग्य आईजीएसटी	IGST Receivable from others	0.93	-
कुल	Total	158.43	489.32

**अनुसूची-9
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**

**NOTE-9
OTHER CURRENT ASSETS**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
बकाया किराया—दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि (संदिग्ध समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(considered doubtful)	11.24	11.24
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिये प्रावधान	Less: Provision for doubtful dues	(11.24)	(11.24)
पट्टा किराया—भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-employees	0.01	3.39
बकाया किराया दुकानदारों/पीएसयू बैंक, स्कूल आदि से (खरे समझे गये)	Rental dues - Shopkeepers/ PSU, Banks, School etc.(Considered Good)	58.62	78.59
रेलवे साइडिंग का पट्टा किराया	Lease Rent Railway siding	29.17	32.14
जमा पर उपाजित ब्याज	Interest accrued on deposits	1,525.45	1,079.77
पी एफ ट्रस्ट से प्राप्त होने योग्य राशि	Amount receivable from P.F. Trust	1.94	1.94
प्राप्त होने योग्य राशि (ए सी सी)	Amount receivable (ACC)	2.81	2.81
सीजीएसटी नकद बही खाता	CGST Cash Ledger	0.01	0.02
एसजीएसटी नकद बही खाता	SGST Cash Ledger	0.01	0.02
आईजीएसटी नकद बही खाता	IGST Cash Ledger	1.27	1.27
डाकघर में जमा (उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दी प्रतिज्ञा)	Deposit with post office (De pledge by excise dept)	38.14	-
कुल	Total	1,657.43	1,199.95

अनुसूची-10

परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं

NOTE-10

TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	01.04.2022 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2022	वृद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2023 को सकल मूल्य Gross value as on 01.04.2023	01.04.2022 को संचित मूल्य Accumulated depreciation as on 01.04.2022	मूल्यह्रास Depre- ciation	पुनर्मूल्यंकन पर मूल्यह्रास Revaluation on Depreciation	हटाने पर संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation on Deletions	जनरल रिजर्व को स्थानांतरण Transfer to General Reserve	01.04.2023 को संचित मूल्यह्रास Accumulated depreciation as on 01.04.2023	01.04.2023 को निवल मूल्य Net value as on 01.04.2023
सड़कें एवं पुलियाँ-वित्त वर्ष Roads & Culverts - Fy.	104.22	-	-	104.22	101.31	-	-	-	-	101.31	2.91
भवन-वित्त वर्ष Buildings - Fy	273.05	-	-	273.05	261.14	-	-	-	-	261.14	11.90
रेलवे साइडिंग Railway Sidings	453.71	-	-	453.71	431.02	-	-	-	-	431.02	22.68
संचयन एवं उपकरण Plant And Equipment	213.78	-15.25	-15.25	198.53	203.10	-14.48	-	-14.48	-	188.60	10.88
गैस टर्बाइन Gas Turbine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जल प्रणाली सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage And Drainage	804.58	-	-	804.58	764.34	-	-	-	-	764.34	40.21
विविध उपकरण Misc. Equipments	47.82	-0.16	-0.16	47.65	47.76	-0.16	-	-0.16	-	47.60	0.05
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture And Office Appliances	37.43	-3.40	-3.40	34.18	34.75	-3.26	-	-3.26	-	31.49	2.83
परिवहन गाड़ियाँ Transport Vehicles	26.30	-6.51	-6.51	19.78	25.16	-6.18	-	-6.18	-	18.96	1.13
मुजीगत स्टोर्स Capital Stores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग Total	1,960.89	-25.32	-25.32	1,935.66	1,868.58	-24.08	-	-24.08	-	1,849.46	91.22
											92.40

(जारी/Continued)



अनुसूची-10

परिसम्पत्तियाँ जो उपयोग में नहीं हैं या निपटान के लिये हैं (जारी)

NOTE-10

TANGIBLE ASSETS NOT IN USE OR HELD FOR DISPOSAL (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)													
विवरण Particulars	01.04.2021 को संचाल मूल्य Gross value as on 01.04.2021	वृद्धि Additions	हटाएँ Deletions	01.04.2022 को संचाल मूल्य Gross value as on 01.04.2022	01.04.2021 को संचाल मूल्य Gross value as on 01.04.2021	मूल्य हटाएँ Depre- ciation on Revaluation	पुनर्मूल्यंकन पर मूल्य Depreciation on Revaluation	हटाने पर संचाल मूल्य Accumulated depreciation on Deletions	जनरल रिजर्व को स्वतंत्र Transfer to General Reserve	01.04.2022 को संचाल मूल्य Gross value as on 01.04.2022	31.03.2022 को संचाल मूल्य Gross value as on 31.03.2022	01.04.2021 को संचाल मूल्य Gross value as on 01.04.2021	
सड़कें एवं पुलिया—वित्त वर्ष Roads & Culverts - Fy.	104.22			104.22	101.31					101.31	2.91	2.91	
भवन—वित्त वर्ष Buildings - Fy	273.05			273.05	261.14					261.14	11.91	11.91	
रेलवे साइडिंग Railway Sidings	453.71			453.71	431.02					431.02	22.69	22.69	
संयंत्र एवं उपकरण Plant And Equipment	213.98			213.78	203.10					203.10	10.68	10.68	
गैस टर्बाइन Gas Turbine	-			-	-					-	-	-	
जल प्रणाली सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage And Drainage	804.58			804.58	764.34					764.34	40.24	40.24	
विविध उपकरण, Misc. Equipments	47.82			47.82	47.76					47.76	0.06	0.06	
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture And Office Appliances	37.43			37.43	34.75					34.75	2.68	2.68	
परिवहन गाड़ियाँ Transport Vehicles	26.30			26.30	25.16					25.16	1.14	1.14	
पूंजी भंडार Capital Stores	1,004			100.4	1,004.31			1,004.31		1,004.31	-	-	
योग Total	2,965.20	-	-	2,965.20	2,872.89			1,295.07	-	2,872.85	92.31	92.31	

**अनुसूची-11
इक्विटी शेयर पूंजी**

**NOTE-11
EQUITY SHARE CAPITAL**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
प्राधिकृत	Authorised	80,000.00	80,000.00
रु.1,000/- प्रति शेयर की दर से 8000,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष)	8000,000 Equity Shares @ Rs 1,000/-each. (Previous Year 8000,000 Equity Shares @Rs 1,000/-)		
रु. 1000/- की दर से 8000,000 शेयर)	Issued, Subscribed and Paid Up		
जारी किये गये, अभिदत्त एवं प्रदत्त	7509,239 Equity Shares @ Rs 1,000/-each	75,092.39	75,092.39
रु. 1,000/- प्रति शेयर की दर से 7509,239 इक्विटी शेयर (गत वर्ष रु. 1000/- की दर से 7509,239 शेयर)	(Previous Year 7509,239 Equity Shares @ Rs 1000/-each) Total	75,092.39	75,092.39

टिप्पणियाँ / Notes:

अनुबंध के अनुसार तुलन पत्र की तिथि से ठीक पहले पिछले पांच वर्षों में बिना नकद प्राप्त किये पूर्णतः प्रदत्त आबंटित शेयरों की कुल संख्या शून्य

The Aggregate number of shares allotted as fully paid up pursuant to contract(s) without payment being received in cash in the last five years immediately preceding the balance sheet date. Nil

कम्पनी के निदेशकों और अधिकारियों द्वारा बिना भुगतान किये इक्विटी शेयर शून्य

Equity Shares calls unpaid by Directors and Officers of the Company. Nil

अंतिम धारक कम्पनी/धारक कम्पनी और उसके सहायक/सहयोगियों द्वारा धारित शेयर शून्य

Shares held by ultimate holding company/ holding company and their subsidiaries/ associates Nil

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार प्राथमिकतायें और प्रतिबंध कम्पनी ने 10 रु. प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किये हैं। इक्विटी शेयर के धारक समय समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं शेयर धारकों की बैठक में अपने शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के अधिकार के हकदार हैं।

1 Rights, preferences and restriction attached to equity shares The Company had issued equity shares having par value of Rs.10 per share. The holders of the equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time and are entitled to voting rights proportionate to their shareholding at the meeting of the shareholders.

कंपनी के ऐसे शेयरधारक जो कंपनी के 5 प्रतिशत शेयर से अधिक के धारक हैं।

Shareholders in the company held by each share holder holding more than 5% shares of the Company.

विवरण Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31st March 2023		31 मार्च 2022 को As at 31st March 2022	
	शेयरों की संख्या Number of shares	धारण का % % of Holding	शेयरों की संख्या Number of shares	धारण का % % of Holding
भारत सरकार Hon'ble President of India	7509239	100%	7509239	100%

रिपोर्टिंग के अवधि के आरम्भ एवं अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

Reconciliation of equity shares outstanding at the beginning and at the end of reporting period:-

क. इक्विटी शेयर पूंजी

A. Equity Share Capital

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरों की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2022 को बकाया Balance as at 1st April 2022	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया Balance as on 31st March 2023	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया Balance as on 31st March 2023	75,09,239	75,092.39

नोट : 12

Note : 12

ख. अन्य इक्विटी

B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स Debt Instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other Items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
अप्रैल 1, 2022 को बकाया Balance as at 1st April 2022	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 1, 2022 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 1st April 2022	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	5,105.25	-	-	5,105.25
मार्च 31, 2022 को बकाया Balance as on 31st March 2022	75.69	1,442.38	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-

(जारी/Continued)

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्सट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्सट्रुमेंट Equity Instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
मार्च 31, 2022 को पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 31st March 2022	75.69	1,442.38	5.92	13,430.10	-	-	(11,906.11)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	3,463.54
जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	(110.33)	-	3,573.87	-	-	-
मार्च 31, 2022 को बकाया Balance as on 31st March 2022	75.69	1,332.05	5.92	(9,856.23)	-	-	(8,442.57)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	4,682.16	-	-	4,625.03
जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	(57.13)	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2023 को बकाया Balance as on 31st March 2023	75.69	1,274.92	5.92	(5,174.07)	-	-	(3,817.54)

विवरण Particulars	01.04.2020 को प्रारम्भिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां Changes in accounting policy/prior period errors	01.04.2021 को पुनर्लेखित बकाया	बृद्धि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जमना रिजर्व को अंतरण	31.03.2021 को अंतिम बकाया
Particulars	Opening balance as at 01.04.2020	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2021	Addition	Other comprehensive Income	Dividends	Transfer to other Income	Transfer to other Income	Transfer to General Reserve	Closing balance as at 31.03.2021
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,518.07	-	1,518.07	-	-	-	-	-	-	1,518.07
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होल्डिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	18,535.35	-	18,535.35	5,105.25	-	-	-	-	-	13,430.10
कुल आरक्षित Total Reserves	17,011.36	-	17,011.36	5,105.25	-	-	-	-	-	11,906.11
विवरण Particulars	01.04.2021 को प्रारम्भिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियां Changes in accounting policy/prior period errors	01.04.2021 को पुनर्लेखित बकाया	बृद्धि	अन्य बृहत आय	लाभांश	अन्य आय को अंतरण	अन्य आय को अंतरण	जमना रिजर्व को अंतरण	31.03.2022 को अंतिम बकाया
Particulars	Opening balance as at 01.04.2021	Changes in accounting policy/prior period errors	Restated balance as at 01.04.2021	Addition	Other comprehensive Income	Dividends	Transfer to other Income	Transfer to other Income	Transfer to General Reserve	Closing balance as at 31.03.2022
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,518.07	-	1,518.07	(110.33)	-	-	-	-	-	1,407.47
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होल्डिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	1,3430.10	-	13,430.10	3,573.87	-	-	-	-	-	9,856.23
कुल आरक्षित Total Reserves	11,906.11	-	11,906.11	3,463.54	-	-	-	-	-	8,442.57



नोट : 12
Note : 12

विवरण Particulars	01.04.2022 को प्रारम्भिक बकाया	लेखा परीक्षा नीति में परिवर्तन पूर्व अवधि त्रुटियाँ Changes in accounting policy/prior period errors	01.04.2022 को पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at 01.04.2022	वृद्धि Addition	अन्य वृहत आय Other comprehensive Income	लाभांश Dividends	अन्य आय को अंतरण Transfer to other income	अंतरण Transfer	31.03.2023 को अंतिम बकाया Closing balance as at 31.03.2023
आरक्षित पूंजी Capital Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आरक्षित परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन Assets Revaluation Reserve	1,407.74	-	1,407.74	(57.13)	-	-	-	-	1,350.60
अन्य आरक्षित (औद्योगिक होलिडिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Holding)	5.92	-	5.92	-	-	-	-	-	5.92
लाभ एवं हानि विवरण Statement of Profit and Loss	9,856.23	-	9,856.23	4,682.16	-	-	-	-	(5,174.07)
कुल आरक्षित Total Reserves	8,442.57	-	8,442.57	4,625.03	-	-	-	-	(3,817.54)

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

Statement of changes in equity for the year ended 31.03.2023.

क. इक्विटी शेयर पूंजी

A. Equity Share Capital

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण Particulars	शेयरो की संख्या No. of Shares	राशि Amount
अप्रैल 1 2023 को बकाया Balance as at 1st April 2023	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया Balance as on 31st March 2023	75,09,239	75,092.39
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन Changes in equity share capital during the year	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया Balance as on 31st March 2023	75,09,239	75,092.39

ख. अन्य इक्विटी
B. Other Equity

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यंकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
अप्रैल 1, 2020 को बकाया Balance as at 1st April 2020	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 1, 2021 के प्रारंभ में पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 1st April 2021	75.69	1,442.38	5.92	(18,535.35)	-	-	(17,011.36)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
को बदली/रिटेन्ड आमदनी Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/घटाए वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	5,105.25	-	-	5,105.25
मार्च 31, 2022 को बकाया Balance as on 31st March 2022	75.69	1,442.38	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
लेखा परीक्षा नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन Changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-

(जारी/Continued)

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्स्ट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्यक्ति पुनर्मूल्यंकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
मार्च 31, 2021 को पुनर्लेखित बकाया Restated balance as at beginning of 31st March 2021	-	1,518.07	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान Transfer to/from Retained Earnings	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2021 को बकाया Balance as on 31st March 2021	-	1,518.07	5.92	(13,430.10)	-	-	(11,906.11)
जारी बोनस शेयर Bonus Shares issued	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ Profit for the year	-	-	-	3,573.87	-	-	3,573.87
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर Dividend and Dividend Distribution Tax	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय Other Comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान Transfer to/from Retained Earnings	-	(110.33)	-	-	-	-	(110.33)
जोड़े/(घटाए) वर्ष के दौरान Addition/ (deletion) during the year	-	-	-	-	-	-	-
मार्च 31, 2022 को बकाया Balance as on 31st March 2022	-	1,407.74	5.92	(9,856.23)	-	-	(8,442.57)

विवरण Particulars	आरक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus			अन्य बृहद आय से ऋण इन्सट्रुमेंट्स Debt instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय से इक्विटी इन्सट्रुमेंट Equity instruments through other comprehensive income	अन्य बृहद आय की अन्य मदें Other items of Other comprehensive income	योग Total
	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	परिसम्पत्ति पुनर्मूल्यंकन आरक्षित Assets Revaluation Reserve	अन्य आरक्षित (इन्डस्ट्रियल हाउसिंग पर सब्सिडी) Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)	संचित लाभ Accumulated Profits			
Bonus Shares issued वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	-	-	-	-
Profit for the year लाभांश एवं लाभांश वितरण कर	-	-	-	4,682.16	-	-	4,682.16
Dividend and Dividend Distribution Tax अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-
Other Comprehensive income जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to/from Retained Earnings जोड़े/ (घटाए) वर्ष के दौरान	-	(57.13)	-	-	-	-	(57.13)
Addition/ (deletion) during the year मार्च 31, 2023 को बकाया	-	-	-	-	-	-	-
Balance as on 31st March 2023	-	1,350.61	5.92	(5,174.07)	-	-	(3,817.54)

अनुसूची-13
ट्रेड एवं अन्य देयताएं

NOTE-13
TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
ट्रेड देयताएं	Trade Payables		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of Micro Enterprises & Small Enterprises.	-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों का कुल बकाया देय	Total Outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises & Small Enterprises	557.25	557.25
		557.25	557.25

TRADE PAYABLE AGING SCHEDULE

Outstanding as at 31st March 2022

विवरण	Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 Year	2-3 Year	More than 3 year	Total
I. एमएसएमई	I. MSME					
—विवादित	- Disputed					
—अन्य	- Others					
उपकुल	Sub-total (I)					
(ii)एमएसएमई के अलावा	(ii) Other than MSME					
—विवादित	- Disputed					
—अन्य	- Others				557.25	557.25
उपकुल (ii)	Sub-total (ii)				557.25	557.25
कुल (i+ii)	Total (i+ii)					

Outstanding as at 31st March 2023

विवरण	Particulars	Less than 6 months	6 Months to 1 Year	2-3 Year	More than 3 year	Total
I. एमएसएमई	I. MSME					
—विवादित	- Disputed					
—अन्य	- Others					
उपकुल	Sub-total (I)					
(ii) एमएसएमई के अलावा	(ii) Other than MSME					
—विवादित	- Disputed					
—अन्य	- Others				557.25	557.25
उपकुल (ii)	Sub-total (ii)				557.25	557.25
कुल (i+ii)	Total (i+ii)				557.25	557.25

अनुसूची-14 दीर्घ अवधि प्रावधान

NOTE-14 LONG TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	Provision for employees's benefits	-	-
अन्य	Others		
i) व्यय के लिये प्रावधान	i) Provision for Expenses	5.65	8.52
ii) नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	ii) Penal Interest of NOIDA land		
iii) नेहरू प्लेस फ्लैट धारक (देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है)	iii) Nehru Place Flat owners (Liability Under dispute under Delhi High Court)	7.48	7.48
कुल	Total	13.13	16.00

अनुसूची-15

अन्य देयताएँ जो चालू नहीं हैं

NOTE-15

OTHER NON CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
अन्य	Others		
पूंजी मदें	Capital items	272.95	272.95
		<u>272.95</u>	<u>272.95</u>
अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	Other long term liabilities		
i) ट्रेड एवं अन्य जमा	i) Trade and other deposits	275.93	230.18
ii) प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	ii) Security / Earnest money deposit	473.64	63.34
iii) भूतपूर्व कर्मचारी	iii) Ex-Employees	82.05	92.91
iv) भूतपूर्व कर्मचारी (पट्टे पर आवास)	iv) Ex-Employees (Lease accomodation)	2,231.06	2,12.96
v) सांविधिक देयताएं (गैर विवादित)	v) Statutory liabilities (Undisputed)	78.29	78.29
vi) सीमा शुल्क*	vi) Custom duty*	-	585.09
vii) अन्य देयताएं	vii) Other Liabilities	82.45	83.53
viii) कर्मचारी सुख सुविधा निधि	viii) Worker's Amenities Fund	116.28	114.17
ix) अनुदान (अवित्तपोषित)	ix) Gratuity (Unfunded)	4.45	8.68
x) अवकाश नकदीकरण अवित्तपोषित	x) Leave Encashment (Unfunded)	5.76	5.27
xi) सेवानिवृत्ति (अवित्तपोषित)	xi) Superannuation (Unfunded)	53.31	18.18
xii) बोनस	xii) Bonus	0.20	0.67
अन्य (वीएसएस-टीए आदि)	Others (VSS-TA etc.	-	0.13
xiii) कर्मचारी थ्रिफ्ट सोसाइटी	xiii) Employees Thrift Society	0.45	-
xiv) विशेष कल्याण कोष	xiv) Special Welfare Fund	0.07	-
आईबीपी (आईओसीएल) भुगतान हेतु प्रावधान	Provision for payment to IBP (IOCL)	9.96	9.96
		<u>3,413.90</u>	<u>4,063.36</u>
कुल	Total	<u>3,686.85</u>	<u>4,336.31</u>

*देयताओं को लेकर विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय में है।

*Liabilities under dispute in respective Court.

अनुसूची-16
ट्रेड एवं अन्य देयताएं

NOTE-16
TRADE AND OTHER PAYABLES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
व्यय के लिये लेनदार	Creditor for expenses	5.71	7.48
देय लेखा परीक्षा फीस	Audit fee payable	3.06	2.63
देय किराया	Rent payable	-	-
		8.77	10.11

अनुसूची-17
अन्य चालू देयताएं

NOTE-17
OTHER CURRENT LIABILITIES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	64.2	66.99
देय प्रतिभूति व्यय	Security expenses payable	-	-
सांविधिक देयताएँ	Statutory liabilities	334.69	67.39
कर्मचारियों का वेतन	Salary for employees	0.59	0.70
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	-	-
अग्रिम प्राप्त आस्थगित किराया	Deferred rent receivable in advance	50.20	-
अग्रिम पट्टा किराया	Advance lease rental	-	1.99
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	20.80	17.85
		470.50	154.92

अनुसूची-18
लघु अवधि प्रावधान

NOTE-18
SHORT TERM PROVISIONS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) Provisions for employees benefit		
आनुतोषिक (स्ववित्त)	Gratuity (Unfunded)	-	-
अवकाश नगदीकरण (स्ववित्त)	Leave Encashment (Unfunded)	-	-
सेनानिवृत्ति (स्ववित्त)	Superannuation (Unfunded)	-	-
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए. आदि)	Others (VSS-TA etc.)	-	-
बोनस	Bonus	-	-
(ख) अन्य	(b) Other		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	187.83	130.11
ठेका मजदूरों के बकाया	Provision for arrear payment to contract labour	158.06	
भुगतान का प्रावधान			
सीएसआर व्यय मामलों के लिये प्रावधान	Provision for CSR Expenditure	-	47.64
आयकर के लिये प्रावधान	Provision for Income Tax	-	120.82
(निवल अग्रिम कर तथा टी.डी.एस.)	(Net of advance tax & TDS)		
आई बी पी (आई ओ सी एल)	Provision for payment to IBP (IOCL)	-	-
को भुगतान के लिये प्रावधान			
		345.89	298.57

एन. आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं
(जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है।

**N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS
(TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)**

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
(I) आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent liabilities		
कम्पनी के उपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है।	Claims against the Company not acknowledged as debt.		
कर संबंधी मामले जो विवाद में हैं संभावित ब्याज सहिताओं के अपील में हैं।	Tax matters in dispute under appeal including possible interest		
बिक्री कर के लिए मांग	Demand for Sales Tax	2,488.60	2,488.60
सम्पत्ति कर के लिए मांग	Demand for Property Tax	16.64	16.64
मध्यस्थ के पास/न्यायलय में लंबित निर्णय	Pending decision of Court / under Arbitration	856.75	1,209.90
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10*	Income Tax demand A.Y 09-10*	-	2,12,616.78
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12*	Income Tax demand A.Y 11-12*	-	1,750.02
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 14-15*	Income Tax demand A.Y 14-15*	-	267.10
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 18-19*	Income Tax demand A.Y 18-19*	5,698.17	5,698.17
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 20-21*	Income Tax demand A.Y 20-21**	2,27,205.84	2,27,205.84
आयकर विदेशी तकनीकीशीयन***	Income tax demand foreign Technicians***	19.14	19.14
स्कैप डीलर को देय	Amount payable to Scrap dealer	187.00	187.00
होम गार्ड्स की सेवा कर मांग हेतु	Service Tax Demand on Home Guard	-	8.02
ईपीएफओ से निवेश पैटर्न में बदलाव के संदर्भ में मांग	Demand from EPFO for deviation in investment Pattern	91.05	-
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent liabilities	2,36,563.19	4,51,467.21
(II) प्रतिबद्धताएं	(II) Commitments		
(i) मैसर्स डिलोएट टच तोहमत्सू इण्डिया प्रा०लि०	(i) M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd.	25.45	104.08
(ii) मैसर्स एन.बी.सी.सी.	(ii) M/s. N.B.C.C.	4,765.69	5,293.00
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent liabilities	2,41,354.33	4,56,864.29

* आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास अपील फाईल की है।

** असेसिंग अधिकारी को सी.आई.टी. के आदेशों पर पालन करना है।

कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और वकील तथा प्रबंधन मानते हैं कि ऐसा संभव है पर अवश्य भावी नहीं है, कि हम जीतेंगे इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

*** यह कोर्ट में लंबित है तथा तालवर एकक की देय फीस है।

*Appeal has been filled with (ITAT)

** Appeal effect of CIT orders is to be given by Assessing Officer

The company is contesting the demands and the Management, including the legal counsel, believe that it is possible, but not probable, the action will succeed and accordingly no provision for liability has been recognised in the financial statements.

*** It was talchar Unit fee payable ,which is under disputed in Court.

संचालन से राजस्व

REVENUE FROM OPERATIONS

		(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)	
विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
		For the year ended 31 March 2023	For the year ended 31 March 2022
बिक्री	Sales	-	-
कुल	Total	-	-

अनुसूची-19

अन्य आय

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरण में समाहित नोट

Notes Forming Part of Financial Statement for the
Year Ended 31 March 2023

NOTE-19 OTHER INCOME

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
ब्याज से आय	Interest Income		
लघु अवधि जमा	Short term deposits	1,034.30	978.06
अल्पकालिक जमा पर ब्याज शार्ट टर्म डिपॉजिट	Accrued interest on short term deposits	1,525.45	1,079.77
पर टीडीएस काटा गया	TDS deducted on short term deposits	278.42	224.02
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank deposits workers amenities fund	4.61	4.37
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less: Transfer to workers amenities fund	(4.61)	(4.37)
अन्य ब्याज	Other interest	-	-
अन्य आय अप्रचालन से	Other non-operating Income		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec/Water charges	88.71	93.25
पट्टे के आवास के किराये	Recovery of lease rent from	110.10	80.86
की वसूली	leased Accomodation		
	Recovery of Licence fee	27.64	26.29
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of rent from land	253.40	160.15
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of Licence fee from	374.96	357.97
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस	ACC (Rly. Siding)		
(रिलवे साइडिंग) की वसूली	Water charges received from PDIL	1.04	0.72
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Misc Income	590.78	3.65
अन्य आय	Income from Security Services	29.90	30.01
सुरक्षा सेवाओं से आय	Other petty income	1,536.30	14.98
एचएफसी से बकाया की वसूली	Recovery of dues from HFC	29.56	
अन्य लघु आय	Receipt of Bid value	17.85	5.72
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	4.83	4.83
बिड मूल्य की प्राप्ति	Provision no longer required written back	90.88	166.54
वापस लिया गया प्रावधान जो नहीं चाहिए	Profit on sale of Fixed Assets	1,209.00	85.50
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(net of assets scrapped)		
(निवल स्कैप परिसम्पत्तियाँ)	Prior period Income (refer note 23)**	2.02	428.02
पूर्व अवधि आय (संदर्भ नोट 23)	Profit on sale of Fixed Assets	0.47	-
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	Rebate received from Municipal Tax	2.91	2.94
नगर निगम कर से मिली छूट	Sale of Horticultural Products,	0.13	0.25
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी	dry logwoods & Ash		
और राख की बिक्री		7,208.65	3,743.53

अनुसूची-20

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

NOTE-20

EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	23.31	21.74
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	0.28	0.57
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	1.11	1.61
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	3.15	4.57
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	0.68	0.16
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	0.34	0.88
कुल	Total	28.87	29.53

अनुसूची-21

वित्तीय लागत

NOTE-21

FINANCE COST

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
अन्य ब्याज (सेवा कर/जीएसटी पर)	Other Interest (on Service tax/GST)	0.02	0.09
अग्रिम कर के देरी से भुगतान पर ब्याज	Interest on delayed payment of advance tax	0.68	-
बैंक प्रभार	Bank charges	0.20	0.33
दंडात्मक क्षति एवं ब्याज, ईपीएफ	Penal damages & interest EPF	0.19	-
कुल वित्तीय लागत	Total Finance Cost	1.09	0.42

अनुसूची-22
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय

NOTE-22
DEPRECIATION AND AMORTIZATION EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
		As at 31 March 2023	As at 31 March 2022
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास	Depreciation on Property Plant & Equipment	10.24	12.51
निवेश सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	Depreciation on Investment Property	-	-
		12.24	12.51

अनुसूची-23

अन्य व्यय

NOTE-23 OTHER EXPENSES

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity & Water charges	10.72	15.15
किराया	Rent	6.00	6.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	162.99	156.99
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	368.17	418.18
बीमा	Insurance	0.16	0.17
दर एवं कर	Rates & Taxes	57.25	65.58
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	113.45	128.17
कानूनी एवं वृत्तिक व्यय	Legal & Professional Expenses	157.06	76.94
किराये के वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	30.52	40.57
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	0.11	0.13
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	News papers & periodicals	0.20	0.22
गैस्ट हाउस प्रभार	Guest House Expenses	0.05	0.10
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	3.85	3.01
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	1.04	0.53
नोएडा भूमि पर जुर्माना व्यय	Penal charges of NOIDA land	-	2.84
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	3.10	3.54
यात्रा पर व्यय:	<u>Travel Expenses:</u>		
निदेशक	Director	0.65	1.25
अन्य	Others	9.70	15.67
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenses on vehicles	-	0.01
नोएडा भूमि का पट्टा किराया	Lease Rent of NOIDA land	5.99	5.99
विज्ञापन	Advertisement	0.30	0.02
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	21.10	19.26
पूर्व अवधि व्यय	Prior period expenditure	31.35	219.04
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on rehabilitation study	1.73	0.14
अन्य व्यय	Misc. Expenses	171.96	18.14
लेखा परीक्षकों को भुगतान:	<u>Payment to Auditors:</u>		
लेखा परीक्षकों के रूप में	As Auditor		
क) लेखा परीक्षा फीस	a) Audit Fee	2.41	2.41
ख) कर लेखा परीक्षा फीस	b) Tax Audit Fee	0.47	0.47
ग) खर्चों का पुनर्भुगतान	c) Reimbursement off Expenses	-	-

(जारी/Continued)

अनुसूची-23
अन्य व्यय (जारी)

NOTE-23
OTHER EXPENSES (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
परामर्श शुल्क – पीडीआईएल (पुनर्भगतान का निवल)	Consultancy charges- PDIL (Net of reimbursement)	9.91	-
कोयले की बिक्री पर व्यय	Expenditure on sale of Coal	0.07	-
सीजीएसटी पर व्यय	Expenditure of CGST	1.30	2.16
आईजीएसटी पर व्यय	Expenditure of SGST	1.30	2.13
एसजीएसटी पर व्यय	Expenditure of IGST	1.39	2.20
सेस पर व्यय	Expenditure of CESS	41.91	-
लाईसेंस फीस	Filling and licence fee	0.38	-
को परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से हानि	Loss on Assets transferred to HURL	0.54	0.09
भुगतान आयकर विभाग	Payment to income tax	0.50	-
एमएसटीसी पर कमीशन	Commission on MSTC	39.41	3.62
आयकर सी एस आर कार्यों पर व्यय	Expenditure on CSR Activities	33.67	47.64
कुल	Total	1,290.80	1,258.36
पूर्व अवधि मदें	Prior Period Items		
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	0.21	32
उत्पाद शुल्क/बिक्री कर	Excise duty / Sales tax	-	-
कानूनी एवं वृत्तिक	Legal & Professional	-	-
आयकर को भुगतान (पूर्व अवधि)	Payment to Income Tax (Prior period)	-	1.98
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	-	-
पिछले साल का अतिरिक्त क्रेडिट	Extra Credit last year	-	5.47
मूल्यहास	Depreciation	0.18	199.00
अन्य व्यय	Other Expenses	30.96	12.27
कुल	Total	31.35	219.04
आय	Income		
पिछले वर्ष में अतिरिक्त डेबिट	Extra debit in past year	-	-
पिछले वर्ष में लघु ऋण	Short credit in past year	-	1.26
एशियाड गांव में किराए का बकाया	Rent arrear in Asiad Village	-	417.04
अन्य विविध आय	Other Misc. income	-	9.72
कुल	Total	-	-
कुल	NET TOTAL	31.35	(208.98)

अनुसूची-24
प्रति शेयर आय

NOTE-24
EARNING PER SHARE (EPS)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

		31 मार्च 2023 को For the year ended 31 March 2023	31 मार्च 2022 को For the year ended 31 March 2022
वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि	Net Profit/Loss for the year	4,682.16	3,573.87
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्धता राशि(ए)	Amount available for equity share holders(A)	4.68.16	3,573.87
शेयरों की भारित औसत संख्या (बी)	Weighted average number of shares(B)	75.09	75.09
प्रति शेयर मूल और पाटला आय (ए/बी)	Basic and diluted earning per share(A/B)	62.35	47.59
अकिंत मूल्य 100 प्रति शेयर	Face value 100 per share		

महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछले वर्ष की नीतियों की तुलना में जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, इस वर्ष कोई परिवर्तन नहीं है।

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) जहाँ तक अधिसूचित है के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए एस) के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत, कुछ वित्तीय इन्स्ट्रुमेंट्स को छोड़कर जो कि उचित मूल्यों पर आँके जाते हैं, उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं। इण्ड ए एस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किये गये हैं, कंपनी नियम 2015 इण्डियन एकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नियम 3 और उसके बाद जारी संबंधित संशोधित नियम के साथ पढ़ें।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष सहित और यहाँ तक कि अवधियों के लियें ग्रुप ने अपने वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित, कम्पनी नियम 2014 इण्डियन जी ए ए पी के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़ें, लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया है। कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिये पहली बार इण्ड ए एस के अनुसार तैयार किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, एफ.सी.आई.एल.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS ON 31ST MARCH, 2023.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies during the year as compared to previous year policies, which are being consistently followed.

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') (to the extent notified). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the relevant amendment rules issued thereafter.

For all periods up to and including the year ended 31st March 2018, the Group prepared its financial statements in accordance with accounting standards notified under the section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 (Indian GAAP). These financial statements for the year ended 31st March 2019 are the first the Company has prepared in accordance with Ind AS.

The consolidated financial statements have been prepared on a historical cost basis. Accounts have been finalized on the basis of

की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

राशियों का पूर्णांकन

वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए गये हैं। और सभी मूल्यों को निकटतम लाख (रूपये 00,000), बदल दिया गया है, शिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया है।

II. अनुमान का लगाना

वित्तीय विवरणों को सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार करने के लिये प्रबंधन को अनुमान लगाना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है जो कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियों, देयताओं और वित्तीय विवरण की तिथि तक की प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकता है। लेखा अनुमान वर्तमान और भविष्य की अवधि के किसी भी संशोधन में भावी रूप से मान्य है।

III. व्यापारिक एकरूपता

(क) इण्ड ए एस 101 के अनुसार पहली बार अंगीकृत करने से संबंधित प्रावधानों को ग्रुप ने भावी व्यापार एकरूपता के लिये इण्ड ए एस लेखांकन को 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का निर्णय लिया है। अतः व्यापार एकरूपता से संबंधित इण्डियन जी ए ए पी बकाया जो कि उस तिथि से पहले प्रविष्टि की गई है, सद्भावना (गुडविल) सहित, न्यूनतम समायोजन के साथ आगे लेखित कर दिया

going concern after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of Company.

ROUNDING OF AMOUNTS

The financial statements are presented in Indian Rupees ('INR') and all values are rounded to nearest lakh (INR 00,000), except when otherwise indicated.

II. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities at the date of financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the year. Actual results could differ from those estimates. Any revision to accounting estimates is recognised prospectively in current and future periods.

III. BUSINESS COMBINATIONS

(a) In accordance with Ind AS 101 provisions related to first time adoption, the Group has elected to apply Ind AS accounting for business combinations prospectively from 1st April 2014. As such, Indian GAAP balances relating to business combinations entered into before that date, including goodwill, have been carried forward with minimal adjustment (Please ref. note 50). The same first time

गया है। (कृपया टिप्पणी 50 को देखें) ऐसा ही पहली बार अंगीकृत छूट का प्रयोग सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के लिये भी किया गया है।

व्यापार एकरूपता को अर्जन पद्धति से लेखांकित किया गया है। अंतरित किये गये प्रतिफल के कुल के रूप में अर्जन के लागत का माप अर्जन के दिनांक से उचित मूल्य, और अर्जन में किसी भी प्रकार की अनियंत्रित ब्याज की राशि को मापा जाता है। प्रत्येक व्यापार एकरूपता के लिये कंपनी या तो अनियंत्रित ब्याज के अर्जन को उचित मूल्य पर मापने के लिये अथवा अर्जन करने वाले की पहचान हो सकने योग्य निवल परिसम्पत्ति का औसत शेयर चुनती है। अर्जन संबंधी खर्चों को व्यय में दिखाया गया है।

(ख) संयुक्त उद्यमों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार से संयुक्त रूप से व्यवस्था है जहाँ व्यवस्था में पार्टियों का संयुक्त रूप से नियंत्रण होता है और निवल परिसम्पत्ति में संयुक्त उद्यमों का अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिये संविदागत सहमति है। यह केवल तभी संभव है जहां संबंधित गतिविधियों के विषय में पार्टियाँ जिनका नियंत्रण में हिस्सा है की सर्वसम्मत सहमति से निर्णय लिया जाता है।

यह पता लगाने के लिये विचार किया गया है कि संयुक्त नियंत्रण वैसा ही है जैसा कि सब्सिडरी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिये आवश्यक होता है।

संयुक्त उद्यम में निवेश को इक्विटी पद्धति द्वारा लेखांकन किया जाता है। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश को प्रारम्भ में लागत पर लिया जाता है ताकि अर्जन की तिथि से सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निवल परिसम्पत्ति के

adoption exemption is also used for associates and joint ventures.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non controlling interests in the acquiree. For each business combination, the Company elects whether to measure the non controlling interests in the acquiree at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition-related costs are expensed as incurred.

(b) Investment in Joint Ventures

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining whether joint control is similar to those necessary to determine control over the subsidiaries.

The entity investments in its joint venture are accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The carrying amount of

ग्रुप शेयर में परिवर्तन को जाना सके। सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित विश्वसनीयता को निवेश से ली गई राशि में समाहित किया जाता है और अलग से क्षति के लिये परीक्षण नहीं किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण संयुक्त उद्यम के प्रचालन परिणाम को संस्थागत शेयर के रूप में दर्शाता है। इन निवेशकों के ओ सी आई में किसी भी परिवर्तन को संस्था के ओ सी आई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब संयुक्त उद्यम के इक्विटी में परिवर्तन को सीधे मान्यता दी जाती है, ग्रुप अपने शेयर में किसी परिवर्तन को, जहाँ लागू हो, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को मान्यता देता है। कम्पनी और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन के कारण अप्राप्य लाभ एवं हानि को जहाँ तक हो, संयुक्त उद्यम के ब्याज को विलोपित कर दिया जाता है।

यदि संयुक्त उद्यम की कंपनी के हिस्से का घाटा उसके ब्याज के बराबर हो जाता है या बढ़ जाता है (जिसके अंतर्गत दीर्घ अवधि ब्याज, सार रूप में, संयुक्त उद्यम में संस्था के सकल निवेश का भाग हैं) संस्था आगे होने वाले अपने हिस्से के घाटे को मान्य करना बन्द कर देती है। अतिरिक्त घाटे, एक सीमा तक, तभी तक मान्य होते हैं जब तक कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो। यदि संयुक्त उद्यम आगे चल कर लाभ दिखाता है, संस्था मान्य न किये गये अपने लाभ के हिस्से के बराबर हानि के हिस्से को लाभ का हिस्सा मानना प्रारम्भ कर देती है।

संयुक्त उद्यम के कंपनी के कुल लाभ या हानि के शेयर को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

the investment is adjusted to recognise changes in the Group's share of net assets of the associate or joint venture since the acquisition date. Goodwill relating to the associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment and is not tested for impairment individually.

The statement of profit and loss reflects the entity share of the results of operations of the joint venture. Any change in OCI of those investees is presented as part of the entity's OCI. In addition, when there has been a change recognised directly in the equity of the joint venture, the Group recognises its share of any changes, when applicable, in the statement of changes in equity. Unrealised gains and losses resulting from transactions between the Company and the joint venture are eliminated to the extent of the interest in the joint venture.

If a Company share of losses of a joint venture equals or exceeds its interest in the joint venture (which includes any long term interest that, in substance, form part of the entity's net investment in the joint venture), the entity discontinues recognising its share of further losses. Additional losses are recognised only to the extent that the Company has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture. If the joint venture subsequently reports profits, the entity resumes recognising its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognised.

The aggregate of the Company share of profit or loss of a joint venture is shown on the face of the statement of profit and loss. After

इक्विटी पद्धति को लागू करने के पश्चात कंपनी यह निर्धारित करती है कि संयुक्त उद्यम के अंतर्गत क्या क्षति घाटा को दिखाना आवश्यक है। प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक पर कंपनी निर्धारित करती है कि उसके पास क्या प्रमाण है कि संयुक्त उद्यम में किये गये निवेश से उसे क्षति हुई है। यदि ऐसा प्रमाण है, कम्पनी क्षति की राशि का परिकलन संयुक्त उद्यम के वसूली योग्य राशि और उसके लिये गये मूल्य के बीच के अन्तर को और तब घाटे को सहयोगी और संयुक्त उद्यम के लाभ का हिस्सा, के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

IV. चालू और चालू नहीं में वर्गीकरण

ग्रुप, तुलन-पत्र में परिसम्पत्तियों और देयताओं को चालू/चालू नहीं के आधार पर वर्गीकृत करती है। परिसम्पत्ति को चालू के रूप में माना जाता है जब उसके:-

- मिलने की संभावना हो या बेचने की तैयारी हो या सामान्य विधि से उपभोग करना हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- नकद या नकद के बराबर, जब तक कि विनिमय की पाबंदी न लगाई गई हो या
- नकदी अथवा नकदी के बराबर, जब तक परसंपत्ति के लेन देन पर रोक हो अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं को निपटारो के लिए उपयोग हो।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण चालू नहीं के रूप में है।

application of the equity method, the Company determines whether it is necessary to recognise an impairment loss on its investment in its joint venture. At each reporting date, the Company determines whether there is objective evidence that the investment in the joint venture is impaired. If there is such evidence, the Company calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the joint venture and its carrying value, and then recognises the loss as 'Share of profit of an associate and a joint venture' in the statement of profit or loss.

IV. Current Versus Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle
- Holds primarily for the purpose of trading
- Expects to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

देयता चालू के रूप में है जब:

- इसके सामान्य आपरेंटिंग चक्र में निपटारा होने की संभावना हो
- इसके प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के लिये रखा हो
- इसके रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात बारह महीने के अन्दर निपटान होने योग्य हो
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह महीने के लिये देयताओं के निपटान में मतभेद के लिये बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देयताओं को “चालू नहीं” के रूप में वर्गीकरण किया जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ और देयताओं को चालू नहीं परिसम्पत्तियाँ और देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन चक्र, प्रोसेसिंग के लिये अर्जन किये गये परिसम्पत्ति और नकद या नकद के बराबर उनके मान्य होने के बीच का समय है। ग्रुप ने इसके परिचालन चक्र को बारह महीने निर्धारित किया है।

V. राजस्व मान्यता

जब भुगतान किया जाता है, राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कंपनी को आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकेगा। राजस्व को प्राप्त हो गये अथवा होने योग्य राशि को परिभाषित संविदागत भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुये सरकार के लिये इकट्ठी की गई कर एवं शुल्क को छोड़ कर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

A liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle
- It is held primarily for the purpose of trading
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period

The Group classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and non-current liabilities.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realisation in cash and cash equivalents. The group has identified twelve months as its operating cycle.

V. REVENUE RECOGNITION

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment and excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

राजस्व मान्यता से पूर्व निम्नलिखित विशेष मान्यता विधि को भी अपनाना चाहिए:-

- निवेश की गई राशि और ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुये ब्याज से आय औसत समय आधार पर मान्य होता है ; और
- राजस्व तब मान्य होता है जब ग्रुप को भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह साधारणतः तभी होता है जब शेयर धारक लाभांश का अनुमोदन प्रदान कर देते हैं और
- निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टों से उत्पन्न किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर आकस्मिक आधार पर हिसाब लगाया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है।

Following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised:

- Interest income is recognised on a time proportion basis taking into account the amount invested and the rate of interest; and
- Revenue is recognised when the Group's right to receive the payment is established, which is generally when shareholders approve the dividend; and
- Rental income arising from operating leases on investment properties is accounted for on accrual basis over the lease terms and is included in revenue in the statement of profit or loss due to its operating nature.

VI. संपत्ति प्लांट उपकरण (पीजीई)

पिछले जी ए ए पी (भारतीय जी ए ए पी) में स्वामित्व पर भूमि एवं भवन (सम्पत्ति), निवेशित सम्पत्ति को छोड़ कर, 31.3.2015 को किये गये उचित मूल्यांकन के आधार पर तुलन-पत्र में लिया गया था। कंपनी ने पुनर्मूल्यांकन की तिथि में सम्पत्ति के उन मूल्यों को लागत के रूप में माना है क्योंकि वे व्यापक रूप से उचित मूल्य से तुलनीय थे। कंपनी ने यह भी दृढ़ निश्चय किया है कि 31.3.2015 तक का पुनर्मूल्यांकन अप्रैल 1, 2018 (इण्ड ए एस को प्रभाव में लेने की तारीख) के उचित मूल्यांकन से भिन्न नहीं है इस प्रकार कंपनी ने अप्रैल 1, 2018 को परिसम्पत्ति का फिर से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। संयंत्र एवं उपकरण के

VI. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT (PPE)

Under the previous GAAP (Indian GAAP), freehold land and buildings (property), other than investment property, were carried in the balance sheet on the basis of fair valuations performed as at 31.03.2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the revaluation since they were broadly comparable to fair value. The Company has also determined that revaluation as at 31.03.2015 does not differ materially from fair valuation as at 1st April 2018 (date of transition to Ind AS). Accordingly, the Company has not revalued the property at 1st April 2018 again. Certain items of plant and equipment have been measured at fair value at the date of transition to Ind AS. The

कुछ मर्दों को इण्ड ए एस के प्रभावी दिनांक से उचित मूल्य पर मापा गया है। ग्रुप उचित मूल्य को प्रभावी दिनांक अर्थात् अप्रैल 1, 2018 को मान्य लागत मानता है।

अन्य परिसम्पत्तियाँ

- क) मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों जो कि निपटान के लिये हैं जिन्हें 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित किया गया है, को छोड़ कर, स्थायी परिस पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।
- ख) मूर्त परिस पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूर्णता के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है और उपयोग के लिये होता है।
- ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।
- घ) मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जे, जिन्हें कंपनी 12 माह से अधिक के लिए उपयोग करना चाहती है का पूंजीकरण एएस-2 (सशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया गया है।
- ङ) मूर्त परिस पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।
- च) सेवामुक्त स्थायी परिसम्पत्तियों एवं अन्य परिस पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5

Group regards the fair value as deemed cost at the transition date, viz., 1st April 2018.

Other Assets:

- a) Tangible fixed assets are stated at Historical Cost except fixed assets held for disposal which have been revalued during the year ended 31st March 2015.
- b) Tangible fixed assets are capitalized after they are certified to be complete and ready for their intended use.
- c) Land given 'free of cost' by State Governments and other authorities is capitalised at cost and / or on the basis of incidental expenditure as per the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.
- d) Machinery spares which the company intends to use more than a period of 12 months are capitalized in pursuance with provisions Accounting Standard-2 (Revised).
- e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost and expenses could be measured reliably.
- f) Retired fixed assets and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है। फिर भी जहाँ स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यहास लागत के 95 प्रतिशत से अधिक का पहले ही कर दिया गया है, उसे वैसे ही बनाये रखा गया है।

However, where fixed assets are already depreciated more than 95% of the cost, it is retained as it is.

VII. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में गिरावट/कमी को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

VII. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Decline/ diminution other than temporary, in the value of such investment is recognised and provided for.

VIII. मूल्यहास

क. ₹.5000 मूल्य तक की परिसंपत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।

ख. मूल्यहास और परिशोधन स्थायी सम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी रहने की दशा के अनुसार स्ट्रेट लाईन पद्धति, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है पर यथा अनुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

ग. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात परिशोधित कर दिया जाता है।

VIII. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation and amortization is provided on a pro-rata basis on the straight-line method over the estimated useful lives of the fixed assets as specified in Schedule-II to the Companies Act, 2013.

c) Lease hold land is amortised over the period of lease.

IX. वस्तुसूचियाँ

i) वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

प्रत्येक उत्पाद को वर्तमान स्थान और स्थिति पर लाने के लागत को निम्न प्रकार से लेखित किया गया है:-

IX. INVENTORIES

i) Inventories are valued at the lower of cost and net realisable value.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

- कच्चा माल : वस्तुसूचियों को वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने पर किया गया क्रय लागत तथा अन्य लागत सम्मिलित है। लागत का निर्धारण पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर किया जाता है।
- तैयार माल एवं कार्य प्रगति में : लागत में प्रत्यक्ष सामग्री एवं श्रम एवं सामान्य परिचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवर हेड्स के अनुपात की लागत, लेकिन उधार लिये गये की लागत को छोड़कर, शामिल है। लागत पहले अन्दर, पहले बाहर के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ट्रेड किया गया सामान: लागत में खरीद की लागत एवं अन्य लागत शामिल हैं जो वस्तुसूचियों को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती हैं। लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

व्यापार के साधारण तरीके से अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत में से घटाकर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है।

पैकिंग सामग्री और स्टोर और पुर्जों के अन्य भंडार को निवल वसूली योग्य मूल्य पर मापा गया है और मूल्य में अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

ii) अप्रचलन में या कम दिखाना

कच्चा माल स्टोर्स एवं स्पेयर्स सहित वस्तुसूचियों का वर्तमान मूल्य लागत के 25 प्रतिशत पर लिया जाता है। केवल इन्हें छोड़ कर:-

क) कोरबा प्लांट में मूल्य, लागत के 5 प्रतिशत पर लिया जाता है और

- Raw materials: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on first in, first out basis.
- Finished goods and work in progress: cost includes cost of direct materials and labour and a proportion of manufacturing overheads based on the normal operating capacity, but excluding borrowing costs. Cost is determined on first in, first out basis.
- Traded goods: cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The other stock of packing material and stores & spares has been measured at net realisable value and provision has been created for obsolescence in value.

ii) Obsolescence or depletion

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost except:

a) In Korba Plant, the inventory value considered at 5% of the cost and

ख) सिन्दरी प्लांट में उपयोग में न लाया गया 175 लाख रुपये मूल्य का प्लैटिनम भंडार में रखा है जिसका कम करके प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्लैटिनम का बाजार में मूल्य बढ़ने योग्य है।

सिंदरी संयंत्र में प्लैटिनम 174.79 लाख रुपये मूल्य का बिना उपभोग के सुरक्षित संरक्षण में पड़ा है, जिसके कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं है किया गया है क्योंकि प्लैटिनम का बाजार में वृद्धि मूल्य है। गोरखपुर, रामागुंडम और तालचर संयंत्रों में भी 2003 बंद होने के बाद कुछ प्लैटिनम सीलबंद में पड़े हुए हैं, जिनका बही-खातों में कोई हिसाब नहीं है। ऐसा ही एक अनरिकॉर्डेड पैकेट सिंदरी में भी उपलब्ध है।

अब मैसर्स आरसीएफ के तकनीकी मार्गदर्शन से सामग्री के निपटान की कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं। सामग्री के गुणवत्ता विश्लेषण के लिए बजटीय प्रस्ताव मैसर्स लेडौक्स एण्ड कम्पनी, यूएसए से पहले ही मांगा जा चुका है। मूल्यांकन के बाद, सामग्री सामान्य निविदा प्रक्रिया के माध्यम से बेची जाएगी।

तैयार माल, पैकिंग सामग्री रसायन, कैटेलिस्ट और उपयोग होने योग्य भंडार ल्यूब्रीकेंट, चिकित्सा भंडार तथा कबाड़ की वस्तुसूचियों को लागत के 100 प्रतिशत पर अप्रचलन के लिये प्रावधान किया गया है।

X. गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग दिनांक को यह आकलन करती है कि परिसम्पत्ति में क्षति होने के क्या कोई संकेत हैं। यदि संकेत हैं या जब परिसम्पत्ति के वार्षिक क्षति जाँच की आवश्यकता होती है तब

b) In Sindri Plant, Platinum lying in stores as unconsumed valued at Rs. 174.79 lakh for which no provision made for depletion as Platinum has appreciable value in the market.

In Sindri plant, Plant, platinum lying in safe custody as unconsumed valued at Rs 174.79 lakh for which no provision made for depletion as Plantinum has appreciable value in the market. In Gorakhpur, Ramagundam and Talcher plants also some platinum is lying in sealed packed conditions since closure of the plants in 2003 which have not been accounted for in books. One such unrecorded packets is also available in Sindri.

Now, With the technical guidance of M/s RCF, the action for dispose off the material has been taken up. Budgetary offer for quality analysis of the material has already been asked from M/s Ledoux & Co,USA. After valuation, the material will be sold through normal tendering procedure.

Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, catalysts and consumable stores, lubricants, medical stores and scrap are provided at 100% of the cost towards obsolescence.

X. IMPAIRMENT OF NON-FINANCIAL ASSETS

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for

कंपनी परिसम्पत्ति से प्राप्त होने योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि, एक परिसम्पत्ति या नकदी पैदा करने वाली यूनिट के उचित मूल्य से अधिक को निपटान की लागत और उपयोग में इसकी कीमत में घटाने से प्राप्त होती है। जब तक कि परिसम्पत्ति नकद प्रवाह पैदा न करती हो जो कि अन्य परिसम्पत्तियों या परिसम्पत्तियों के समूह से वे अधिकतर स्वतंत्र होते हैं, व्यक्तिगत परिसम्पत्ति के लिये वसूली राशि का निर्धारण किया जाता है जब एक परिसम्पत्ति या सी जी यू की कैरिंग राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, परिसम्पत्तियों को क्षति युक्त समझा जाता है और तब उसे वसूली योग्य राशि से कम करके लिखा जाता है।

जो उपयोग में हो रहा है, उसके मूल्य का आकलन करने से पूर्व कर रियायत दर को अपनाते हुये जो समय धन का मूल्य और जोखिम परिसम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह को उसके वर्तमान मूल्य में से रियायत दिया जाता है। उचित मूल्य के निपटान की लागत का निर्धारण करने में, वर्तमान बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि इस प्रकार के किसी लेन-देन की पहचान नहीं हो सकती है तब एक उपयुक्त मूल्यांकन माडल का उपयोग किया जाता है।

ओ सी आई को ले जाये गये पुनर्मूल्यांकन अधिशेष के साथ पहले पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति को छोड़ कर वास्तुसूचियों की क्षति सहित लगातार प्रचालन में क्षति से हुई हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में दिखाया गया है। इस प्रकार की सम्पत्ति के लिये पूर्व पुनर्मूल्यांकन अधिशेष की राशि तक ओ सी आई में क्षति माना जाता है।

an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used.

Impairment losses of continuing operations, including impairment on inventories, are recognised in the statement of profit and loss, except for properties previously revalued with the revaluation surplus taken to OCI. For such properties, the impairment is recognised in OCI up to the amount of any previous revaluation surplus.

यह निर्धारित करने के लिये कि क्या कोई संकेत है कि पहले मानी गई क्षति से हानि अब नहीं है या घट गई है, गुडविल को छोड़ कर परिसम्पत्ति के लिये प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को निर्धारण किया जाता है। पहले मानी गई क्षति हानि में से यदि परिसम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिये परिकल्पना में कोई परिवर्तन है, केवल तभी पहले मानी गई क्षति हानि को सुरक्षित रखा जाता है। वापसी सीमित है ताकि परिसम्पत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो और न ही उस वहन राशि से अधिक हो जो निर्धारित की गई होगी, निवल मूल्यहास का, पिछले वर्षों में परिसम्पत्ति के लिये क्षति हानि को नहीं माना गया था। लाभ या हानि विवरण में इस तरह के वापसी को मान्यता दी जाती है जब तक कि परिसम्पत्ति को एक पुनर्मूल्यांकित राशि पर नहीं ले जाया जाता है, इस स्थिति में, वापसी को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

XI. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वी.एस.एस. के विकल्प को अपना चुके कर्मचारियों को आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as a revaluation increase.

XI. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity for employees opted for VRS, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non-monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on accrual basis and charged to statement of Profit & Loss.

XII. पूर्व चुकता व्यय

रू.25,000 रूपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

XIII. तीन वर्ष से अधिक पुराने साधारण प्राप्ति योग्य को संदिग्ध ऋण के रूप में माना और प्रावधान किया जाता है।

XIV. पट्टे पर

इस बात का निर्धारण कि क्या कोई व्यवस्था (शामिल है) पट्टा है जो पट्टे के प्रारम्भ से पट्टे की व्यवस्था पर आधारित है। व्यवस्था, एक पट्टा है, या समाहित है, यदि व्यवस्था की पूर्ति एक विशिष्ट सम्पत्ति या सम्पत्तियों के उपयोग पर निर्भर है और व्यवस्था सम्पत्ति या सम्पत्तियों की उपयोग करने का अधिकार देती है, भले ही वह अधिकार व्यवस्था में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदार है

पट्टे को जहाँ पट्टादाता, पट्टे पर दिये गये मदों के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को प्रभावी ढंग से पर्याप्त रूप में बनाये रखता है, को आपरेंटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लाभ-हानि विवरणिका में आपरेंटिंग पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर व्यय के रूप में माना गया है।

जहाँ कम्पनी पट्टेदाता है

पट्टों को जहाँ कम्पनी काफी हद तक परिसम्पत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ का स्थांतरण नहीं करती है, को आपरेंटिंग पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिसम्पत्तियाँ बशर्ते जो आपरेंटिंग पट्टे पर हैं, स्थायी परिसम्पत्तियों में

XII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000/- in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

XIII. Receivables for more than three years old to be treated and provided as doubtful debts.

XIV. LEASES

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Where the Company is the lessee

Leases where the lessor effectively retain substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

Where the Company is the lessor

Leases in which the company does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease

शामिल हैं। लाभ-हानि विवरणिका में पट्टों से आय को पट्टा अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर माना गया है। लाभ-हानि विवरणिका में मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रूप में माना गया है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे कि कानूनी लागत, ब्रोकरेज लागत आदि को लाभ और हानि विवरणिका में तुरंत लिया गया है।

XV. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन मूल आय की गणना वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर धारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

पृष्ठभूमि

1. फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की स्थापना 24 अप्रैल 1961 को सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के समामेलन द्वारा की गई थी।
2. बाद में, फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स को 1-4-1978 को पाँच कम्पनियों नामत एफसीआईएल, एनएफएल, एचएफसीएल, आरसीएफ और पीडीआईएल में पुनर्गठित किया गया।
3. एफसीआईएल की चार इकाइयाँ हैं, नामत सिंदरी (झारखण्ड), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), रामागुंडम (तेलंगाना) और तालचेर (ओडिशा) इकाइयाँ और कोरबा परियोजना (छत्तीसगढ़) स्थल।

बीआईएफआर के लिए संदर्भ

4. पुनर्गठन के बाद, एफसीआईएल के पास रखी गई इकाइयों की प्रौद्योगिकी और फीडस्टॉक की प्रकृति की

income is recognised in the Statement of Profit and Loss on a accrual basis over the lease term. Cost including depreciation is recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss. Initial direct costs such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

XV. EARNING PER SHARE

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

B. NOTES ON ACCOUNTS

Background

1. Fertilizer Corporation of India Limited (FCIL) was incorporated on 24th April 1961 by the amalgamation of Sindri Fertilizers & Chemicals Limited and Hindustan Chemicals & Fertilizers Limited.
2. Later, Fertilizer Corporation of India Limited and National Fertilizers Limited were reorganized on 1.4.1978 into five Companies, namely, FCIL, NFL, HFCL, RCF & PDIL.
3. FCIL has four Units, namely, Sindri (Jharkhand), Gorakhpur (Uttar Pradesh), Ramagundam (Telengana) & Talcher (Odisha) Units and Korba Project (Chhattisgarh) site.

Referral to BIFR

4. Post reorganization, due to aging of technology and nature of feedstock of the

उम्र बढ़ने के कारण, कम्पनी को घाटा होने लगा, जिससे 1983-84 तक इसका पूरा निवल मूल्य समाप्त हो गया।

5. वर्ष 1992 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) में संशोधन के बाद एफसीआईएल को अप्रैल, 1992 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया।

इकाइयों के संचालन को बंद करना

6. उर्वरक इकाइयों के आर्थिक प्रचालनों की अव्यवहार्यता के कारण, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में सभी उर्वरक इकाइयों के प्रचालनों को बंद करने और कर्मचारियों को वीएसएस पर रिहा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा, और सांविधिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए कुछ कर्मचारियों को छोड़कर अधिकांश कर्मचारियों को वीएसएस पर रिहा कर दिया गया था। जिन कर्मचारियों को बनाए रखा गया था, उन्हें बाद में वीएसएस के तहत नियत समय में सेवानिवृत्त या मुक्त कर दिया गया है।
7. वर्तमान में, कम्पनी के रोल पर केवल 1 कर्मचारी है और विभिन्न इकाइयों/कार्यालय में कार्य निष्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ रिटेनर्स की सेवाएं ली जा रही हैं।

इकाइयों का पुनरुद्धार

8. तत्पश्चात, देश में यूरिया की मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए और एफसीआईएल की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों में उपलब्ध परिसंपत्तियों और अवसंरचना का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल, 2007 में इन इकाइयों के पुनरुद्धार पर विचार करने का निर्णय लिया।

units retained with FCIL, the Company started incurring losses, eroding its entire Net Worth by 1983-84.

5. Subsequent to the amendment of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA), in 1992, FCIL was referred to BIFR in April 1992.

Closure of operations of the Units

6. Due to un-viability of economic operations of the fertilizer Units, GoI in 2002 took a decision for closure of operations of all the fertilizer units and release of employees on VSS. Accordingly, most of the employees were released on VSS, except skeleton staff retained for the purpose of safety & security of the plants and to discharge the statutory functions. The employees, who were retained, have subsequently been superannuated or released under VSS in due course of time.
7. At present, there is only 1 employee on the rolls of the Company and services of few retainers are being taken to supplement the job requirements at different Units/ Corporate Office

Revival of Units

8. Subsequently, considering the demand-supply gap of urea in the country and to leverage the assets & infrastructure available in the closed fertilizer Units of FCIL, GoI, in April 2007, took a decision to consider revival of these Units.

9. अक्टूबर, 2008 में सीसीईए ने सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया ताकि इन इकाइयों के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जाँच की जा सके और सरकारी वित्तपोषण का सहारा लिए बिना तथा गैस की उपलब्धता के अध्ययन पुनरुद्धार के लिए एक स्कीम की सिफारिश की जा सके।
10. सीसीईए ने ईसीओएस की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अथवा बोली प्रक्रिया के माध्यम से अलग-अलग इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए दिनांक 4.8.2011 को पुनर्वास योजना के मसौदे को अनुमोदित किया है। सीसीईए ने यह भी मंजूरी दी कि सरकार द्वारा नामित सार्वजनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार उद्यम एफसीआईएल को परियोजना में न्यूनतम 11% इक्विटी और बोर्ड सीट की पेशकश करेंगे।
11. इसके अतिरिक्त, सीसीईए ने दिनांक 09/05/2013 को एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए 31/3/2012 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण (2739.27 करोड़ रुपये) और ब्याज (7904.47) को माफ करने का अनुमोदन किया ताकि एफसीआईएल पुनरुद्धार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीआईएफआर से पंजीकरण रद्द करा सकें। कम्पनी को दिनांक 27.06.2013 को बीआईएफआर से अपंजीकृत कर दिया गया।
12. वर्तमान में, भारत सरकार के अनुमोदन से, एफसीआईएल की इकाइयों का पुनरुद्धार निम्नानुसार किया जा रहा है:-

संयुक्त उद्यम कम्पनियों के साथ पट्टा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं/किए जाने हैं। पट्टा करारों की शर्तों के अनुसार सभी पट्टे का प्रचालन कर रहे हैं और तदनुसार लेखांकन उपचार किया गया है।
9. In October 2008, CCEA constituted an Empowered Committee of Secretaries (ECoS) to examine the viability of revival of these Units and recommend a Scheme for revival, without recourse to Government funding and subject to the availability of gas.
10. CCEA approved a Draft Rehabilitation Scheme on 4.8.2011 on the recommendations of ECoS for revival of the individual Units either by GoI nominated PSUs or through bidding route. CCEA further approved that the reviving JVs of Government nominated PSUs would offer a minimum of 11% equity and a Board seat in the Project to FCIL.
11. Further, CCEA on 9.5.2013 approved waiver of GoI loan (Rs.2739.27 crore) & interest (Rs.7904.47 crore) of FCIL as on 31.3.2012 to make its net worth positive to enable FCIL to get de-registered from BIFR to speed up the revival process. The Company was de-registered from BIFR on 27.6.2013.
12. At present, with the approval of GoI, the revival of the Units of FCIL is being carried out as detailed below:-

The lease agreements with the Joint Ventures Companies have been signed/are to be signed. As per terms of lease agreements all the leases are operating leases and accounting treatment has been made accordingly.

रामागुंडम इकाई

12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला गैस

Ramagundam Unit

A Joint Venture Company, namely,

आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत ईआईएल, एनएफएल, और एफसीआईएल द्वारा एक संयुक्त उद्यम कम्पनी नामत रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) का गठन किया गया है। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य सम्पत्ति और अवसर लागत प्रदान करने के बदले में 11% इक्विटी दी गई है। एफसीआईएल के साथ रियायत करार, पट्टा करार और प्रतिस्थापन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयंत्र ने 22 मार्च 2021 से यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

तालचर यूनिट

12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल द्वारा एक संयुक्त उद्यम कम्पनी नामत तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) का गठन किया गया है। एफसीआईएल को भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य सम्पत्ति और अवसर लागत प्रदान करने के एवज में 4.45% इक्विटी दी गई है। परियोजना का काम अब आगे बढ़ रहा है। परियोजना को पूरा करने की तारीख सितम्बर, 2024 निर्धारित की गई है। परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ पूरी कर ली गई हैं। विभिन्न एलएसटीके और गैर-एलएसटीके ठेका फर्मों द्वारा परियोजना गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। लगभग 14 फर्मों को निर्माणाधीन निर्माण कार्य में लगाया गया है। इस बीच, मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के कोयला लिंकेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। एफसीआई और टीएफएल के बीच रियायत समझौता और प्रतिस्थापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

सिंदरी और गोरखपुर इकाइयाँ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के साथ-साथ एचएफसीएल

Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited (RFCL) has been incorporated by the nominated PSUs, namely, EIL, NFL and FCIL to set-up a gas-based fertilizer plant with a capacity of 12.7 lakh MT per annum. FCIL has been given **11% equity** in lieu of providing land use, usable assets and Opportunity Cost. Concession Agreement, Lease Agreement & Substitution Agreement have been signed with FCIL. **The plant has started commercial production of Urea w.e.f. 22nd March 2021.**

Talcher Unit

A Joint Venture Company, namely, Talcher Fertilizers Limited (TFL) has been incorporated by the nominated PSUs, namely, RCF, GAIL, CIL and FCIL to set-up a coal-based fertilizer plant with a capacity of 12.7 lakh MT per annum. FCIL has been given **4.45% equity** in lieu of providing land use, usable assets and Opportunity Cost. The job of project is now going ahead. The date of completion of the project has been Scheduled as September, 2024. Pre-project activities have been completed. Project activities are in progress by various LSTK and Non-LSTK contract firms. About 14 nos of Firms have been engaged in the on going construction work. In the meantime the coal linkage have been finalised with M/s Mahanadi Coalfields Limited (MCL). Concession Agreement and Substitution Agreement has been signed between FCIL & TFL, approved by the Empowered Committee of Secretaries (ECoS).

Sindri & Gorakhpur Units

Union Cabinet decided on 13.7.2016 to revive Sindri & Gorakhpur Units of FCIL, along with

की बरौनी इकाई को नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल की संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया, ताकि 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले गैस आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सकें। एफसीआईएल और एचएफसीएल संयुक्त उद्यम भागीदार भी होंगे, जिन्हें भूमि उपयोग, उपयोग करने योग्य परिसम्पत्तियों और अवसर लागत के बदले प्रत्येक परियोजना में 10.99% इक्विटी प्राप्त होगी। मंत्रिमंडल ने पुनरुद्धार प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) का भी गठन किया। इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के नाम से संयुक्त उद्यम कम्पनी का गठन किया गया था। सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं के लिए एफसीआईएल और एचयूआरएल के बीच रियायत समझौतों के साथ-साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफसीआईएल, एचयूआरएल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के बीच गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों के लिए प्रतिस्थापना समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर में 03.05.2022 और सिंदरी में 15.04.2023 को वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही शुरू किया जा चुका है।

ग. स्थायी परिसम्पत्तिया तथा पूंजीगत चालू कार्य

1. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखंड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, अनुमानित मूल्य 14.11 लाख रुपये लगाया गया है।
2. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 से 1980 के दौरान राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई थी। इसके अलावा एफसीआईएल द्वारा 16.78 लाख रुपये के मूल्य पर 29 एकड़ फ्री होल्ड और 7 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध

Barauni Unit of HFCL by a Joint Venture Company of nominated PSUs, namely, NTPC, CIL & IOCL to set up gas based Fertiliser plants with a capacity of 12.7lakh MT. per annum each. FCIL & HFCL would also be Joint Venture partners, who would receive **10.99% of equity** in each of the projects in lieu of land use, usable assets & opportunity cost. Cabinet also constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) to oversee the revival process. A Joint Venture company in the name of 'Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL)' was incorporated for the purpose of revival of the units. Concession Agreements as well as Lease Deeds have been signed between FCIL & HURL for Sindri & Gorakhpur Projects. Substitution Agreements for Gorakhpur & Sindri Units have also been signed amongst FCIL, HURL & Lenders' Representative. **Commercial production has already been started on 03.05.2022 and 15.4.2023 in Gorakhpur and Sindri plant respectively.**

C. FIXED ASSETS ,CAPITAL WORK IN PROGRESS AND CONTINGENT LIABILITIES

1. Out of total land of 6652.61 acres at Sindri, 112 acres received from Govt. of Bihar (now Jharkhand) free of cost has been valued at Rs. 14.11 Lakh at notional value as per guidelines of Department of Public Enterprises.
2. Land measuring 907 acres at Korba was received during 1974 to 1980, free of cost, from the state Government . In addition, 29 acres of free hold and 7 acres of private land was acquired by FCIL for a value of Rs 16.78 lakhs. Out of 907 acres of land provided by State

कराई गई 907 एकड़ भूमि में से 215 एकड़ भूमि वर्ष 2005 में बाल्कों कैप्टिव पावर प्लांट (बीसीपीपी) को सौंप दी गई थी और आगे 405 एकड़ भूमि पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एफसीआईएल से किसी भी अनुमति के बिना 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को 258 एकड़ भूमि आवंटित की है।

इस प्रकार वर्तमान में 623 एकड़ भूमि एफसीआईएल कोरबा के कब्जे में है।

3. (i) तालचेर इकाई के लिए 1971 से 1979 की अवधि के दौरान एफसीआईएल को राज्य सरकार से 919.59 एकड़ भूमि निशुल्क प्राप्त हुई और एफसीआईएल द्वारा 14.01 एकड़ भूमि निजी पार्टियों से 21.19 लाख रुपये मूल्य की फ्री होल्ड भूमि के रूप में खरीदी गई। राज्य सरकार से प्राप्त भूमि का मूल्य सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कैपिटल रिजर्व के माध्यम से अनुमानित रूप से 18.64 लाख रुपये आंका गया था। बाद के वर्षों में, एफसीआईएल द्वारा भूमि के विकास, पंजीकरण शुल्क उपकर और स्टाम्प ड्यूटी आदि के लिए 32.64 लाख रुपये का व्यय किया गया।
- (ii) वर्ष 1985-86 में, ओडिशा सरकार की भूमि समझौता योजना डेनकानाल के पूरे अविभाजित जिले में चल रही थी, जहाँ से वर्ष 1993 में वर्तमान नया जिला अंगुल बनाया गया था। पूरे जिले में, भूमि रिकॉर्ड नियमितीकरण, भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन और सुधार, भूमि किस्म के परिवर्तन आदि के लिए कई निपटान शिविरों का आयोजन किया गया था।
- (iii) उपर्युक्त कार्य के कारण, तालुका-वार भूमि में परिवर्तन के साथ-साथ भूमि की कुल मात्रा में कुछ परिवर्तन हुए हैं। इससे पहले एफसीआईएल के पास कुल भूमि

Government 21.5 acres was handed over to BALCO Captive Power Plant (BCPP) in the year 2005 and further 40.5 Acres has been occupied by them. Govt. of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh State Electricity Board in 2007 without seeking any permission from the FCIL.

Thus, presently 623 acres of land is in the possession of FCIL Korba.

3. (i) For Talcher Unit, during the period from 1971 to 1979, FCIL received 919.59 acres of land from the State Government free of cost and 14.01 acres of land was purchased by FCIL from private parties as free hold land for a value of Rs. 21.19 lakhs. Land received from State Government was notionally valued at Rs 18.64 lakhs as per the guidelines of Department of Public Enterprises, through capital reserve. Later on, in subsequent years an expenditure of Rs. 32.64 lakhs was incurred by FCIL towards development of land, registration charges, cess and stamp duty etc.
- (ii) In the years 1985-86, the land settlement scheme of the Government of Odisha was in operation in the entire undivided district of Dhenkanal from which the present new district Angul was carved out in the year 1993. Throughout the district, several settlement camps were organized for regularization of Land Record, change and correction in ownership of the Land, change of KISAM of Land etc.
- (iii) Due to above exercise, there are some changes in the total quantum of land along with changes in Taluka wise land. Earlier the Total land with

933.600 एकड़ दर्शाई गई थी जबकि वास्तविक उपलब्धता भूमि केवल 908.516 एकड़ है। विभिन्न गाँवों में 25.084 एकड़ (निवल) भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्ष 1985-86 में डेनकानाल जिले (अंगुल की मात जिला) में निपटान प्रचालन के दौरान बंदोबस्त प्राधिकरण द्वारा इसे अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया है।

FCIL was shown as 933.600 Acres whereas, the actual available land is 908.516 Acres only. 25.084 Acres of (net) land in different villages is not available as it has been shifted to other Khatahs by the Settlement Authority during Settlement operation in the District of Dhenkanal(Mother District of Angul) in the year 1985-86.

(iv) एफसीआईएल के पास उपलब्ध कुल 908.516 एकड़ भूमि में से 32.381 एकड़ भूमि भारी जल संयंत्र को सौंपी जानी है और शेष 876.135 एकड़ भूमि नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार टीएफएल को सौंपी जानी है।

(iv)Out of 908.516 Acres of total Land available with FCIL, 32.381 Acres is to be handed over to Heavy Water Plant and the balance 876.135 Acres of land to be handed over to TFL as per details given below.

क्र.सं०	विवरण	एकड़ में भूमि
1	स्पष्ट भूमि (अधिकारों का रिकॉर्ड)	870.95
2	गैर आरओआर भूमि (जिसके अनुमेय अधिकार होगा उपलब्ध)	04.98
3	एफसीआईएल के पक्ष में आरओआर प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के पास मामले लम्बित हैं।	0.205
	कुल	876.135

Sl. No	Particulars	Land in Acrs
1	Land with Clear (Record of Rights)	870.95
2	Non RoR Land (for which Permissible Right will be available)	04.98
3	Cases are pending with Revenue Deptt for obtaining RoR in favour of FCIL	0.205
	Total	876.135

(v) बी आई एफ आर द्वारा सुझाई गई व्यवस्था के तहत एफ सी आई एल को एच डब्लू पी से प्राप्त 344 क्वाटर के बदले एक क्लस्टर में हेवी वॉटर प्लांट को 202 क्वार्टर दिये गये । अब, प्राप्त 296 ए प्रकार के क्वाटर ढह गए हैं और बी सी डी प्रकार के शेष 48 क्वार्टर मौजूद हैं। कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई है। एफ सी आई एल सभी संपत्तियों को मैसर्स तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को सौंपने की प्रक्रिया में है। मैसर्स तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर करने के बाद तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जायेगा ।

(v) 202 quarters were given to Heavy Water Plant in a cluster in exchange of 344 qtrs received by FCIL from HWP under an arrangement suggested by BIFR. Now, 296 A type of quarters received have fallen to the ground and remaining 48 quarters of B,C,D type are existing. No adjustment entry has been carried out . FCIL is in the process of handing over of all assets to M/s Talcher Fertilizers Limited. After signing the lease deed with M/s. Talcher Fertilizer Limited (TFL), the necessary adjustment will be made in the books.

4. (i) गोरखपुर इकाई में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी परियोजना के लिए दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 के

4. (i) At Gorakhpur Unit, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to Company 993.335

दौरान कम्पनी को 993.335 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और आवंटन किया, जिसमें से एफसीआईएल, द्वारा 19.51 लाख रुपये मूल्य की अधिग्रहण लागत का 40% राज्य सरकार को भुगतान किया गया था और शेष 60% मूल्य 29.26 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया गया था।

- (ii) लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1983 में 7.51 लाख रुपये मूल्य पर एफसीआईएल को लखनऊ में 10733.1 वर्ग फुट का एक भूखण्ड पट्टे पर दिया था।
- (iii) उर्वरक विभाग और गृह मंत्रालय के बीच दिनांक 5.2.2004 के समझौते ज्ञापन के अनुसार सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को कतिपय भवन और क्वार्टर दिए गए हैं। मैसर्स एचयूआरएल द्वारा यूनिट के पुनरुद्धार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एसएसबी को उर्वरक विभाग और गृह मंत्रालय के बीच सहमति के अनुसार लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में खुद को समायोजित करने की सलाह दी गई है। तदनुसार, एफसीआईएल ने 15.3.2019 को एसएसबी को 125 एकड़ क्षेत्र में खुद को समायोजित करने की सलाह दी गई है। तदनुसार, एफसीआईएल ने 15.3.2019 को एसएसबी को 125 एकड़ भूमि 55 वर्षों की अवधि के लिए एकमुश्त प्रीमियम के रूप में 64.75 करोड़ रुपये और वार्षिक लीज रेंट के रूप में 5.18 करोड़ रुपये के भुगतान पर मंजूरी दी है। लेकिन एसएसबी ने सभी प्रश्नों को माफ करने के लिए मंत्रालय स्तर पर मामला उठाया। बाद में, एफसीआईएल बोर्ड ने 4.3.2023 को 64.75 करोड़ रुपये का एकमुश्त प्रीमियम माफ कर दिया। लेकिन फिर भी एसएसबी उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से मुफ्त आवंटन के लिए दबाव डाल रहा है। इस संबंध में 29.5.2023 को प्रमुख सचिव (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग), उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी, जहाँ एफसीआईएल ने स्पष्ट किया कि आगे कोई छूट संभव नहीं है और एसएसबी को वार्षिक देय का भुगतान करना होगा।

acres of land during December 1963 to March 1970 for its project, out of which 40% of acquisition cost valued at Rs.19.51 Lakh had been paid to the State Government by FCIL and the balance 60% valued at Rs.29.26 Lakh was given by the State Government.

- (ii) A plot admeasuring 10733.1 sq.feet at Lucknow was leased out to FCIL by Lucknow Development Authority at a value of Rs 7.51 lakhs in December, 1983.
- (iii) Certain buildings and quarters have been given to Sashatra Seema Bal (SSB) in terms of MOU dated 5-2-2004 between DOF and MHA. Considering the requirement of revival of the unit by M/s HURL, SSB has been advised to accommodate themselves in an area of around 125 acres as was agreed between DOF and MHA. Accordingly, FCIL has approved lease of 125 acres of land to SSB on 15.3.2019 for a period of 55 years on payment of Rs.64.75 crore as one time premium and Rs.5.18 crore towards Annual Lease Rent. But SSB took up the matter at Ministry level for waiving off all the charges. Later on, FCIL Board waived off one Time Premium of Rs.64.75 crore on 4.3.2023. But still SSB is pressing for free allotment through Government of U.P. A meeting in this regard was held on 29.5.2023 under the Chairmanship of Principal Secretary (Infrastructure and Industrial Development Department) Government of U.P, where FCIL made clear that no further waiver is possible and SSB will be required to pay Annual Lease Rent.

(iii) कुल भूमि में से, एचयूआरएल को 600 एकड़ और एसएसबी को 125 एकड़ प्रदान करने के बाद, विशेष सचिव (यूपी राज्य सरकार) ने एफसीआईएल की सहमति के बिना गोरखपुर में 268.335 एकड़ की अवशिष्ट भूमि को डीएम, गोरखपुर के नियंत्रण में रखा है। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है लेकिन वे अपने दिनांक 31.01.2019 के पत्र को वापस लेने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा, डीएम, गोरखपुर द्वारा जारी दिनांक 21.10.2021 के पत्र के माध्यम से, राज्य प्रशासन ने नवम्बर-दिसम्बर 2021 के महीने में यूपी सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के लिए चिन्हित 49 एकड़ भूमि पर बने 215 क्वार्टरों को पहले ही ध्वस्त कर दिया है, सिवाय 7 दुकानों के जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रोक आदेश मिला था। ध्वस्त किए गए क्वार्टरों के लिए, 18,25,988 रुपये बुक वैल्यू और 18,16,957 रुपये का संचित मूल्यहास वापस ले लिया गया है और वर्ष 2021-22 के दौरान 9031 रुपये की राशि को बही-खातों में बढ़े खाते में डाल दिया गया है।

5. रामागुंडम के लिए 1971 से 1989 तक विभिन्न वर्षों में प्राप्त/खरीदी गई कुल 1284.04 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। राज्य सरकार से प्राप्त भूमि निशुल्क और अनुमानित मूल्य 4.59 लाख रुपये (कैपिटल रिजर्व) है जिसे बाद में वर्ष 2003-04 के दौरान पी एंड एल को हस्तांतरित कर दिया गया था। लीज होल्ड और फ्री होल्ड भूमि का विवरण नीचे दिया गया है:

(iii) From the total land, after providing 600 acres to HURL and 125 Acres to SSB, Vide letter dated 30.01.2019, Special Secretary (U.P. State Government) has put the residual land of 268.335 acres at Gorakhpur under the control of D.M., Gorakhpur without taking consent of FCIL. The matter has been taken up with the State Government but they are not willing to withdraw their letter dated 30.01.2019. Further, vide letter dated 21.10.2021 issued by DM, Gorakhpur, State Administration has already demolished 215 quarters built on the 49 acres of land in the month of November-December 2021, identified for Sainik School by U.P. Government, except 7 shops, who got Stay Order from Allahabad High Court. For the demolished quarters, the book value of Rs 18,25,988/- and accumulated depreciation of Rs 18,16,957/- have been withdrawn and an amount of Rs 9031/- was written off in the books during the year 2021-22. We have taken up the matter with DoF for surrendering the land to UP Government as per the provisions of Conveyance deed of the subject land. In the meantime, some ex-employees of FCIL, Gorakhpur Unit, have gone to Allahabad High Court praying for quashing/ setting aside letter dated 30.01.2019 and 21.10.2021 of Government of Uttar Pradesh.

5. For Ramagundam, total land of 1284.04 acres received/purchased in various years from 1971 to 1989. The land received from State Government as free of cost and notionally valued at Rs.4.59 lakhs (Capital Reserve) which was later on transferred to P& L during the year 2003-04. The details of lease hold and free hold land is given below:

		(एकड़: गुंटस)	(ACRES: GUNTAS)	
	क्षेत्र	लागत (रु./लाख)	<u>Area</u>	<u>Cost</u> (Rs./lakh)
फ्री होल्ड:	308.82	128.73		
लीज होल्ड:	975.12	33.89	Free hold:	308.82 128.73
कुल	1284-4*	162-62	Lease hold :	975.12 33.89
40 गंटा 1 एकड़ के बराबर है.			Total	1284.04 162.62

*40 गुंटा 1 एकड़ के बराबर है.

*40 Guntas is equivalent to 1 Acres.

6. नोएडा अथॉरिटी ने 24.05.1989 को 90 वर्ष की लीज पर 4261.16 स्क. मीटर का एक प्लॉट आवंटित किया था। प्लॉट स्वामित्व एफसीआईएल के पास है।

मुख्य जगह पर सुलभ प्लॉट पर आफिस कार्यालय बनवाने का निर्णय हुआ। वैसे भी इस प्लॉट का आफिस कार्यालय बनाने हेतु ही आवंटित किया गया था।

मैसर्स एनबीसीसी को 59.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में काम करने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें लागू कर और एनबीसीसी का 7% सेवा शुल्क शामिल है। भवन के अवधारणा चित्र पहले ही अनुमोदित किया जा चुके हैं। एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर 24 मई 2021 को हस्ताक्षर किए गए हैं और 21.06.2021 को 6.50 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। एनबीसीसी ने कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 12.4.2022 को कार्य आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, 31.03.2023 तक एनबीसीसी को वसूली योग्य अग्रिम के लिए 3.43 करोड़ रुपये और किए गए कार्य के लिए 1.83 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

7. 6 सितम्बर, 2017 को एफसीआईएल और पीडीआईएल द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में और बाद

6. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mtrs. was allotted to FCIL by NOIDA Authority on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11, Sector -1, NOIDA. The land is physically in the possession of Company.

It was thought prudent to utilize the plot available with FCIL in NOIDA at a Prime location to construct office building the purpose for which the land was allotted by NOIDA Authority.

M/s. NBCC has been awarded the assignment to work as Project Management Consultant (PMC) for the project at an estimated cost of Rs.59.43 Crore, including applicable taxes and 7% Service Charge of NBCC. Concept drawings of the building have already been approved. MOU with M/s. NBCC has been signed on 24th May 2021 and an initial advance of Rs 6.50 crore was paid on 21.6.2021. NBCC has awarded the Work Order on 12.4.2022 for construction of Office Building. Further, upto 31.3.2023 an amount of Rs 3.43 crore has been paid to NBCC towards recoverable advance & Rs 1.83 crore towards work done.

7. In pursuance to the MOU signed by FCIL and PDIL on 6th September, 2017 and subsequent

में पीडीआईएल के उपयोग के तहत भूमि और पीडीआईएल की अचल सम्पत्तियों के उर्वरक विभाग के अनुमोदन के बाद, सिंदरी इकाई को 30/04/2019 को एफसीआईएल को “जैसा है” आधार पर सौंप दिया गया है। इसे एफसीआईएल के बही-खातों में नहीं लिया गया है। पीडीआईएल के माध्यम से कैटेलिस्ट प्लांट और अन्य संबंधित परिसम्पत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया चल रही है।

approval of DOF the land that was under the utilisation of PDIL and the fixed assets of PDIL, Sindri Unit have been handed over to FCIL, on 30/04/2019 on “As is Where is “ basis. It has not been taken into books of account of FCIL. The selling of Catalyst Plant and other related assets, through PDIL, is under process.

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

- वर्तमान देयताओं में एक कर्मचारी (पिछले वर्ष 3 कर्मचारी) के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 32.93 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 47.82 लाख रुपये) शामिल हैं जिसका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें आवश्यक कार्यों के कारण 31.03.2022 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इस कर्मचारी की सेवामुक्ति के समय 31.03.2022 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इस कर्मचारी के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- अन्य ट्रेड देय में स्वीकार न किये गये ₹.5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है। गोरखपुर के 9 कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके छटनी को चुनौती दी जो कि 14.11.2019 को खारिज हो गई अब उन्होंने डिविजन बैंच में 14.11.2019 के आदेश को खारिज करने की अपील की है जो कि लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित अपील के बावजूद अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका संख्या 1624/2023 भी फाईल की है जिसमें वही प्रार्थना की है। एफसीआई ने उस याचिका के विरुद्ध 27.07.2023 को रिव्यू याचिका लगाई है।

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

- Current liability includes provision for employees benefits in Note -15 an amount of Rs 63.72 Lakhs (previous year Rs.32.93 Lakhs) in respect of VSS compensation, gratuity, leave encashment for 01 employees (previous year 01 employees), whose request for VSS has been accepted but has not been released as on 31.03.2022 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2023 will be accounted for after release of the employees.
- Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakhs (previous year Rs.5.23 lakhs) in respect of payment by cheque towards Gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were retrenched as per Industrial Disputes Act, 1947. They challenged the retrenchment in the Allahabad High Court by filing a writ, which was dismissed on 14.11.2019 and they had appealed to the Division Bench, which is pending for hearing. Now during pendency of the hearing before Division Bench, they have filed a writ petition no: 1624/2023 in Hon'ble Delhi High Court for the same relief, against which FCIL has filed review petition in Hon'ble Delhi High Court on 27.7.2023.

ड. निवेश

केबिनेट के अनुमोदन के अनुसार सिंदरी, गोरखपुर, रामागुण्डम और तलचर के पुनर्जीवन के लिये निम्नलिखित निवेश किये हैं-

रामागुण्डम इकाई:

भूमि उपयोग, उपयोगी परिसंपत्ति एवं अवसर लागत के एवज में प्राप्त शेयर निम्नलिखित है:

वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने मैसर्स रामागुण्डम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (आर.एफ.सी.एल.) रामागुण्डम को 1.00 लाख रुपये का भुगतान कर 10,000 इक्विटी शेयर में निवेश किया है और कम्पनी को 10 रुपये प्रत्येक के 10,000 इक्विटी शेयर आवंटित किये गये हैं। शेयर सर्टीफिकेट प्राप्त हो गये हैं। फिर भी वर्ष 2017-18 में आरएफसीएल ने 92.52 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर एफसीआईएल को 9.525 करोड़ में योगदान के लिए वर्ष 2018-19 में कंपनी ने ₹.23.27 करोड़ के इक्विटी शेयर प्राप्त किए, 2019-20 में ₹.28.70 करोड़ के इक्विटी शेयर, 2020-21 में ₹.44.90 करोड़ के इक्विटी शेयर तथा चालू वर्ष के दौरान ₹.18.54 करोड़ के शेयर प्राप्त किये।

तलचर इकाई:

वर्ष 2015-16 में कम्पनी ने 0.50 लाख रुपये तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टी.एफ.एल.) (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) में निवेश किये हैं और 5000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के प्राप्त हुये हैं।

सिंदरी इकाई/गोरखपुर इकाई:

वर्ष 2016-17 में कम्पनी ने 1,66,670/- रुपये हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एच.यू.

E. INVESTMENTS

As part of Cabinet approval for the revival of Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher, following investments are made: -

Ramagundam Unit:

Equity Shares are received for Land use, usable assets and opportunity cost are under:

In the year 2014-15, the Company has made a payment of Rs.1.00 Lakh towards 10,000 Equity Shares of M/s. Ramagundam Fertilizer & Chemicals Limited (RFCL) Ramagundam of Rs.10 each and 10,000 equity shares has been allotted to the Company. Share Certificates have been received. However, in the year 2017-18, RFCL has issued equity share of Rs.92.52 crore to FCIL against the value of its contribution in kind at the face value of Rs10/- per share as per the terms of Articles of Association of the company (RFCL). The Company has received equity share in different years as under :2018-19 - Rs.23.27 Crore, 2019-20 - Rs.28.70 crore, 2020-21- Rs.44.90 Crore, 2021-22 Rs 18.54 Crore

Talcher Unit:

During the year 2015-16, the Company has made an investment of Rs.0.50 Lakh in Talcher Fertilizer Limited (TFL) (Formerly known as "Rashtriya Coal and Gas Fertilizers Ltd." and received 5,000 equity share of Rs.10/- each.

Sindri & Gorakhpur Units:

During the year 2016-17, the company has made an investment of Rs.1,66,670/- in

आर.एल.) में 10/- रुपये प्रत्येक के 16,667 इक्विटी शेयर में निवेश किये हैं। कम्पनी ने शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हैं। एचयूआरएल के साथ हुए संयुक्त उद्यम के इकरार नामे के अनुसार गोरखपुर और सिंदरी के कुछ इक्विटी शेयर का 10.99 प्रतिशत के हिसाब से इक्विटी शेयर जारी करने का कार्य प्रगति पर है।

च. विविध

1. निदेशक मंडल की राय में सामान्य व्यापार स्थिति में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
2. चूंकि कम्पनी में बहुत समय से उत्पादन प्रचालन नहीं हुआ है, अतः कम्पनी (लागत रिकार्ड एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम 2014, दिनांक 31.12.2014 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में लागत रिकार्ड को रखना आवश्यक नहीं है।
3. क. ट्रेड से प्राप्त होने योग्य बकाया भूतपूर्व कर्मचारियों के भुगतान, ट्रेड देय तथा अन्य के बकाया की पुष्टि नहीं हुई है। यदि लेखों में कोई विसंगति हुई तो उसे अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
ख. पी.डी.आई.एल. से प्राप्त होने योग्य बकाया के 27.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष 28.14 लाख रुपये) अप्रैल 2019 से पुष्टि और मिलान होने पर निर्भर करता है।
4. बिक्री कर का निर्धारण जो (अपील में लंबित हैं उनको छोड़कर) निर्धारण वर्ष 2018-19 तक पूरा कर लिया गया है।
5. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2020-21 तक पूरा कर लिया गया है। निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2014-15 तक

Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) for 16,667 equity shares of Rs.10/- each. The share certificates have been received by the company. The action for issuing equity shares @ 10.99% of total equity share holding of Gorakhpur & Sindri Plants is under process in terms of Joint Venture Agreement with HURL.

F. MISCELLANEOUS

1. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
2. Since Company does not have manufacturing operation since long, as per "Companies (Cost Records & Audit) amendment Rules 2014" dated 31.12.2014 the Company is not required to maintain "Cost Records" during the financial year 2021-22.
3. a) Balances of Trade receivable, payables of Ex-employees, Trade payables and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on this account are not ascertainable.
b) Balance of Rs 26.90.lakh (Previous year Rs.27.21 lakh) receivable from PDIL is subject to confirmation and reconciliation since April, 2019.
4. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to A Y 2018-19.
5. The Corporate Assessment is completed up to Assessment Year 2020-21. The Income Tax

के लिये आयकर विभाग ने प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश पर आई.टी.ए.टी. के पास अपील की है। तथापि, आईटीएटी ने निर्धारण वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अपील का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है और आईटीएटी के इस निर्णय के विरुद्ध आयकर विभाग ने आगे दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। जोकि बाद में वापस ले लिया गया। वर्ष 2018-19 तथा 2020-21 के लिए आयकर विभाग की मांग के विरुद्ध हमने सीआईटी (अपील) में अपील दायर की है।

Department filed appeal against the 1st Appellate Authority order in ITAT for the AY 2002-03 to AY 2014-15. However, ITAT has decided appeal for in favour of company. Income Tax department had filed an appeal in the Delhi High Court against the orders of ITAT for AY 2013-14, which was later on withdrawn. For the AY 2018-19 and 2020-21, we have filed appeal with CIT (Appeal) against the demand of Income Tax Department.

6. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी.एस.एस के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी आई एफ आर द्वारा दिनांक 17.5.2004 और तत्पश्चात, सी सी ई ए के दिनांक 10.8.2011, 9.5.2013 के निर्णय तथा कैबिनेट के 13.07.2016 के निर्णय के अनुसार सभी एकक पुनरुद्धार में हैं जहाँ उपयोग होने योग्य परिसम्पत्ति को पुनरुद्धार कर रहे पी एस यू को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। तथा जो मद उपयोग में नहीं है उनका निपटान किया जा रहा है। अतः केन्द्रीय कार्यालय सहित सभी बाकी स्थायी परिसम्पत्तियों एवं वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया तथा निम्नलिखित विसंगतिया नहीं पाई गई:

6 In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, and further following the decision of CCEA on 10.08.2011, 09.05.2013, and Cabinet decision dated 13.07.2016, all the Units are under revival where usable assets have been /are being handed over to reviving JVs & unusable items are disposed of. Physical verification of remaining fixed assets & inventories was carried out in all the units, including Central Office as on 31.3.2023, following discrepancies were observed for central office:-

(i) वर्ष 2002-2003 से मैसर्स कृष्णको को लीज पर दिए गए हमारे “फ्लैट नं० बी-14, एशियाड विलेज में स्थापित कुछ राजस्व मदों के साथ 0.03 लाख रुपये के निवल बुक मूल्य की पुरानी पूंजीगत वस्तुएं उन्हें 0.19 लाख रुपये के मूल्य पर सौंप दी गई हैं, जिससे हमें 0.16 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

(i) Old Capital Items of a net book value of Rs 0.03 lakh along with some revenue items, which were installed in our Flat no B-14, Asiad Village, leased out to M/s KRIBHCO, since 2002-2003 have been handed over to them for a value of Rs 0.19 lakh resulting into a profit of Rs 0.16 lakh.

(ii) 0.56 लाख रुपये की बुक वैल्यू की पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ, जो वहाँ जीवन बिता चुकी हैं और

(ii) Capital Assets of a net book value of Rs 0.56 lakh, which have outlived their lives and are no more usable, have been sold as scrap for a

अब उपयोग करने योग्य नहीं हैं, उन्हें 0.18 लाख रुपये के मूल्य स्ट्रैप के रूप में बेचा गया है, जिससे 0.38 लाख का नुकसान हुआ है।

value of Rs 0.18 lakh, incurring loss of Rs 0.38 lakh.

- (iii) 0.65 लाख रुपये के बुक मूल्य की पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं थीं, जिन्हें 31.03.2023 तक सम्पत्ति रजिस्टर से हटा दिया गया है, जिससे 0.28 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इससे पहले कुछ पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बुकिंग के लिए (2019-20 में) 0.37 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गई थी, जिसका उचित हिसाब नहीं दिया गया था।

- (iii) Capital Assets of a net book value of Rs 0.65 lakh were not available physically, which have been removed from Assets register as on 31.3.2023 incurring a loss of Rs 0.28 lakh. Earlier an amount of Rs.0.37 lakh was realised (in 2019-20) for sale of some of the capital assets, which was not properly accounted for.

7. माईक्रो, स्माल एण्ड मध्यम एन्टरप्राइस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अनुसार माईक्रो स्माल एवं माध्यम को कुछ भी देय नहीं है।

7. There are no dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small & Medium Enterprises Development Act. 2006

8. ईपीएफओ ने 2015-2016 से 2021-2022 की अवधि के लिए ईपीएफओ द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेश पैटर्न के विचलन के लिए 175.33 लाख रुपये (सिंदरी के लिए 131.82 लाख रुपये और रामागुंडम के लिए 43.51 लाख रुपये) का अधिभार लगाया है, जिस पर कम्पनी ने आपत्ति जताई है।

8. EPFO has levied a surcharge of Rs 175.33 lakh-(Rs 131.82 lakh/- for Sindri and Rs 43.51 lakh for Ramagundam) towards deviation of Investment pattern notified by EPFO from time to time for the period from 2015-2016 to 2021-2022, which have been objected by the Company.

वर्ष के दौरान, ईपीएफओ ने 16.01.2023 को सिंदरी में बैंक खाते को जब्त कर लिया है, जिसमें 84.29 लाख रुपये शेष हैं, जिसके खिलाफ ईपीएफओ में अपील की गई है। अपीलीय प्राधिकरण ने हमारी याचिका को खारिज कर दिया है और अब एफसीआईएल इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय, रांची में उठाएगा। ईपीएफओ द्वारा जब्त की गई राशि को बही-खातों में ईपीएफओ से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है और शेष 91.05 लाख रुपये को बही-खातों में आकस्मिक देनदारियों के रूप में दिखाया गया है।

During the year, EPFO has seized the Bank account at Sindri on 16.1.2023 having a balance of Rs 84.29 lakh which has been appealed in EPFO. Appellate Authority has rejected our plea and now FCIL will take up the matter in Hon'ble High Court, Ranchi. The amount seized by EPFO has been shown in the books as amount recoverable from EPFO and balance of Rs 91.05 lakh has been shown as contingent liabilities in the books.

9. विभिन्न लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी विभाग के पास गिरवी रखी गई 38.14 लाख रुपये की डाकघर पासबुक/एनएससी को गिरवी से छुटा लिया गया है और वसूली के लिए दावे संबंधित पोस्ट मास्टर और वरिष्ठ अधीक्षक को प्रस्तुत कर दिए गए हैं तथा निपटान की प्रक्रिया में है। इसे अन्य वर्तमान परिसम्पत्ति अनुसूचित के तहत “डाकघर के साथ जमा” के रूप में दिखाया गया है।
10. वर्ष 2022-23 के दौरान मैसर्स बालाजी लैमिनेटिंग वर्क्स (1985 का टाइटल सूट नम्बर 53/85 और 54/85) की आकस्मिक देनदारियों को 29.87 लाख रुपये की राशि बही-खातों से वापस ले ली गई है, क्योंकि 78.29 लाख रुपये की 9% ब्याज राशि के साथ पूरी राशि का भुगतान 01.11.2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार सब-जज-II, धनबाद के माध्यम से पार्टी को कर दिया गया है।
11. मैसर्स इन्डस्ट्रियल एसोसियेट्स द्वारा रु.3.28 लाख रुपये की राशि के एम.सूट स0. एमएस/45/02 को 2022-23 के दौरान आकस्मिक देयता से वापस ले लिया गया है क्योंकि इसे माननीय सिविल कोर्ट, अलीपुर, कोलकाता द्वारा खारिज कर दिया गया है।
12. मैसर्स शिव एंटरप्राइजेज द्वारा 4.14 लाख रुपये की राशि के एम.सूट एम एस 34/03 को 2022-23 के दौरान आकस्मिक देयता से वापस ले लिया गया है क्योंकि इसे माननीय सिविल कोर्ट, धनबाद द्वारा खारिज कर दिया गया है।
13. श्रम न्यायालय, धनबाद में लम्बित 3.33 लाख रुपये की वीएसएस अनुग्रह राशि की गणना के फार्मूला के आधार पर दोहरी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए 2 (दो) पूर्व कर्मचारियों के दावे को आकस्मिक देयता से वापस ले लिया गया है क्योंकि इसी प्रकार
9. Post Office Pass books /NSC's pledged with Excise Department amounting to Rs.38.14 lakhs for issuing different licenses has been de-pledged and claims for realization has been submitted to Concerned Post Master & Sr. Supdt. Of post, Dhanbad and are under process of settlement by them. It has been shown as “Deposit with post Office” under other current asset schedule.
10. Contingent liabilities of M/s. Balaji Laminating Works (Title suit no. 53/85 & 54/85 of 1985) amounting to Rs 29.87 lakhs has been withdrawn from books during the year 2022-23 as the entire awarded amount along with 9% interest amounting to Rs.78.29 lakh has been paid to the party through Sub-Judge-II, Dhanbad according to interim order of Hon'ble Supreme Court as on 1.11.2022.
11. M.Suit No.MS/45/02 by M/s. Industrial Associates , Kolkata amounting to Rs.3.28 lakh has been withdrawn from Contingent Liability during 2022-23 as the same has been dismissed by the hon'ble Civil Court, Alipore, Kolkata.
12. M.Suit No.MS-34/03 by M/s. Shiv Enterprises amounting to Rs.4.14 lakh has been withdrawn from Contingent Liability during 2022-23 as the same has been dismissed by Hon'ble Civil Court, Dhanbad.
13. Claim of 2 (two) ex-employees for payment of double gratuity based on the formula for calculation of VSS exgratia amounting to Rs.3.33 lakh pending at Labour Court, Dhanbad has been withdrawn from Contingent

के मामले को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

14. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में लम्बित मैसर्स बजबज जूट इंडस्ट्रीज के मध्यस्थता केस नम्बर 35/96, 14/2000 की फिर से गणना की गई है और 31.03.2023 तक दी गई ब्याज दर 16% के अनुसार 6.65 लाख रुपये के स्थान पर 9.11 लाख रुपये की आकस्मिक देयता हेतु मामला दर्ज किया गया है।

15. उच्चतम न्यायालय में लम्बित 297.26 लाख रुपये के रूप में हमारे बही-खातों में उल्लेखित आकस्मिक देनदारियाँ “कोयले पर उपकर के लिए बीसीसीएल द्वारा दावे” को चालू वर्ष में बही-खातों से वापस ले लिया गया है क्योंकि यह पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से बही खातों में दिखाई दे रहा है और किसी भी पक्ष के पास कोई केस फाइल/दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। बीसीसीएल ने भी इस मुद्दे के लिए हमसे सम्पर्क नहीं किया है।

16. वर्ष 2022-23 के दौरान 15.09.2010 से 31.03.2015 तक बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए 158.06 लाख रुपये की राशि बुक की गई है क्योंकि 15/09/2010 से राज्य सरकार से केन्द्र सरकार में उपयुक्त सरकार बदल गई है। दिनांक 01.04.2015 से मजदूरी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कानूनी मामला श्रम न्यायालय, धनबाद में निपटान के लिए लम्बित है।

17. अगले वर्ष से संबंधित अवधि के लिए वर्ष के दौरान निम्नलिखित पक्षों से प्राप्त 50.20 लाख रुपये के पट्टे के किराये को अग्रिम में प्राप्त आस्थगित किराये के तहत बुक किया गया है:

liability as the similar nature of case has been rejected by the Hon'ble Supreme Court of India.

14. Misc. Case no. 41/2019, arbitration case no. 35/96, 14/2000 of M/s. Budge Budge Jute Industries pending at Civil Judge (Sr. Division) has been re-calculated and booked in contingent liability as Rs.9.11 lakh in place of Rs.6.65 lakh as per the awarded rate of interest @16% upto 31.03.2023.

12. Contingent liabilities “Claims by BCCL for Cess on Coal” appearing in our books as pending in Supreme Court amounting to Rs.297.26 lakh has been withdrawn from books in the current year as it is appearing in the books for last more than 30 years and no case file / documents are available with any of the parties. BCCL has also not approached us for this issue.

13. An amount of Rs.158.06 lakh has been booked to confirmed Liabilities during 2022-23 towards payment of arrear wages from 15/09/2010 to 31/03/2015 as the appropriate Govt changed from state Govt to Central Govt w.e.f. 15/09/2010. The payment of wages w.e.f. 01/04/2015 has already been paid . The legal case is pending for settlement in Labour Court, Dhanbad.

14. Lease rent amounting to Rs.50.20 lakhs received from the following parties during the year for the period pertaining to next year has been booked under deferred rent received in advance;

सुमित डिजिटल इंफ्रा	=	रु. 2.30 लाख
गेल इंडिया लिमिटेड	=	रु. 1.15 लाख
एसीसी लिमिटेड	=	रु. 29.84 लाख
गेल गैस लिमिटेड	=	रु. 9.15 लाख
भारती एयरटेल लिमिटेड	=	रु. 7.76 लाख

Sumit Digital Infra	=	Rs. 2.30 lakh
Gail India Limited	=	Rs. 1.15 lakh
ACC Ltd	=	Rs.29.84 lakh
Gail Gas Ltd	=	Rs. 9.15 lakh
Bharti Airtel Ltd	=	Rs. 7.76 lakh

18. निम्नलिखित मामलों के संबंध में आकस्मिक देयताएं वापस ले ली गईं/समायोजित की गईं क्योंकि इन मामलों का अस्तित्व न होने के कारण इन्हें वापस ले लिया गया/समायोजित किया गया:-

- सर्वती एजेंसियों के मामले का निपटारा कर दिया गया- रु.3,25,000/-
- मैसर्स प्रियदर्शिनी इंजीनियर्स मामले का निपटारा वित्त वर्ष 23-24 में 7.48 लाख रुपये का भुगतान किया गया और शेष राशि रु.5,27,000/- गैर-मिलनसार (रु.12.75-रु.7.48)

19. वर्ष 2022-23 के दौरान, कम्पनी ने मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से सिंदरी इकाई में 12.09 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.85 करोड़ रुपये) की “फ्लाई ऐश/बॉटम ऐश की बिक्री की है। मैसर्स पीडीआईएल से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर भी यही बिक्री की गई थी। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार सिंदरी में 9.02 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ राख की एक और खेप उपलब्ध है, जिसकी नीलामी मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से की जानी है।

20. उपयोगी परिसम्पत्तियों का परिसम्पति पूर्ण मूल्यांकन (संयंत्रों को छोड़कर)

तलचर एवं रामागुण्डम एककों में स्थायी परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को वित्तीय लेखों में ले

18. Contingent Liabilities in respect of following cases withdrawn/Adjusted due to non existence of these cases:-

- Sarvanthi Agencies case was disposed off – Rs 3,25,000/-
- M/s Priyadarshini Engineers case settled Rs 7.48 lakh was paid in fy 23-24 and balance - Rs 5,27,000/- Withdrawn (Rs 12.75- Rs 7.48)

19. During the year 2022-23, the Company has sold Fly Ash/Bottom Ash through e-auction by M/s. MSTC Limited to the tune of Rs 12.09 Crore (Rs 0.85 crore previous year) at Sindri Unit, on as is where is basis with the assistance of PDIL. The same sales were made based upon the valuation report as received from M/ s. PDIL. As per valuation report one more lot of Ash is available at Sindri having a reserve price of Rs 9.02 crore, which is to be auctioned through M/s MSTC

20. **Assets Re-valuation of usable assets (except ‘Plants’)**

In Talcher and Ramagundam Units the effect of Revaluation of fixed assets has been taken in the financial books in the financial year 2014-

लिया गया है। तलचर और रामागुण्डम एककों के उपयोग में हो सकने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन पी.डी.आई.एल. द्वारा क्रमशः अक्टूबर 2012 और नवम्बर 2014 में किया गया है।

कम्पनी ने निम्न कंपनियों में निवेश किया है:

- क) रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- ख) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और
- ग) हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड

कंपनी अधिनियम 2013 के संयुक्त उद्यम समझौते की धारा 129(3) के अनुसार एक कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं। जिनमें सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम शामिल है। इन निवेशित कंपनियों ने इन्ड एस के अनुसार अपना वित्तीय विवरण तैयार किया है। और इसलिए संयुक्त रूप से नियंत्रित अन्य संस्थानों को भी इन्ड एस के अनुसार अपना विवरण तैयार करना होगा।

कानूनी राय के आधार पर कंपनी का विचार है कि कंपनी का कंपनियों में निवेश, जैसा कि इण्ड ए एस-27 में प्रावधान है “वित्तीय प्रतिवेदन के संयुक्त उद्यम में हित” “संयुक्त उद्यम” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि कंपनी उपर्युक्त कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापों पर संयुक्त नियंत्रण का उपयोग नहीं करती है। अतः कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 एवं कंपनी (लेखा) नियम 2014 के पैरा 7 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

15. The revaluation of usable fixed assets was made by the PDIL in October 2012 and November 2014 for Talcher and, Ramagundam Units respectively.

The Company has made investments in Companies namely

- a) Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited,
- b) Talchar Fertilizers Limited and
- c) Hindustan Urvarak and Rasayan Limited

As per the Joint Venture Agreements. Section 129(3) of the Companies Act, 2013, requires a Company to prepare Consolidated Financial Statements, if it has one or more subsidiaries, which include associate company and joint venture. These investee Companies have prepared their Standalone Financial Statements as per Ind AS and therefore the other jointly controlled entities would also have to prepare its Financial Statements as per Ind AS.

The Company based on the legal opinion is of the view that the Company's investment in Companies does not fall under the definition of “Joint Venture” as provided for in Accounting Standard AS-27 ‘Financial Reporting of Interests in Joint Ventures’ as the Company does not exercise joint control over the economic activities of the aforesaid Companies. The Company has therefore not prepared Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2023 and also have prepared its Standalone Financial Statements as per requirements of the notified accounting standards under Section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

G. (i) वित्तीय अनुपात / Financial Ratios

		हर अंश Numerator	भाजक Denominator	31-03-2023 31-03-2023	31-03-2022 31-03-2022	उतार चढ़ाव Variation	कारण Reason
क.	वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयताएं	59.66	102.10	-41.57%	बढ़े हुए प्रावधान के लिए वर्तमान देनदारियों में वृद्धि के कारण
a.	Current Ratio	Current Assest	Current Liabilities	59.66	102.10	-41.57%	Due to Increase in current liabilities for increased provisions
ख.	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयर होल्डर इक्विटी	न.ए	न.ए	न.ए	
b.	Debt Equity Ratio	Total debt	Shareholder Equity	N.A	N.A	N.A	
ग.	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ब्याज भुगतान और करों से पहले कमाई	ब्याज और मूलधन चुकौती औसत	न.ए	न.ए	न.ए	
c.	Debt Service Coverage Ratio	Earning before Interest Dep & Taxes	Interest & Principal repayments Average	N.A	N.A	N.A	
घ.	इक्विटी अनुपात पर वापसी	टैक्स के बाद लाभ	शेयरधारक इक्विटी	0.07	0.05	40%	लाभ में बढ़ोतरी के कारण
d.	Return on Equity ratio	Profit after tax	Shareholder Equity	0.07	0.05	40%	Due to increase in porfits
ड.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस	औसत इक्विटी	न.ए	न.ए	न.ए	
e.	Inventory Turnover Ratio	COGS	Average Equity	N.A	N.A	N.A	

च. f.	व्यापार प्राप्य टर्नओवर Trade Receivable Turnover	शुद्ध ऋण विक्री Net Credit Sales	औसत व्यापार प्राप्त Average Trade Receivable	न.ए N.A	न.ए N.A	न.ए N.A	
छ. g.	व्यापार देय टर्नओवर Trade payable Turnover	शुद्ध क्रेडिट खरीद Net Credit Purchases	औसत व्यापार देय Average Trade payables	न.ए N.A	न.ए N.A	न.ए N.A	
ज. h.	शुद्ध कैपिटल टर्नओवर औसत Net capital Turnover Ratio	शुद्ध विक्री Net Sales	औसत कार्यशील पूंजी Average Working Capital	न.ए N.A	न.ए N.A	न.ए N.A	
झ. i.	शुद्ध लाभ अनुपात Net profit ratio	शुद्ध लाभ Net profit	शुद्ध विक्री Net Sales	न.ए N.A	न.ए N.A	न.ए N.A	
ट. j.	नियोजित पर वापसी Return on Employed	ब्याज और करों पूर्व पूंजी Capital Before Interest & Taxes	नियोजित कमाई Earnings Employed	कुल पूंजी Total Capital 0.11	0.09 0.09	22.22% 22.22%	लाभ में बढ़ोतरी के कारण Due to increase in porfits
ठ. k.	निवेश पर आय Return on investment	विवल लाभ Net profits	निवेश की लागत Cost of Investment	0.06 0.06	0.05 0.05	20% 20%	

(ii) विकास के अधीन अमूर्त सम्पत्ति

कम्पनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विकास के तहत कोई अमूर्त सम्पत्ति नहीं है।

(iii) बेनामी सम्पत्ति का विवरण

कम्पनी के पास कोई बेनामी सम्पत्ति नहीं है और इसलिए बेनामी लेनदेन (निषेधा) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी सम्पत्ति रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लम्बित नहीं थी, इसलिए कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) वर्तमान परिसम्पत्तियों के विरुद्ध सुरक्षित उधारी

वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कम्पनी के पास बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है, इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(v) जानबूझकर चूककर्ता

कम्पनी को किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थानों/न्यायालय द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(vi) कम्पनियों के साथ संबंध

कम्पनी का उन कम्पनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कर दिया गया है, इसलिए इस तरह के किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ii) Intangible Assets under development

The Company does not have any intangible assets under development during the current and previous year reporting period.

(iii) Details of Benami Property held

The Company does not hold any Benami Property and hence there were no proceedings initiated or pending against the Company for holding any Benami property under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and the Rules made thereunder, hence no disclosure is required to be given.

(iv) Borrowings secured against current assets

The Company does not have any borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets as at the date of the financial statements; hence no disclosure is required as such.

(v) Wilful Defaulter

The company has not been declared to be a wilful defaulter by any Banks/Financial Institutions/Courts.

(vi) Relationship with Struck off Companies

The Company does not have any transactions with Companies which are struck off under Section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of the Companies Act, 1956, hence no disclosure is required as such.

(vii) कम्पनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ प्रभारों या संतुष्टि का पंजीकरण

उन कम्पनियों के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं जिन्हें अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है या वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है, इसलिए इस तरह के किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(viii) कम्पनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कम्पनी का किसी भी डाउनस्ट्रीम कम्पनियों में निवेश नहीं है, जिसके लिए उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन करना होगा, जिसे कम्पनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए इस तरह के किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(ix) उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग

क. कम्पनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थाओं) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) धन या तो उधार लिया गया धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि न तो अग्रिम किया है और न ही उधार दिया है या निवेश किया है।

(क) कम्पनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्ति (ओं) या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या (बी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान

(vii) Registration of Charges or Satisfaction with Registrar of Companies (ROC)

There are no charges against the companies which are yet to be registered or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, hence no disclosures are required as such.

(viii) Compliance with number of layers of companies

The Company does not have investment in any downstream companies for which it has to comply with the number of layers prescribed under Clause (87) of Section 2 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017, hence no disclosure is required as such.

(ix) Utilization of Borrowed Funds and Share Premium

a. The Company has neither advanced nor loaned nor invested funds (either borrowed funds or Share premium or any other sources or kind of funds) to any other person (s) or entity (ies), including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall;

(a) Directly or indirectly lent or invest in other person(s) or entity(ies) identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) Or (b) Provide any guarantee, security or the like to or on behalf

करना। इसलिए इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख. कम्पनी को किसी भी व्यक्ति (ओं) या इकाई (आईईएस) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी संस्थाएं फंडिंग पार्टियाँ शामिल हैं, इस समझ के साथ (चाहे लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कम्पनी करेगी।

क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए किसी अन्य व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) में उधार देना या निवेश करना।

ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करें। इसलिए इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(x) अघोषित आय

कम्पनी के पास ऐसी कोई अघोषित आय नहीं है जिसे बही-खातों में दर्ज नहीं किया गया हो जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण को जैसे तलाशी या सर्वेक्षण या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो। इसके अलावा कम्पनी के पास पहले अलिखित आय और संबंधित सम्पत्तियाँ नहीं हैं जिन्हें वर्ष के दौरान पुस्तकों में ठीक से दर्ज किया जाना आवश्यक था।

(xi) क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा का विवरण

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में न तो कारोबार किया है और न ही निवेश किया है, इसलिए इसके लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं लागू नहीं हैं।

of the Ultimate Beneficiaries. Hence no disclosure is required as such.

b. The Company has not received any fund from any person(s) or entity (ies), including foreign entities (Funding Parties) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall;

(a) Directly or indirectly lend or invest in other person (s) or entity (ies) identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries)

(b) Provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries. Hence no disclosure is required as such.

(x) Undisclosed Income

The Company does not have any undisclosed Income which was not recorded in the books of accounts and which has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 such as, search or survey or any other relevant provisions. Also the Company does not have previously unrecorded income and related assets which were required to be properly recorded in the books of accounts during the year.

(xi) Details of Crypto Currency Or Virtual Currency

The Company has neither traded nor invested in Crypto Currency or Virtual Currency during the financial year, hence disclosure requirements for the same is not applicable.

छ. संबंधित पार्टी विवरण

(i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

- 1) श्रीमती नीरजा अदिदम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 20.01.2022 से अब तक।
- 2) श्री पदमसिंग पी. पाटिल, निदेशक (वित्त), 26.09.2022 से अब तक।
- 3) श्रीमती गीता मिश्रा, निदेशक, 29.09.2021 से अब तक।
- 4) श्री जोहान टोपनो, निदेशक, 20.04.2020 से अब तक।

(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनी

- 1) रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड
- 2) तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय कोल गैस फर्टिलाइजर लिमिटेड)
- 3) हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

ज. खण्डीय प्रतिवेदन

वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है जिसकी रिपोर्टिंग की जाये।

झ. आय पर कर

सरकार द्वारा निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, इस कारण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में अधिसूचित आय पर करों से संबंधित लेखा मानक के अनुसार निवल आस्थगित कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जैसा कि ऊपर

H RELATED PARTY DISCLOSURES

(i) Key Management Personnel:

1. Smt. Neeraja Adidam, 20.01.2022 to till date
(Chairman & Managing Director)
2. Shri Padamsing P. Patil 26.9.2022 to till date
Director (Finance)
3. Smt. Geeta Mishra 29.09.2021 to till date
(Director)
4. Shri Johan Topno 20-04-2020 to till date
Director

(ii) Joint Ventures Company

- 1) Ramagundam Fertilizers and Chemicals limited.
- 2) Talchar Fertilizers Ltd (Formerly known as Rashtriya Coal Gas Fertilizer Ltd)
- 3) Hindustan Urvarak and Rasayan Ltd.

I. SEGMENT REPORTING

In the absence of any manufacturing operation by the Company during the year or in previous year, there are no separate segments to be reported.

J. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no virtual certainly of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of

बताया गया है, भावी कर योग्य लाभ के आभासी अनिश्चितता के अभाव में मैट क्रेडिट/पात्रता को लेखों में नहीं लिया गया है।

Accounting Standard 22 on Taxes on Income, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013.

ट. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आय टैक्स के बाद निवल लाभ को भास्ति औसत शेयरों से भाग करके गणना, जो कि निम्नलिखित है, की गई है:

	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयर धारक को देय वर्ष का निवल लाभ (लाख रूपये)		
शेयरों की संख्या	75,09,239.00	75,09,239
प्रति शेयर संकेतिक मूल्य (रूपये में)	1000.00	1,000
प्रति शेयर अर्जन:		
मूल (रूपयों में) :	62.35	47.59
द्रवीय (रूपयों में) :	62.35	47.59

K. EARNING PER SHARE

Basic Earnings Per Share has been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of shares outstanding for the period as under:-

	2022-23	2021-22
Net profit for the year attributable to Equity shareholder – (Rs.in Lakh)	4682.16	3573.86
No. Of Shares	75,09,239.00	75,09,239
Nominal Value per share (In Rs.)	1000.00	1,000
Earning per Share :		
Basic (In Rs.):	62.35	47.59
Diluted (In Rs.):	62.35	47.59

ठ. अतिरिक्त सूचनाएँ

	31.3.2023 को	31.3.2022 को
सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा में व्यय	शून्य	शून्य
कच्चे माल की खपत	शून्य	शून्य
स्टोर एवं स्पेयर्स की खपत	शून्य	शून्य

L ADDITIONAL INFORMATION

	Ason 31.3.2023	Ason 31.3.2022
Value of Import on CIF basis	Nil	Nil
Expenditure in Foreign Currency	Nil	Nil
Raw Material s Consumption	Nil	Nil
Store and Spares Consumption	Nil	Nil

ड. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है।

M. As per Section 135 of the Companies Act 2013, a Corporate Social Responsibility (CSR) Committee has been formed by the Company.

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुपालन अनुसार कंपनी को वर्ष 2022-23 में ₹.33.76 लाख तथा पूर्व वर्ष 2020-21 में ₹.45.94 लाख का व्यय करना था। और 2022-23 में कुछ भी राशि बिना खर्च किए नहीं हैं।

As per the requirements of the Companies Act.2013(The Act) the Company was required to incur Rs 33.76 lakh in Financial Year 2022-23 and no amount remains unspent during the financial year 2022-23.

वर्ष के दौरान इस निधि को मुख्यतः अनुसूचि VII में दिये गये निम्नलिखित मदों के लिए उपयोगी किया गया।

The funds were primarily utilised throughout the year on the following activities which are specified in Schedule VII of the Act:-

क्र.स.	विवरण	पहले व्यय राशि	राशियों के व्यय करनी है	कुल
S.No	Particulars	Amount already spent	Amount to be spent	Total
(i)	किसी एसेट के अधिग्रहण/निर्माण पर	-	-	-
(i)	Construction/acquisition of any asset	-	-	-
(i)	उपरोक्त(i) के अतिरिक्त कारण पर	33,76,000	-	33,76,000
(ii)	On purposes other than (i) above	33,76,000	-	33,76,000

म. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता

N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
(I) आकस्मिक देयताएं	(I) Contingent Liabilities		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है*	Claims against the Company not acknowledged as debt*		
कर संबंधी जो विवाद में हैं, संभावित ब्याज सहित, जो कि अपील में है**	Tax matters in dispute under appeal including possible interest**		
बिक्री कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	2,488.60	2,488.60
सम्पत्ति कर के लिये माँग	Demand for Property Tax	16.64	16.64
आनुतोषिक****	Gratuity****	-	-

म. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता

N. CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय	Pending decision of Court/under Arbitration	856.25	1,209.90
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 09-10**	Income Tax demand A.Y. 09-10*	-	2,12,616.78
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 11-12**	Income Tax demand A.Y. 11-12**	-	1,750.02
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 14-15***	Income Tax demand A.Y. 14-15***	267.10	267.10
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 18-19**	Income Tax demand A.Y. 18-19**	5,698.17	3,698.17
आयकर मांग निर्धारण वर्ष 20-21**	Income Tax demand A.Y. 20-21**	2,27,205.84	2,27,205.84
आयकर की मांग विदेशी तकनीशियन	Income tax demand foreign technicians***	19.14	19.14
स्क्रैप डीलर को पेय	Amount payable to Scrap dealer	187.00	187.00
होम गार्ड के लिए सेवा कर मांगा हेतु	Service Tax demand on Home Guard	-	8.02
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent Liabilities	2,36,563.19	4,51,467.21
(II) प्रतिबद्धता	(II) Commitments	-	-
(i) मैसर्स डिलौयट टौउच हाउमास्तु इंडिया प्रा०लि०	(i) M/s. Deloitte Touche Tohmatsu India Pvt. Ltd.	24.45	104.08
(ii) मैसर्स एनबीसीसी	(ii) M/s. N.B.C.C.	4,765.69	5,293.00
		2,41,354.33	4,56,864.29

*आयकर अपीलें ड्रिब्युनल में अपील दायर कर रखी है।

*Appeal has been filed with (ITAT)

**आयकर कमिशनर (अपील) में अपील दायर कर रखी है।

** Appeal has been filed with CIT (Appeal)

***यह तलचर इकाई की देय फीस है जो कि विवादित है।

***It is Talchar Unit fee payable ,which is under dispute

ओ. पिछले वर्ष के आकड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक पाया गया पुनर्समोहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें वर्तमान वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जाये।

O. Previous year's figures have been regrouped / re-casted where ever found necessary so as to make them comparable to current years' figures.

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिये)

CASH FLOW STATEMENT

(For the year ended 31st March, 2023)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:	A Cash Flow from Operating Activities		
असाधारण आय एवं कर पूर्व निवल लाभ	Net Profit Before Tax before Exceptional Income	5,877.65	2,442.71
समायोजन के लिये:	Adjustments for :-		
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	Depreciation for the year	10.24	12.51
हर्लको अचल सम्पत्ति की विक्री पर लाभ	Profit on sale of fixed assets	(0.47)	-
एचयूआरजीएल के स्थाई परिसंपत्तियों के हस्तांतर से हानि	Loss on transfer of Fixed Assets to HURL	-	-
ब्याज पर व्यय	Interest Expense	-	-
ब्याज से आय	Interest Income	(2,838.17)	(2,281.85)
विशिष्ट आय-हस्तांतरण	Others Non Operating Income	(1,299.88)	(252.04)
ठेका मजदूरों के बकाया भुगतानों का प्रावधान	Provision for arrear payment to contract labour	158.06	
पूर्व अवधि व्यय	Prior Period Expenditure	31.17	20.04
सीएसआर का प्रावधान	Provision for CSR	-	47.64
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provision for doubtful debts	21.10	19.26
चालू/गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देयताओं	Operating Profit before Current/Non	1,959.70	8.27
परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	Current Assets and Liabilities		
समायोजन के लिये:	Adjustments for :-		
ट्रेड देय में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in trade payables	(1.34)	2.81
प्रावधान में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in provisions	44.45	(1,031.23)
दीर्घ अवधि देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) long term liabilities	-	-
अन्य चालू देयताओं में बढ़त/(घटत)	Increase/(decrease) in other current liabilities	(333.88)	192.00
गैर चालू ऋण एवं अग्रिम में घटत/(बढ़त)	Increase/(decrease) in Non current Loans & Advances	-	0.31
ट्रेड प्राप्त होने योग्य में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in trade receivables	(108.57)	(30.45)
वस्तुसूचियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(increase) in inventories	-	-
ऋण एवं अग्रिम में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in loans and advances	330.89	248.83
अन्य परिसंपत्तियां जो चालू नहीं हैं में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in other non-current assets	(1,120.35)	131.15
अन्य चालू परिसंपत्तियों में घटत/(बढ़त)	Decrease/(Increase) in other current assets	(457.48)	(411.13)
प्रचालन से उपलब्ध की गयी नगदी	Cash generated from Operations	313.42	(889.44)
भुगतान किया गया कर/वापसी	Tax paid Paid/Refunds	(1,354.32)	(357.80)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नगद	Net Cash Flow from Operating Activities	(1,040.90)	(1,247.24)

(जारी/Continued)

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)
CASH FLOW STATEMENT
(For the year ended 31st March, 2023) (Continued)

(लाख रुपये)/(Rs. in Lakhs)

विवरण	Particulars	31 मार्च 2023 को As at 31 March 2023	31 मार्च 2022 को As at 31 March 2022
ख. निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह	B Cash Flow from Investing Activities		
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	Proceeds from sale of fixed assets/scrap	1,218.51	85.50
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(2.44)	(4.92)
3 माह से अधिक सचयी जमा में निवेश	Investments in FDR maturity more than 3 Months	(3,324.66)	(3,910.0)
प्राप्त ब्याज	Interest received	2,835.97	2,281.85
निवेश जो चालू नहीं है की खरीद	Purchases of Non Current Investments	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नगद प्रवाह	Net Cash flow from Investing Activities	<u>727.38</u>	<u>(1,547.77)</u>
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह:	C Cash flow from Financing Activities		
इक्विटी शेयरों से प्राप्ति	Proceeds from Equity Shares	-	-
पूजी एवं डिबेंचर की वापसी	Redemption of Capital and Debentures	-	-
ब्याज/लाभांश की आदायगी	Interest/ Dividend Paid	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नगद	Net cash from Financing Activities	-	-
नगद और नगद के बराबर निवल बढ़त/घटत (कखग)	Net Increase /decrease in Cash & Cash equivalents(A+B+C)	<u>(313.52)</u>	<u>(2,795.01)</u>
प्रारम्भ में नगद और नगद के बराबर	Opening Cash & Cash equivalent	<u>708.28</u>	<u>3,503.299</u>
अंत में नगद और नगद के बराबर	Closing Cash & Cash equivalent	<u>394.76</u>	<u>708.28</u>
नगद और नगद के बराबर का मिलान	Reconciliation of Cash & Cash equivalent		
बैंको में बकाया:	Balance with banks in		
चालू खाता में	Current accounts	241.45	704.07
फ्लैक्सरी जमा खाता में	Flexi Deposit Account	150.00	-
नगद हाथ में	Cash in hand	3.30	4.22
तुलन पत्र के अनुसार नगद एवं नगद बकाया	Cash & Cash Balance as per Balance Sheet	<u>394.75</u>	<u>708.29</u>

भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार कैश फ्लो विवरणों को अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है। कैश फ्लो विवरण में नकदी एवं नकदी समकक्ष बैंक व हाथ में नकद मांग जमा और नकद समकक्ष शामिल होते हैं। जो अल्पावधि में होते हैं और अल्पकालिक नकद प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in the Indian Accounting Standard 7 on Cash Flow Statements. Cash and cash equivalents in the Cash Flow Statement comprise cash at bank and in hand, demand deposits and cash equivalents which are short-term and held for the purpose of meeting short-term cash commitments.

(जारी/Continued)

नगद प्रवाह विवरण (31 मार्च 2023 तक समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

CASH FLOW STATEMENT

(For the year ended 31st March, 2023) (Continued)

हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-	हो/-	Sd/-
(एस.एस. शेखावत)/(S.S. Shekhawat)		(पदमसिंग पी पाटिल)/(Padamsing P. Patil)		(निरजा अदिदम)/(Neeraja Adidam)	
विशेष कार्य अधिकारी/ Officer on Special Duty		निदेशक/Director डिन/DIN 09747446		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ Chairman & Managing Director डिन/DIN 09351163	
हो/-	Sd/-				
(सीएस ऋतु भाटिया)/(CS Ritu Bhatia)				हमारी इसी तिथि के रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date कृते मै. दीपक गुलाटी एण्ड एसोसिएट्स For M/s. Deepak Gulati & Associates सनदी लेखाकार Chartered Accountants प्रतिष्ठान पंजीकरण संख्या-007545एन Firm Registration No.007545N	
कम्पनी सचिव/ Company Secretary ए.एन./A.No. 18344				हो/-	Sd/-
				(मनप्रीत सिंह कपूर) (Manpreet Singh Kapoor)	
				भागीदार/Partner एम. संख्या/M.No. 506545 यूडीआईएन/UDIN 23506545B6QAJ3832	

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक/Date : 27th June, 2023



दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)
CIN : U74899DL1961GOI003439